रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 6, 1979 (आश्विन 14, 1901)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 6, 1979 (ASVINA 14, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली: 110011, दिनांक 5 सितम्बर 1979

सं० ए० 32016/2/78-प्रशा० II —सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थायी अनु० सहा० (अनु० और सा०) और स्थानापन्न अनुसंधान अन्वेषक श्री राम सिंह को 3-9-1979 से 30-11-1979 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनु और सा०) श्रीमती राजकुमारी आनन्द के, जिन्हें अवकाश स्वीकृत किया गया था, स्थान पर कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अन० और सा०) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

दिनांक 7 सितम्बर 1979

सं० ए० 35017/1/79 प्रशा II —संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में लेखा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि समाप्त होने पर महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के लेखा अधिकारी श्री एच० आर० सिंह की सेवाएं केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार को लौटाई जाती है।

श्री एच० आर० सिंह को 52 दिन की अवधि के लिए अर्जित अवकाश प्रदान किया गया है। अवकाश की अवधि समाप्त होने पर श्री एच० आर० सिंह कार्यभार संभालने के लिए महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में सीधे ही उपस्थित होंगे।

दिनांक 10 सितम्बर 1979

सं० ए० 12016/1/78-प्रशा० II —सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा स्थायी स्वागती एवं स्थानापन्न स्वागत पर्यवेक्षक श्री एम० एल० चोपड़ा को, संघ लोक सेवा आयोग में 3-9-1979 से 30-11-1979 तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, स्वागत अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

सं० ए० 35017/1/79-प्रशा० II —सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा सं० ला० सं० आ० के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री महीपाल जैन को लोक सेवा आयोग के कार्यालय में लेखा अधिकारी के संवर्ग

बाह्य पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए 10-9-1979 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

श्री महीपाल जैन लेखा अधिकारी के संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे और उनका वेतन समय-समय पर यथासंशोधित वित्त मन्त्रालय के का० ज्ञा० सं० एफ० 10 (24)/ई० III/60 दिनांक 4-5-1961 में निहित अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

एस० बालचन्द्रन
अवर सचिव
कृते सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-1100011, दिनांक 22 अगस्त 1979

सं० ए० 32014/1/79-प्रशा०-I-संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में निम्नलिखित चयन ग्रेड वयक्तिक सहायकों (ग्रेड ग) वैयक्तिक सहायकों (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ग) को राष्ट्रपति द्वारा नीचे लिखी तारीख से उसी संवर्ग में पूर्णतः अनन्तिम, अस्थायी और तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे से० का ग्रेड ख) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम	धारित नियमित पद	पद जिस पर तदर्थ नियुक्ति की गई है	अवधि जिस पर तदर्थ नियुक्ति की गई है
1	2	3	4	5
1.	श्री एस० पी० मेहरा	ग्रेड ग स्टेनोग्राफर का स्थानापन्न चयन ग्रेड तथा स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ग)	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० सं० स्टे० से० का ग्रेड ख)	3-9-79 से 31-10-79 तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो।
2.	श्री ओ० पी० देवरा	—	—	
3.	श्री हुकम चन्द	ग्रेड ग स्टेनोग्राफर का स्थानापन्न चयन ग्रेड तथा स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्ट० से० का ग्रेड ग)	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख)	60 दिन, 19-8-79 से 17-10-79 तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो
4.	श्री एच० सी० कटोच	—	—	—
5.	श्री टी० आर० शर्मा	—	—	—
6.	श्री के० एस० भुटानी	स्थायी वैयक्तिक सहयक के० सं० स्ट० से० का ग्रेड ग)	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के० स० स्ट० से० का ग्रेड ख)	60 दिन, 19-8-79 से 17-10-79 तक अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो।

2. उपर्युक्त व्यक्तियों को यह अवगत कर लेना चाहिए कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर है और उन्हें के० सं० स्टे० से० ग्रेड ख में विलयन का अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता कम कोई हक नहीं होगा। सर्वश्री ए० पी० मेहरा और ओ० पी० देवरा को उनके नामों के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए के० स० स्ट० से० का ग्रेड ख के पद पर तदर्थ नियुक्तियां इस आधार पर की गई हैं कि इनका अनुमोदन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कर दिया जाएगा।

दिनांक 31 अगस्त 1979

सं० पी० 55-प्रशा० I —संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा स्थानापन्न अवर सचिव कुमारी एस० टी० केसवानी को निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 31-8-1979 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सं० पी०/1691-प्रशा० I —संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में के० स० से० के स्थायी ग्रेड I अधिकारी तथा स्थानापन्न उप सचिव श्री ए० गुप्ता को निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 31-8-1979 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ए० गुप्ता को गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को उनके पत्र सं० 39017/17/79-स्था (ख) दिनांक 30-7-79 द्वारा दी गई सहमति से निवर्तन के बाद 1-9-79 से छह मास की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय म उप सचिव के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है।

सं० ए० 32013/1/79-प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है:—

क्र० सं०	नाम	अवधि
1.	श्री बी० बी० मेहरा (के० स० स्टे० से० का ग्रेड क के स्थायी अधिकारी)	21-7-79 से 20-10-79 तक
2.	श्री पी० सी० माथुर (के०स० से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी)	21-7-79 से 20-10-79 तक
3.	श्री आर० एन० खुराना (के० स० से० अनुभाग अधिकारी ग्रेड के स्थायी अधिकारी)	17-7-79 से 18-8-79 तक

एम० बालचन्द्रन,
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 99 पी० आर० एस० 011—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री रमेश चन्द्र, भारतीय रेल इन्जीनियर, सेवा के अधिकारी को 5 सितम्बर, 1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थानापन्न रूप से मुख्य तकनीकी परीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

रमेश चन्द्र, सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1979

सं० 98 आर० सी० टी० 18—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री एस० एल० गर्ग, आयोग में स्थायी वैयक्तिक सहायक को 5 सितम्बर, 1979 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थानापन्न रूप से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक नियुक्त करते हैं।

कृष्ण लाल मल्होत्रा
अवर सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 सितम्बर 1979

सं० 1-9/79-सी० एफ० एस० एल०/पर्स-1/6483—राष्ट्रपति, श्री एस० एस० कैन्थ, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशम), केन्द्रीय न्याय वैधक विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली, का त्यागपत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रक्षेप के पद पर से 31-8-1979 (अपराह्न) को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

दिनांक 13 सितम्बर 1979

सं० ए० 19036/4/78-प्रशा०-5—प्रत्यावर्तन हो जाने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराध स्कंध, कलकत्ता में पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में कार्यरत पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी श्री श्यामलेन्दु राय की सेवाएं दिनांक 1-8-79 के अपराह्न से पश्चिम बंगाल सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

की० ला० ग्रोवर,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक सितम्बर 1979

सं० ओ० दो० 1038/75-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर (श्रीमती) ऊषा जैन को 17-8-79 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिये अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें जो भी पहले हो, उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक 15 सितम्बर 1979

सं० ओ० दो० 559/69-स्थापना—राष्ट्रपति श्री जे० एस० अहलावत को तदर्थ पदोन्नति पर आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमाडेन्ट के पद पर अस्थाई रूप में नियुक्ति करते हैं।

श्री अहलावत ने बी० एस० पी० 11 बटालियन सी० आर० पी० एफ० के पद का कार्यभार दिनांक 12-7-79 के अपराह्न में छोड़ा तथा सहायक कमान्डेन्ट 45 बटालियन

सी० आर० पी० एफ० के पद का कार्यभार दिनांक 22-7-79 के अपराह्न से सम्भाला।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-19, दिनांक 10 अगस्त 1979

सं० ई० 16016/4/78-कार्मिक—भारत सरकार मुद्रणालय, कोराट्टी केरल से स्थानांतरण होने पर, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डा० पी० बी० वी० राव, सामान्य ड्यूटी अधिकारी, ग्रेड 2 से 6 अगस्त, 1979 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० प्रशिक्षण कालेज हैदराबाद में सहायक सर्जन ग्रेड-1 के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० ई० 32015/1/5/78-कार्मिक—राष्ट्रपति श्री प्रेम सिंह निहाल सिंह पंचाल को के० औ० सु० ब० में 20 अगस्त, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक अस्थाई तौर पर सहायक महानिरीक्षक (फायर) नियुक्त करते हैं।

सु० नाथ,
महानिरीक्षक, के० औ० सु० ब०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० 11/34/79-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, राजस्थान, जयपर में जनगणना कार्य निदेशालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री आर० सी० चन्दनानी को उसी कार्यालय में पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर तारीख 10 अगस्त, 1979 के पूर्वाह्न से या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री चन्दनानी का मुख्यालय जयपुर में होगा।

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री चन्दनानी को उस ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ तौर पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 10/23/78-प्रशा-1—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति लखनऊ में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निदेशालय में वरिष्ठ अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री ओ० भक्तन को नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में तारीख 18 अगस्त, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, सीधी भर्त्ती द्वारा, अस्थायी क्षमता में, नियमित आधार पर अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक अध्ययन) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. इन का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

दिनांक 14 सितम्बर 1979

सं० 10/79-प्रशा०—राष्ट्रपति भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी, श्री एस० राजगोपालन, को उसी कार्यालय में 14 सितम्बर 1979 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, इनमें से जो भी पहले हो, उप-निदेशक के पद पर तदर्थ आधार पर प्रतियिुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री राजगोपालन का मुख्यालय नई दिल्ली में ही होगा।

दिनांक 15 सितम्बर 1979

सं० 10/29/79-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक महापंजीकार (जनगणना और सारणीकरण) के पद पर कार्यरत श्री के० के० चक्रवर्ती को उसी कार्यालय में तारीख 11 सितम्बर, 1979 के अपराह्न से पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर, एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, इनमें से जो भी अवधि कम हो, उपमहापंजीकार (जनगणना और सारणीकरण) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री चक्रवर्ती का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

दिनांक 19 सितम्बर 1979

सं० 10/28/78-प्रशा०-I—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशालय में वरिष्ठ भूगोलवेत्ता के पद पर कार्यरत श्री आर० पी० सिंह को तारीख 30 अगस्त, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थाई क्षमता में, नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री सिंह का मख्यालय नई दिल्ली में होगा।

सं० 11/29/78-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति नई दिल्ली में, भारत के महापंजीकार के कार्यालय में अन्वेषक (सामाजिक अध्ययन) के पद पर कार्यरत श्री एस० एन० श्रीवास्तव को उसी कार्यालय में तारीख 30 अगस्त, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, सीधी भर्त्ती द्वारा, अस्थाई क्षमता में, सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री श्रीस्तव का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

सं० 11/58/79-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर, श्रीनिगर में जनगणना कार्य निदेशालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत श्री आगा सय्यद असग़र को जनगणना कार्य निदेशालय असम, गोहाटी में तारीख 30 अगस्त, 1979 के पूर्वाह्न से पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, इनमें से जो भी पहले हो, सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री असग़र का मुख्यालय गोहाटी में होगा।

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री असग़र को उस ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ तौर पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

पी० पद्मनाभ
भारत के महापंजीकार

प्रतिभूति कागज कारखाना,

होशंगाबाद, दिनांक 1 सितम्बर 1979

सं० पी० डी० 3/6496—श्री ए० के० घोष के दिनांक 31-8-79 पूर्वाह्न में सहायक कार्य प्रबन्धक के रूप में पदावनति के फलस्वरूप श्री एस० के० आनंद सहायक कार्य प्रबन्धक को उसी तारीख से फोरमेन (उत्पादन) के पद पर पदावनत किया जाता है।

म० रा० पाठक
महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा परिक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय, निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1979

सं० प्रशासन - I/का० आ० सं० 304/5-6/79-80 1163—श्रीमान् निदेशक, केन्द्रीय राजस्व ने इस कार्यालय के स्थाई अनुभाग अधिकारी श्री एच० सी० खत्री को 31-8-79 से स्थानापन्न लखापरीक्षा अधिकारी अगले आदेश मिलने तक नियुक्त किया है।

के० टी० छाया
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय निदेशक लेखा परिक्षा

वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध,

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1979

सं० प्रशासन एक/8/(14) 11/2501—भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने श्री एस० पद्मानाभन लेखापरीक्षा अधिकारी के कम्प्यूटर मैण्टीनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड में 1-1-79 से स्थायी विलयन के लिये संस्वीकृति प्रदान करती है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37 के अधीन उक्त कार्पोरेशन में स्थायी संविलयन को तिथि से उन्हें सरकारी सेवा से अवकाश-प्राप्त समझा जाए।

दिनांक 18 सितम्बर 1979

सं० प्रशासन एक/9 (1)/के० डब्ल्यू०/2674—भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने वित्त मंत्रालय की सहमति से श्री जी० एस० मित्तल, लेखापरीक्षा अधिकारी को हिन्दुस्तान कार्पोरेशन लिमिटेड में अप्रैल 2, 1979 से स्थायी संविलयन के लिए संस्वीकृति प्रदान कर दी है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 37 के अधीन उक्त कार्पोरेशन में स्थायी संविलयन की तिथि से उन्हें सरकारी सेवा से अवकाश-प्राप्त समझा जाये।

महेन्द्र सिंह सरना
निदेशक, लखापरीक्षा

महालेखाकार का कार्यालय केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० स्थापना प्र० 7/9-86/खण्ड 2/141—नीचे बताये स्थायी अनुभाग अधिकारियों (लेखा और लेखापरीक्षा) को प्रत्येक के नाम के सामने लिखित तारीख से अगले आदेशों तक लेखा अधिकारियों के रूप में स्थानापन्न होने हेतु नियुक्त करने के लिए महालेखाकार, केरल, संतुष्ट हुए हैं :—

1. श्री आर० हरिहर देवराज अय्यर	1-9-79	अपराह्न
2. श्री एम० टी० जार्ज	1-9-79	अपराह्न
3. श्री टी० एन० शंकरनारायण अय्यर (प्रोफार्मा)	1-9-79	अपराह्न

डी० एस० अय्यर
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद, दिनांक 10 सितम्बर 1979

सं० प्रशा० I/8-182/79-80/94—श्री पी० वेंकटरमणा राव, लेखा अधिकारी, महा लेखाकार का कार्यालय, आंध्र प्रदेश I/II में सेवा से निवृत्त हुए—दि० 30-4-1979 अपराह्न।

सं० प्रशा० I/8-132/79-80/94—श्री सय्यद इरफान हुसैन, लेखा अधिकारी, महालेखाकार का कार्यालय, आंध्र प्रदेश I/II में सेवा से निवृत्त हुए—दिनांक 30-6-79 अपराह्न।

सं० प्रशा० I/8-1/32/79-80/94—श्री जी० बी० सत्यनारायण शास्त्री, लेखा अधिकारी, महालेखाकार का कार्यालय, आंध्रप्रदेश I/II में सेवा से निवृत्त हुए—दिनांक 30-6-79 अपराह्न।

सं० प्रशा० I /8-1/32 /79-80/94—श्री बी० आर० कुलकर्णी लेखा अधिकारी महा लेखाकार का कार्यालय आंध्र प्रदेश III में सेवा से निवृत हुए—दि० 31-8-79 अपराह्न ।

रा० हरिहरन
वरिष्ठ उप लेहामाखाकार
(प्रशासन)

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 अगस्त 1979

सं० ए० 19018 (65)/73-प्रशासन (राजपत्रित)—राष्ट्रपतिजी, लघु उद्योग सेवा संस्थान, श्रीनगर के श्री ललित कृष्ण, सहायक निदेशक, ग्रेड-1 (यांत्रिक) को दिनांक 1 अगस्त, 1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए उसी संस्थान में उप निदेशक (यांत्रिक) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-19018 (383)/79-प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपतिजी, श्री ए० के० मक्कड़ को दिनांक 26 जुलाई, 1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, जम्मू में सहायक निदेशक, ग्रेड-1 (यांत्रिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-19018(405)/79-प्रशा० (राज०)—राष्ट्रपतिजी, श्री पी० टी० थामस को दिनांक 3 अगस्त, 1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद में सहायक निदेशक, ग्रेड 1 (यांत्रिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र पाल गुप्त
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 13 सितम्बर 1979

सं० ए० 19011/153/76-स्था० ए०—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति भारतीय खान ब्यूरो के श्री मीरुल हसन सहायक खान नियंत्रक को दिनांक 3-8-79 के अपराह्न से उसी विभाग में स्थानापन्न रूप से उप खान नियंत्रक के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

दिनांक 14 सितम्बर 1979

सं० ए० 19012/21/77-स्था० ए०—श्री एम० एन० चारी स्थाई खनिज अधिकारी (सांख्यिकी) को दिनांक 2 अगस्त, 1979 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक खनिज अर्थशास्त्री (सांख्यिकी) के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

एस० बालागोपाल
कार्यालय अध्यक्ष

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1979

सं० एफ० 11-9/79-ए०-1—अभिलेख निदेशक, भारत सरकार एतद्द्वारा कु० गुलिस्तान कपाडिया स्थायित्व सहायक अभिलेखाधिकारी ग्रेड 1 (सामान्य) को बिलकुल तदर्थ आधार पर दिनांक 10-9-79 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न अभिलेखाधिकारी (सामान्य) (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी) नियुक्त करते हैं।

उन्हें याद रहे कि यह तदर्थ नियुक्ति अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता और वरिष्ठता सम्बन्धी उद्देश्य के लिये नही गिनी जाएगी और नियमित नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकारी प्रदान नहीं करेगी।

बी० एस० कालड़ा
प्रशासन अधिकारी
कृते अभिलेख निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1979

सं० 1/13/78-एस०-2—सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को आकाशवाणी में उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथियों व कार्यालयों में लेखा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर 840-1200 रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया जाता है :—

क्र० सं० (1)	नाम (3)	तिथि (2)	कार्यालय जहां नियुक्त किया (4)
1.	श्री बी० एन० इनामदार, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, फिल्म प्रभाग बम्बई।	11-6-79 (अपराह्न)	क्षेत्रीय अभियन्ता (पश्चिम) आकाशवाणी, बम्बई।
2.	श्री ए० बी० लक्ष्मी नारायनन, कनिष्ठ लेखा, अधिकारी सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	31-5-79 (पूर्वाह्न)	क्षेत्रीय अभियन्ता (उत्तर) आकाशवाणी, नई दिल्ली

1	2	3	4
3.	श्री बाई० आर० खटटर, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	20-6-79 (पूर्वाह्न)	केन्द्रीय भण्डार, आकाशवाणी, नई दिल्ली
4.	श्री सी० वी० बालसुन्द्ररम कनिष्ठ लेखा अधिकारी, आकाशवाणी, मद्रास ।	31-5-79 (पूर्वाह्न)	क्षेत्रीय अभियन्ता (दक्षिण), आकाशवाणी, मद्रास ।

एस० वी० सेषाद्री
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० 6 (9)/62-एस० I—श्री एस० दत्ता विस्वास, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, कलकत्ता. निवर्तन आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31 जुलाई, 1979 से सेवा निवृत्त हो गए है।

नन्द किशोर भारद्वाज
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

कलकत्ता-12, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० एफ० 70-2/79-स्थापन/16593—भारतीय प्राणि सवक्षण, मुख्यालय, कलकत्ता के निम्नलिखित वरिष्ठ प्राणि विज्ञान सहायकों को, सहायक प्राणिविज्ञानी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर, 650 रु०—1200 रु० के वेतन-मान में, इस विभाग के कलकत्ता मुख्यालय में अस्थाई रूप से तदर्थ आधार पर, 31 अगस्त, 1979 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया जा रहा है।

1. श्री ए० आर० लाहिड़ी
2. श्री एन० सी० नन्दी

डा० टी० एन० अनन्तकृष्णन
निदेशक
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० ए० 38013/3/79-एच० क्यू० प्रशासन I—सेवा निवतन आयु के हो जाने पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में आसिस्टैन्ट आर्किटेक्ट (सहायक वास्तुविद) श्री टी० एस० गिल 30 जन, 1979 अपराह्न से सरकारी सेवा से रिटायर हो गये है।

दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० ए० 12026/1/76-(एच० क्यू०) प्रशासन I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री राम जी प्रसाद को 17 अगस्त, 1979 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नई दिल्ली में तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा सामग्री संगठन) के पद पर तैनात किया है।

दिनांक 15 सितम्बर 1979

सं० ए० 12026/9/78 (मुख्या) प्रशासनI—राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सहायक वस्तुविदों सर्व श्री आर० सी० कुमार तथा एम० एस० सहगल को 4 अगस्त, 1979, पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में उप-वास्तुविद के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

2. सर्व श्री आर० सी० कुमार तथा एम० एस० सहगल ने अपनी नियुक्ति उप-वास्तुविद के पद पर हो जाने के परिणामस्वरूप 4 अगस्त, 1979 पूर्वाह्न से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक वास्तुविद के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

शाम लाल कुठियाला
उप निदेशक प्रशासन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० 2 (11)/77-स्था० (I)—सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (दृश्य) के पद पर श्री पी० बी० दत्त की तदर्थ नियुक्ति 28 फरवरी, 1979 से आगे 29 फररी, 1980 तक बनी रही।

सं० 2(11)/77-स्था०(I)—सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (कोटि प्रथम) के पद पर श्री के० बी० नायर की तदर्थ नियुक्ति 28 फरवरी, 1979 से आगे 29 फरवरी, 1980 तक बढ़ा दी गयी है।

बद्रीनाथ चढ्ढा
निदेशक प्रशासन

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० ए० 19023/57/78-प्र०III — विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री एम० चक्रवर्ती

को जो फरीदाबाद में तदर्थ आधार पर विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद पर काम कर रहे हैं, तारीख 24-8-79 से अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर फरीदाबाद में स्थानापन्न विपणन अधिकारी (वर्ग I) के रूप में पदोन्नति किया गया है।

सं० ए० 19023/10/79-प्र० III —इस निदेशालय में मुख्य रसायनज्ञ के पद से विपणन अधिकारी (वर्ग III) के पद पर प्रत्यावर्तन होने के बाद तारीख 16-8-79 के अपराह्न में श्री चन्द्र मोहन ने गाजियाबाद में मुख्य रसायनज्ञ के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और तारीख 17-8-79 के पूर्वाह्न से नई दिल्ली में विपणन अधिकारी (वर्ग III) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० ए० 19023/79/-प्र०III —सेवा निवृत्ति की आयु पूर्ण करने पर इस निदेशालय के विपणन अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण तारीख 31-7-79 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं।

दिनांक 15 सितम्बर 1979

सं० ए० 19025/13/79-प्र० III —विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर श्री एन० वेन्कटरामन, वरिष्ठ निरीक्षक को इस निदेशालय में कुप्पम में दिनांक 27-8-1979 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग) पदोन्नति किया गया है।

बी० एल० मनिहार
प्रशासन निदेशक
कृते कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग

बम्बई-5, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० पी० पी० ई० डी०/3 (282)/76-प्रशासन/13738 विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग, बम्बई के निदेशक, रक्षा लेखा नियंत्रक, फैक्ट्रीज कलकत्ता के कार्यालय के अनुभाग अधिकारी (लेखा) श्री एस० नागराज को इस प्रभाग में प्रतियुक्ति के शर्तों पर अगस्त 21, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक रुपये 650-30-740-35-880 द० रो० 40-960 के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

ब० वि० थत्ते
प्रशासन अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई, 400 001, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० 23/2/77/स्था०/21163—निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री आई० पी० मेनोन को अवकाश स्वीकृत होने के कारण इस निदेशालय के अस्थायी भंडारी लक्ष्मणहरिश चन्द्र बगवे को स्थानापन्न रूप से सहायक भंडार अधिकारी पद पर रुपये 650-30-740-35-810 द० रो० 35-1000 द० रो० 40-1200 के वेतन क्रम में दिनांक 15-5-79 (पूर्वाह्न) से 16-6-79 (अपराह्न) तक तदर्थ रूप से इसी निदेशालय में नियुक्त करते हैं।

सं० 23/2/77/स्थापना०/21250—निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग श्री एन० जॉन जॉनी को अवकाश स्वीकृत होने के कारण इस निदेशालय के अस्थायी भंडारी श्रीबालकृष्ण धर्म मोरे को स्थानापन्न रूप से सहायक भंडार अधिकारी पद पर रुपये 650-30-740-35-810 द० रो० 35-1000 द० रो० 40-1200 के वेतन क्रम में दिनांक 30-4-79 (पूर्वाह्न) से 16-6-79 (अपराह्न) तक तदर्थ रूप से इसी निदेशालय में नियुक्त करते हैं।

सी० वी० गोपालकृष्णन
सहायक कार्मिक अधिकारी

(परिमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद-500 016, दिनांक 23 अगस्त 1979

सं० प० ख० प्र० 1/12/79 प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परामाणु खनिज प्रभाग के निदेशक परमाणु खनिज प्रभाग के हिन्दी अनुवादक श्री सोम नाथ सचदेव को उसी प्रभाग में 18 अगस्त 1979 की पूर्वाह्न से 17 सितम्बर 1979 की अपराह्न तक की अवधि के लिए श्री टी० एस० नारायणन, सहायक कार्मिक अधिकारी जिन्हें छुट्टी प्रदान की है, के स्थान पर पूर्णतया अस्थायी तौर पर सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एम० एस० राव,
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी परियोजना

बम्बई-400 008, दिनांक 11 अगस्त 1979

सं० 05045/79/5434—भारी पानी परियोजना के, विशेषकार्य अधिकारी इसके साथ, श्रीमती कन्नम् पिल्लिल पद्मानाभा मेनन कल्याणीकुट्टी, सहायक कार्मिक अधिकारी, भारी पानी परियोजना (मुख्य कार्यालय) को 1 जनवरी, 1979 से मूल रूप से उसीपद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 05052/78/5456—भारी पानी परियोजना के, विशेष कार्य-अधिकारी श्री अशोक कुमार, अस्थायी फोरमैन, भारी पानी परियोजना (तलचर) को उसी परियोजना में 1 अगस्त, 1978 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक के लिए स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता (ग्रेड एस० बी०) नियुक्त करते हैं।

दिनांक 13 सितम्बर 1979

सं० 05000/स्वा० 357/5476—भारी पानी परियोजना के, विशेष कार्य-अधिकारी, श्री वी० बी० स्वामी, स्थायी लेखा-परीक्षक तथा महालेखाकार कार्यालय (उड़ीसा) भुवनेश्वर के स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी को भारी पानी परियोजना (तल्चर) में 16 जुलाई, 1979 (अपराह्न) से आगे आदेश होने तक के लिए अस्थायी तौरपर स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के० शंकरनारायणन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र

कलपाक्कम, दिनांक 31 अगस्त 1979

सं० ए० 32023/1/77-आर०—श्री एस० आर० साम्बशिवन ने उस पद का कार्यभार 30 अगस्त, 1979 के अपराह्न से छोड़ दिया, जिस पर उनकी पदोन्नति इस केन्द्र की तारीख 17 जुलाई, 1979 की अधिसूचना सं० ए० 32023/1/77/आर०-11271 द्वारा तदर्थ आधार पर 16 जुलाई, 1979 से की गई थी।

टी० एस० वी० अय्यर
प्रशासनिक अधिकारी
कृते परियोजना निदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली दिनांक 10 सितम्बर 1979

सं० ए० 12025/8/76-ई० —इस विभाग की दिनांक 8 फरवरी, 1979 की अधिसूचना सं० ए० 12025/8/76 ई० के क्रम में राष्ट्रपति ने सर्वश्री बी० के० गांधी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक वैमानिकी और जे० एस० चौहान, वरिष्ठ तकनीकी सहायक विभान मूल्यांकन को नागर विमानन विभाग में दिनांक 24-7-79 के बाद 18-10-79 तक की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्त होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में में नियुक्त किया है।

सं० ए० 32013/7/79-ई० I —इस विभाग की दिनांक 30 मई, 1979 की अधिसूचना सं० ए० 32013/7/79-ई० I के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री कुलदीप राय, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (वैमानिकी) को नागर विमानन विभाग में दिनांक 24 जुलाई, 1979 से आगे 18-10-79 तक की अवधि के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है।

सी० के० वत्स
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1979

सं० ए० 38013/1/79-ई० ए०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जे० एल० विक्टर, विमानक्षेत्र अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, बम्बई, क्षेत्र बम्बई एयरपोर्ट बम्बई दिनांक 31 अगस्त, 1979 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

वी० बी० जौहरी
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० ए० 32013/3/9/78-ई० सी० —इस विभाग की दिनांक 3-3-79 की अधिसूचना संख्या ए० 32013/9/78 ई० सी०, दिनांक 22-3-79 की सं० ए० 32013/9/78 ई० सी० और दिनांक 16-6-79 की अधिसूचना सं० ए० 32013/9/78 ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक तकनीकी अधिकारियों की तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ पदोन्नति की अवधि प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख के बाद 31-12-79 तक बढ़ाने की अनुमति दी है :—

क्र० सं० (1)	नाम (2)	तैनाती स्टेशन (3)	लगातार तदर्थ नियुक्ति की अवधि (4)
1.	श्री सी० एल० मलिक	वै० सं० स्टेशन, बम्बई	1-8-79 के बाद और 31-12-79 तक
2.	श्री एच० ए० शेटटी	वै० सं० स्टेशन, बंगलोर	20-11-79 के बाद और 31-12-79 तक
3.	श्री के० एन० एस० मणि	वै० सं० स्टेशन, मद्रास	1-7-79 के बाद और 31-12-79 तक
4.	श्री ए० शंमुघम	वै० सं० स्टेशन, मद्रास	1-7-79 के बाद और 31-12-79 तक
5.	श्री के० आर० रामनुजम	वै० सं० स्टेशन, बम्बई	1-8-79 के बाद और 31-12-79 तक

(1)	(2)	(3)	(4)
6. श्री ओ० पी० छाबड़ा	. . .	वै० सं० स्टेशन, पालम	1-7-79 के बाद और 31-12-79 तक
7. श्री वी० एस० मित्रा	. . .	रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	1-7-79 के बाद और 31-12-79 तक

दिनांक 15 सितम्बर 1979

सं० ए० 32013/8/79-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित तीन सहायक तकनीकी अधिकारियों को छः मास के लिए अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है। नियुक्ति की तारीख और तैनाती स्टेशन प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए हैं :—

क्र० सं०	नाम	मौजूदा तैनाती स्टेशन	जिस स्टेशन पर तैनात किए गए	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	श्री डी० एस० गिल . . .	केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो, नई दिल्ली	निदेशक, रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली	3-8-79 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एस० पी० साहनी . .	निदेशक रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	निदेशक रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	2-8-79 (पूर्वाह्न)
3.	श्री वी० सुब्र मण्यम	वै० सं० स्टेशन, मद्रास	वै० सं० स्टेशन, बम्बई	10-8-79 (पूर्वाह्न)

एस० एन० मोतवानी
विशेष कार्य अधिकारी (ई)

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० 1/226/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महा-निदेशक एतद्द्वारा पुणे शाखा के स्थानापन्न तकनीकी सहायक, श्री आर० एम० कुम्भार को 7 मई 1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

सं० 1/421/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महा-निदेशक एतद्द्वारा मद्रास शाखा के तकनीकी सहायक, श्री डी० पी० कन्नन को 11 जुलाई, 1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक उसी शाखा में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 1/36/79-स्था०—मुख्य कार्यालय, बम्बई के स्थायी प्रशासन अधिकारी, श्री एम० एस० कृष्णस्वामी निवर्तन की आयु के हो जाने पर 30 जून, 1979 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

सं० 1/83/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महा-निदेशक एतद्द्वारा मुख्य कार्यालय, बम्बई के स्थायी परियात लेखाकार, श्री एक० के० वर्मा को अल्पकालीन खाली जगह पर 16-4-1979 से 17-6-1979 तक की अवधि के लिए उनके पहले स्थानापन्नता के क्रम में 17-6-1979 से आगे और 16-7-1979 तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से परियात लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० 1/481/79-स्था०—विदेश संचार सेवा के महा-निदेशक एतद्द्वारा मद्रास शाखा के पर्यवेक्षक, श्री एम० बालकृष्णन को निम्नलिखित अवधियों के लिए उसी शाखा में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबंधक नियुक्त करते हैं :—

से	तक
1. 23-10-1978	29-1-1979
2. 28-2-1979	7-4-1979
3. 26-4-1979	10-5-1979

एच० एम० मलहोत्रा
उप निदेशक (प्रशा०)
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्त्तालय

पटना, दिनांक 13 सितम्बर 1979

सं० II (7)/2-स्था/79/11990—इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 309/78 दिनांक 10/11/78 और 310/78 दिनांक 10/11/78 के अनुसार निम्नलिखित निरीक्षकों को रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000 द० रो० 0-1200/- तथा नियमान्तर्गत देय सामान्य भत्तों के सहित वेतनमान पर स्थानापन्न अधीक्षक, ग्रुप 'बी', केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा

शुल्क के रूप में प्रोन्नत किया गया। उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में उनके नाम के सामने दिखाए गये स्थान, तिथि और समयानुसार कार्यभार ग्रहण किया।

क्र० सं०	नाम	जहां पदस्थापित किये गये	कार्य ग्रहण की तिथि	
सर्वश्री				
(1)	सी० एम० जेराई	अधीक्षक, के० उ० शु० (नि०), जमशेदपुर,	28-11-78	(पूर्वाह्न)
(2)	तारीणी प्रसाद	अधीक्षक, सीमा शुल्क सिमणही (सहरसा)	29-12-78	(पूर्वाह्न)
(3)	महेश चन्द्र प्रसाद	अधीक्षक, के ० उ० शु०, पटना (एस० आर० पी०)	8-2-79	(पूर्वाह्न)
(4)	तारकेश्वर नाथ सिंह	अधीक्षक, के० उ० शु०, पटना प्रमण्डल	17-11-78	(पूर्वाह्न)
(5)	रेवती रमण सिन्हा नं० 1	अधीक्षक, सी० शु०, मुजफ्फरपुर	16-12-78	(पूर्वाह्न)
(6)	लखन लाल	अधीक्षक, के० उ० शु०, करनपुरा (एस० आर० पी०)	30-1-79	(पूर्वाह्न)
(7)	कृष्ण कुमार सिन्हा	अधीक्षक (स्वर्ग) (नि०) पटना	15-11-78	(पूर्वाह्न)
(8)	बलराम प्रसाद	अधीक्षक, सीमा शु० (नि०), रक्सौल	5-12-78	(पूर्वाह्न)
(9)	अहमद बसीर	अधीक्षक, सीमा शुल्क, गड़हड़ा ट्रान्सीपमेन्ट यार्ड	12-3-79	(पूर्वाह्न)
(10)	कल्याण कुमार राय	अधीक्षक, के० उ० शु०, जामादेबा (एस० आर० पी०)	16-1-79	(पूर्वाह्न)
(11)	विन्ध्याचल सिंह	अधीक्षक सीमा शुल्क, मुजफ्फरपुर	20-11-78	(पूर्वाह्न)
(12)	राजेश्वर प्रसाद	अधीक्षक के० उ० शु० (नि०), धनबाद	16-11-78	(पूर्वाह्न)
(13)	मुस्ताक आलम	अधीक्षक के० उ० शु०, महुदा (एस० आर० पी०)	19-1-79	(पूर्वाह्न)
(14)	सुव्रतो बनर्जी	अधीक्षक, हजारीबाग (एस० आर० पी०)	12-12-78	(पूर्वाह्न)
(15)	राम छबीला प्र० सिंह	अधीक्षक, के० उ० शु०, बरकाकाना (एस० आर० पी०)	29-1-79	(पूर्वाह्न)
(16)	हरि प्रसाद दुबे	अधीक्षक, सीमा शु० (नि०) फारबिसगंज	28-11-78	(पूर्वाह्न)
(17)	हजारी सिंह	अधीक्षक, के० उ० शु० पूर्णिया रेंज	16-3-79	(पूर्वाह्न)
(18)	जनार्दन प्र० सिंह	अधीक्षक, के उ० शु०, सिजुआ (एस० आर० पी०)	17-11-78	(पूर्वाह्न)
(19)	मन मोहन पान्डे	अधीक्षक, के० उ० शु०, बेरमो	29-11-78	(पूर्वाह्न)
(20)	के० सी० चक्रवर्ती	अधीक्षक, के० उ० शु०, बरौनी (एस० आर० पी०) रेंज	23-11-78	(पूर्वाह्न)
(21)	गजेन्द्र प्रसाद	अधीक्षक, के० उ० शु०, हटिया रेंज	20-11-78	(पूर्वाह्न)
(22)	रघुनाथ चौधरी	अधीक्षक, के० उ० शु० (एस० आर० पी०) भौवरा	27-2-79	(पूर्वाह्न)
(23)	लक्ष्मी नारायण	अधीक्षक, के० उ० शु० (एस० आर० पी०) पटना	20-11-78	(पूर्वाह्न)
(24)	सुबोध चन्द्र मुखर्जी	अधीक्षक, सीमा शुल्क, किशनगंज	26-12-78	(पूर्वाह्न)
(25)	रणवीर प्रसाद	अधीक्षक, के० उ० श० कुसुनदा (एस० आर० पी०)	27-11-78	(पूर्वाह्न)

1	2	3	4
सर्वश्री			
(26) सीता राम मिश्रा		अधीक्षक, के० उ० शु०, मुगमा (एस० आर० पी०)	18-1-79 (पूर्वाह्न)
(27) रामयश चौबे		अधीक्षक, के० उ० शु०, (एस० आर० पी० रेंज), सोनारडीह	22-1-79 (पूर्वाह्न)

डी० के० सरकार
समाहर्त्ता
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पटना

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नयी दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1979

सं० 8/79—श्री पी० पी० सिंह चतुर्थ ने, जो पहले नई दिल्ली में फैक्ट्रियों के सहायक मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे थे, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 18-7-79 के आदेश सं० 140/79 (फा० सं० ए०-22012/20/78 प्रशा०-) द्वारा स्थानांतरण होने पर, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में दिनांक 20-7-79 के (पूर्वाह्न से) निरीक्षण अधिकारी ग्रुप 'क' (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

दया सागर,
निरीक्षण निदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 1979

सं० ए०-19012/235/71-प्रशा० पांच—अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग एतद द्वारा श्री एम० एस० चावला, अतिरिक्त सहायक निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सरकारी सेवा से दिये गए त्यागपत्र को 31 अगस्त, 1979 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

जे० के० साहा
अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022, दिनांक 20 जून 1979

सं० 6/3/78-प्र०-2/अध्यक्ष—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित तकनीकी सहायकों/पर्यवेक्षकों को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (श्रेणी-2) सेवा में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता के ग्रेड में उनके नामों के सामने दी गई तिथियों के अग्र आदेश होने तक स्थानापन्न पर नियुक्त करते हैं :—

1	2	3
1.	श्री बी० पी० एस० फौजदार, तकनीकी सहायक	3-5-79
2.	श्री ए० के० अग्निहोत्री, तकनीकी सहायक	9-5-79
3.	श्री आई० ए० खान, तकनीकी सहायक	3-5-79
4.	श्री एस० एन० मोहन्ती तकनीकी सहायक	3-5-79
5.	श्री बी० के० सिंगला तकनीकी सहायक	3-5-79
6.	श्री बी० जगन्ना तकनीकी सहायक	3-5-79
7.	श्री ओ० पी० अरोड़ा तकनीकी सहायक	3-5-79
8.	श्री आर० एन० माथुर तकनीकी सहायक	3-5-79
9.	श्री जी० जी० पाल तकनीकी सहायक	11-5-79
10.	डी० के० बबूटा तकनीकी सहायक	3-5-79
11.	श्री आर० के० शर्मा तकनीकी सहायक	3-5-79
12.	श्री एस० के० सब्बूजा तकनीकी सहायक	4-5-79
13.	श्री एच० के० खंडूजा तकनीकी सहायक	3-5-79
14.	श्री ओम प्रकाश-II तकनीकी सहायक	3-5-79
15.	श्री सुनील कुमार तकनीकी सहायक	4-5-79

16. श्री यू० के० सिंघल तकनीकी सहायक	3-5-79	24. श्री चंदन राय तकनीकी सहायक	30-5-79
17. श्री एस० के० श्रीवास्तव-1 तकनीकी सहायक	3-5-79	25. श्री आर० सी० तिवारी तकनीकी सहायक	3-5-79
18. श्री टी० सी० सान्याल तकनीकी सहायक	8-5-79	26. श्री ए० के० सूद तकनीकी सहायक	3-5-79
19. श्री आर० एस० मूरजानी तकनीकी सहायक	3-5-79	27. श्री बटटों सिंह तकनीकी सहायक	3-5-79
20. श्री टी० आर० बहल तकनीकी सहायक	3-5-79	28. श्री ए० एस० राय पर्यवेक्षक	8-6-79
21. श्री आर० के० गर्ग तकनीकी सहायक	3-5-79	29. श्री के० एस० संधू पर्यवेक्षक	4-6-79
22. श्री आर० सी० सुब्बाराजू तकनीकी सहायक	7-5-79	30. श्री सुरिन्द्र प्रसाद पर्यवेक्षक	8-6-79
23. श्री राकेश धनोट तकनीकी सहायक	3-5-79		संतोष विश्वास अवर सचिव

निर्माण महानिदेशालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1979

सं० 33/5/78-ई० सी०-9—निर्माण महानिदेशक के० लो० नि० वि०, संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित नामितों की नियुक्तियां सहायक वास्तु विदों के अस्थायी पदों पर रूपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-120 के वेतनमान में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	नाम (सर्वश्री)	सहायक वास्तुविद के नाते नियुक्ति का दिन	वेतन	टिप्पणी
1.	टी० श्रीनिवासल्लू . . .	17-8-79 (पूर्वाह्न)	रुपये 650/- प्रतिमाह	वेतन शीघ्र ही नियमानुसार पुनः नियत किया जाएगा।
2.	पी० जी० पॉटेकर . . .	30-8-79 (पूर्वाह्न)	रुपये 650/- प्रतिमाह	वही

(2) उपर्युक्त अनुसार दोनों अधिकारियों को सहायक वास्तुविदों के नाते उनकी नियुक्ति के दिन से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(3) श्री टी० श्रीनिवासल्लू की तैनाती वरिष्ठ वास्तुविद (उत्तरी अंचल)-7 एकक, के०लो०नि०वि०, रामकृष्ण पुरम तथा श्री पी० जी० पॉटेकर की तैनाती वरिष्ठ वास्तुविद (एशियाई क्रीडा) एकक, के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली में की जाती है।

सु० सू० प्रकाशराव
प्रशासन उपनिदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 सितम्बर 1979

सं० 78/आर० ई०/161/1—रेल लाइनों और परिसरों के सभी उपयोगकर्ताओं की आम सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाडा-चिराला खंड पर कि० मी० 580/472.20 से 583/560.40 और 431/576.15 से 336/820.95 तक (आर० ई० संरचना एल० एस० /1 से 583/23-24 और टी० वाई०/163 से 336/27-28) रेल पथ ऊपरी उपस्कर में 30 सितम्बर 1979 से 25000 बोल्ट ए० सी० बिजली प्रवाहित कर दी जायेगी।

जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे:

(1) उक्त खंड में बिजली कर्षण तारों और फिटिंग्स से दूर रहें;

2. इस प्रकार की तारों और फिटिंग्स की ओर न तो स्वयं जाएं और न ही खम्बों, बांसों, धातु की छड़ों, इत्यादि

चीजों से छूकर उनके सम्पर्क में जायें, क्योंकि ऐसा करना घातक होगा ;

3. घायल होने से बचने के लिए डिब्बों से बाहर न झुकें और न ही अपने शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालें क्योंकि कर्षण तारों के लिए रेल-पथ के दोनों ओर इस्पाती मस्तूल लगाये गये हैं ;

4. बिजली फिटिंग्स और ऊपरी बिजली तारों से कम से कम दो मीटर दूर रहें ;

5. ऊपरी तारों के पास न जायें और न ही उनके निकट काम करें ।

6. फुट-बोर्डों पर यात्रा न करें और न ही डिब्बों की छत पर चढ़कर यात्रा करें, क्योंकि यह घातक सिद्ध हो सकता है ;

7. उपर्युक्त खंडों पर सभी समपारों पर ऊंचाई मापक लगाये गये हैं, जो सड़क के स्तर से 4.67 मीटर (15 फुट 4 इंच) की स्पष्ट ऊंचाई पर हैं, ताकि अत्यधिक ऊंचाई वाले भार बिजलीयुक्त कर्षण तारों के सम्पर्क में न आयें या उनके खतरनाक सामीप्य में न आयें । वाहन लादते समय जनता को ऊपर निर्धारित ऊंचाई का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़क वाहनों में ले जाय जाने वाले भार किसी भी हालत में ऊंचाई मापकों का उल्लंघन न करें ;

8. यदि कोई टूटे हुए तार देखें, तो इसकी सूचना निकटस्थ स्टेशन मास्टर को दें ।

इस चेतावनी की उपेक्षा करने के कारण होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार न होगा ।

के० बालचन्द्रन,
सचिव, रेलवे बोर्ड ।

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० 16—परीचालन एवम् विपुणन विभाग के निम्न-लिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दी गई तिथि से अंतिम रूप से रेल सेवा से निवृत हो गये हैं ।

1. श्री एम० जी० भक्तयानी, एस० सी० ओ० (सी० पी०)—31-8-1979 अपराह्न

2. श्री के० एन० मेहरो ला, ए० ओ० एस०/इलाहाबाद—31-8-79 अपराह्न) ।

आर० के० नटेसन
महा प्रबन्धक

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी लॉ बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और एसकार्टस फार्म्स हटैचरीज प्रा० लिमिटेड के विषय में ।

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 1979

सं० 5989/14776—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 60 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एस्कार्ट्स फार्म्स हटैचरीज प्रा० लि० का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

जी० बी० सक्सैना,
सहायक रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, दिल्ली ।

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मेसर्स दि अमलगमेटेड इक्सपोर्ट कोरपोरेशन लिमिटेड के विषय में ।

बम्बई, दिनांक 6 सितम्बर 1979

सं० 11372/560 (3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स अमलगमेटेड इकसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्षित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

एल० एम० गुप्ता
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 (2) के अधीन सूचना ।

बम्बई, दिनांक 6 सितम्बर 1979

सं० 9074/लिक्वि—कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में और रूबचे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में । सिविल अर्जी सं० ··· में में स्थित उच्चन्यायालय के तारीख 2-10-78 के आदेश द्वारा रूबचे कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445(2) के अधीन सूचना ।

सं० 10904/Liq.—कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में और वरुणा सिंडिकेट प्रायवेट लिमिटेड के मामले में

सिविल अर्जी सं० ···· में ··· में स्थित उच्चन्यायालय के तारीख 19-11-1978 के आदेश द्वारा वरुणा सिंडीकेट प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है ।

ह/- अपठनीय
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और "श्री जेयंती शूगर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

पांडिचेरी, दिनांक 10 सितम्बर 1979

सं० 141/560(3)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर "श्री जेयंती शूगर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी ।

एस० आर० वी० वी० सत्यनारायना
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
पांडिचेरी

कम्पनी अधिनियम 1956 और नवरतन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कटक, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० एस० ओ०/718-2584 (2)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नवरतन इन्वेस्टमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम, इस के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और अखन्डला मणी सेवीगंस एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कटक, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० एस० ओ० 17301/2639 (2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर अखण्डला मणी सेवीगंस एण्ड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और उड़ीसा क्रोमेट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कटक, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० एस० ओ० 1693/2642 (2)—कम्पनी अधि-नियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनु-सरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर उड़ीसा क्रोमेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

डि० के० पाल,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और कोहिनूर पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 15916/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की धारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर कहिनूर पिकचर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और आर० के० माखन एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 24/91/560 (3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर आर० के० माखन एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और अलाइड अपेरेल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 241432/560 (5)— कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अलाइड अपेरेल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रर के काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और गिडनी मिन्रल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कलकत्ता, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 24864/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर गिडनि मिन्रल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और स्थल मैन्युफैकचरिंग इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 30822/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर स्थल मैन्युफैकचरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और फुल क्रम देनारी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 26343/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर फुल क्रम देनारी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और राम ग्यासैस लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 29003/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर राम ग्यासेस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मित्र बिदार प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 12 सितम्बर 1979

सं० 21725/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मित्र बिदार प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

कम्पनी अधियिनम 1956 और प्रतापगर, ट्रास्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कलकत्ता, दिनांक 18 सितम्बर 1979

सं० 16308/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतापगर ट्रास्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एन० आर० सरकार
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बालकृष्ण कपूर एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 1979

सं० 1402/15092—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बालकृष्ण कपूर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

हर लाल
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टोर्स डाइज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० 560/598—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स स्टोर्स डाइज एंड कैमिकल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधियिम, 1956 और मैसर्स दी भावनगर पब्लिक डेरी लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० /560/721—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दी भावनगर पब्लिक डेरी लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण वर्णित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शुभदर्शनी प्रिन्टर्स एण्ड इन्टरप्राइसीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० 560/2337—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शुभदर्शनी प्रिन्टर्स एण्ड इन्टरप्रिसीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नाइलोटेक्ष इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० 560/2133—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, मैसर्स नायलोटेक्ष इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अहमदाबाद फाईनान्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 17 सितम्बर 1979

सं० 560/2186—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, मैसर्स अहमदाबाद फाईनान्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पन विघटित हो गयी है।

जे० गो० गाथा
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य,
अहमदाबाद

आयकर आयुक्त, केन्द्रीय कार्यालय

कलकत्ता, दिनांक 20 जुलाई 1979

सं० ई०/7416/सी० टी० सी० 2 ई-1/79–80—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 124 (1) के अन्तर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर आयुक्त (केन्द्रीय-1), कलकत्ता, एतद्द्वारा अपने अधीन श्री सुभाष चन्द्र सेन, आ० अ० ग्रुप—"क" के कार्य-भार सम्भालने की तारीख से केन्द्रीय सर्किल—XXXIV कलकत्ता नामक एक सर्किल का सृजन करते हैं।

बोर्ड के आदेश एफ-सं० ए० 22013/1/79-एड-VI दिनांक 26/6/79 के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र सेन, आ० अ०, ग्रुप "क" जिनका तबादला एवं तैनाती केन्द्रीय, कलकत्ता चार्ज में हुआ हैं, की कार्य भार ग्रहण करनेकी तारीख से आ० आ०, के० सं०—XXXIV, कलकत्ता, के रूप में तैनात किया जाता हैं

बी० लक्ष्मीपति
आयकर आयुक्त (केन्द्रीय-1)
कलकत्ता

कार्यालय आयकर आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1979

विषय : कर वसूली अधिकारियों में कार्यभार का वितरण

सं० सी० आई० टी०-4/जुरि/टी० आर० ओ०/79-80/20170—उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1-7-78 के कार्यालय आदेश सं० 10537 में आंशिक संशोधन करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-4, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे कालम-2 में निर्दिष्ट कर वसूली अधिकारी दिनांक 1-9-79 से कालम 3 में निर्दिष्ट डिस्ट्रिक्टों/वार्डों के बारे में अपने कार्य करेगा।

क्र० सं०	पदनाम	काम का बंटवारा	आई० ए० सी० का प्रशासनिक नियंत्रण
1.	कर वसूली अधिकारी-19 नई दिल्ली	पहले के वार्ड 1. डि० 3 (3, 3) (14) 3(15), 3 (28), 3(29) और 3(35) 2. तीसरा अतिरिक्त सर्वे सर्किल-3 न० दि० 3. चौथा अतिरिक्त सर्वे सर्किल-3, नई दिल्ली नए पुनः पदनामित वार्ड डि० 3-डी (1) डि० 3-डी (2) डि० 3-डी (3) डि० 3-डी (4) डि० 3-डी (5) डि० 3-डी (6) डि० 3-डी (7) डि० 3-डी (8)	निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त आयुक्त 3-डी, नई दिल्ली
4.	डि० 3-ई० (1) नई दिल्ली		निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज 3-ई नई दिल्ली

रणबीर चन्द्र,
आयकर आयुक्त दिल्ली-4, नई दिल्ली

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 17 अगस्त 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 611—यतः, मुझे, सुख देव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है। तथा जो नई बसती भटिण्डा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिय तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लालचन्द पुत्र आत्मा सिंह मकान नं० 877/ए गली नं० विपन चन्द पाल, नई बसती, भटिण्डा।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती (1)सुन्दरी देवी पत्नी अमीन लाल (2) शीतल प्रशाद पुत्र अमीन लाल मारफत सुरेश मौटर कार कं० नजदीक पुराना बस स्टेंड, भटिण्डा।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० जो कि विलेख नं० 4523 जनवरी 79 जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में लिखा गया है।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 17-8-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 2 अगस्त 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 591:—यत: मुझे, सुख देव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो बाव में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या.

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कपूर सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी बान तहसील फिरोजपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री चरंजी लाल पुत्र बिहारी लाल वासी बान तहसील फिरोजपुर, ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय-20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन 48 कनाल पिंड बाव, तहसील फिरोजपुर जैसा कि विलेख नं० 1799 जून 1979 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा गया है ।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 2 अगस्त, 1979
मोहर :

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 2 अगस्त 1979

निदेश सं॰ ए॰ पी॰ नं॰ 592—यतः मुझे, सुख देव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो जो बाव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कपूर सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी बाव तहसील फिरोजपुर शहर फिरोजपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री बिहारी लाल पुत्र हरधियन राम वासी बाव तहसील फिरोजपुर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं॰ 2 में लिखा गया है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रकबा 16 कनाल पिंड बाव जैसा कि विलेख नं॰ 1800 जून 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा गया है।

सुख देव चन्द,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 2 अगस्त, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिण्डा, दिनांक 2 अगस्त 1979

निदेश सं० ए० पी 593—यतः मुझे, सुख देव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनुसूची में लिखा गया है तथा जो गली दवारीयन फाजिलका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फाजिलका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गोकल चन्द पुत्र शंकर दास वासी गली दवारीयन फाजिलका ।

(अन्तरक)

(2) श्री मुरालीलाल पुत्र अमीर चन्द वासी दवारीयन फाजिलका ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 5/340 गली दवारीयन फाजिलका जैसा कि विलेख नं० 3147 जनवरी 79 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा गया है ।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 2 अगस्त 1979
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिंडा, दिनांक 2 अगस्त 1979

निदेश सं० ए० पी० 594:—यतः मुझे, सुख देव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर अनसूची में लिखा गया है तथा जो मखु गेट सरकुलर रोड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-2-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रतन कुमार पुत्र फूल चन्द वासी मुहारीयां वाला, फिरोजपुर ।

(अन्तरक)

(2) श्री जसपाल पुत्र ओम प्रकाश, चन्द्र कान्ता पत्नी मुरलधराज हजारी लाल पुत्र बगवान सिंह काशी राम पुत्र बगवान दास ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का हिसा स्थित मखु गेट सरकुलर रोड फिरोजपुर जैसा कि विलेख नं० 5669 फरवरी 1979 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिरोजपुर में लिखा गया है ।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण,)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 2 अगस्त 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 2 अगस्त, 1979

निदेश सं० ए० पी० 595—यतः मुझे, सुख देव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि ऊपर सूची में लिखा गया है तथा जो मण्डी सेखू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बिहारी लाल पुत्र सुदागर चन्द पुत्र खेम चन्द वासी मण्डी सेखू।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रम जीत सिंह पुत्र दिलराज सिंह पुत्र रणजीत सिंह और इन्द्र जीत पुत्र बचवा राम पुत्र मंगलराम वासी मलोट मण्डी।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रकबा 58 कनाल 6 मरला पिंड दावेवाला जैसा कि विलेख नं० 444 मई—दिसम्बर, 1979 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में लिखा गया है।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 2 अगस्त, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 अगस्त, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 597—यतः मुझे, सुख देव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो मोगा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4-4-1979
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त, अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री यशपाल सूद पुत्र लाजपत राये सूद पुत्र मुल्तानी मल सूद वासी मोगा।

(अन्तरक)

(2) श्री राम प्रताप पुत्र कालू राम पुत्र गोना राम वासी गली नं० 4 न्यू टाउनशिप मोगा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पलाट 2 कनाल 11 मरले 7 1/2 सराहे आरा रोड़ मोगा जैसा कि विलेख नं० 72, 4-4-79 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा गया है।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 6 अगस्त, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एच०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 अगस्त 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 598—यतः मुझे, सुख देव चन्द, **आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है**

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो पुरानी दाना मन्डी मोगा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती विद्या वती पत्नी रूप लाल पुत्र भगत राम वासी मदन नगर मोगा ।

(अन्तरक)

(2) (i) श्रीमती पुष्पा रानी पत्नी ओम प्रकाश पुत्र बोबी राम (ii) यश पाल पुत्र गोबर धन दास सतीश कुमार मन्डी मोगा ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण ।—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकश 4 मरला 6 सरसाई पुरानी दाना मन्डी मोगा जैसा कि विलेख नं० 76,6/4/79 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी में लिखा गया है ।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज भटिंडा

तारीख : 6 अगस्त 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिण्डा

भटिण्डा, दिनांक 6 अगस्त 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 600—यतः मुझे, सुखदेव चन्द, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो जी टी रोड़, मोगा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख .

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री गरबचनसिंह सिवा पुत्र खेम सिंह सीवा पुत्र बोध सिंह वाबे सीवा बिल्डिंग जी टी रोड़, मोगा। (अन्तरक)

(2) श्री रन्धीर सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र शज् सिंह वासी पिंड कोकरी कलां तहसील मोगा। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा गया है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1/2 भाग गेडल 2 कनाल 6 मरले जैसा कि विलेख नं० 413, 26/4/79 रजिस्ट्रीकर्ता मोगा अधिकारी में लिखा गया है।

सुख देव चन्द,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिण्डा

तारीख : 6-8-1979।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 सितम्बर 1979

निदेश सं०ए० पी० नं० 607—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में है तथा जो मुदर बेट जिला कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लक्ष्मन सिंह पुत्र जुलाया सिंह वासी धोलिया कलां तहसील मोगा।

(अन्तरक)

(2) श्री चन्ना सिंह पुत्र सुन्दर सिंह वासी मुंदर बेट जिला कपूरथला।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस आयकर में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० आई-99 जनवरी 1979 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कलकत्ता में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4 सितम्बर, 1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जलन्धर, दिनांक 4 सितम्बर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1935 —यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगमोहन सिंह मकान नं० 457-एच न्यू जवाहर नगर जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री राजिन्द्र सिंह कुमार पुत्र भाग सिंह 74-एल नं० एल टाऊन, जालन्धर।

माडल (अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6569 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4 सितम्बर, 1979।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 सितम्बर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1936—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा है जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10/1/1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है

और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री लाल चंद सिंगला पुत्र राम दास के०आ० नैशनल फौडरी जी टी० रोड़, फगवाड़ा।
(अन्तरक)

(2) श्री भरावा बाई पत्नी सेत लाल के० आ० कलकत्ता मेटिंग हाउस लोहा मंडी फगवाड़ा।
(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया हुआ है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 1723 तारीख 10-1-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4 सितम्बर, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 सितम्बर 1979

निदेश सं० 1937—यतः मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो फगवाड़ा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25/1/1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लाल चंद सिंगला पुत्र राम दास के०/आ० नेशनल फौंडरी जी० टी० रोड, फगवाड़ा।
(अन्तरक)

(2) श्री मनोहर लाल पुत्र संत लाल के०/आ० कलकत्ता मैटईंग हाउस, लोहा मंडी फगवाड़ा।
(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 1815 तारीख 25-1-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के कार्यालय में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4 सितम्बर, 1979।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 4 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1938:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-2-1979

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लाल चन्द मिगला पुत्र राम दास के० आ० नैशनल फौंड्री जी० टी० रोड़, फगवाड़ा।

(अन्तरक)

(2) श्री कृष्ण लाल पुत्र संत लाल के० आ० कलकत्ता मैटईंग हाउस, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इस प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 1910 तारीख 9/2/79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा के कार्यालय में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
समक्ष अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 4 सितम्बर 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 5 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1939:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधीकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11/1/1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देय के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और /या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनर्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) मेजर एम० एस० दऊन पुत्र बिशन सिंह मार्फत 56 ए० पी० ओ०।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बीना सिंगला पत्नी शांती सरूप टैक्स-टाईल कालोनी, लुधियाना।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6835 तारीख 11/1/79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 5 सितम्बर 1979।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 5 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० सं० 1940:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है, तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (18098 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269—ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सोहन सिंह पुत्र आत्मा सिंह गांव मिठापुर तहसील जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री दर्शन सिंह पुत्र जागीरी मल गांव घोगड़ी, तहसील, जालन्धर।

(अन्तरिति)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 7818 फरवरी, 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखी है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 5 सितम्बर, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 6 सितम्बर, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1941:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो बाजार शेखां जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15/1/1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों), के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री केवल कृष्ण ऊहरी पुत्र डा० शंकर दास के०/आ० ऊहरी हस्पताल जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री तरलोचन सिंह पुत्र प्रताप सिंह और रामिन्द्र पाल सिंह पुत्र और जसजीत कौर पुत्री तरलोचन सिंह के० आ० साहनी क्लाथ हाउस कपूरथला।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6902 तारीख 15-1-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 6 सितम्बर, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 6 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए०पी० नं० 1942:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो बाजार शेखां जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनों अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्।—

(1) श्री केवल कृष्ण ऊहरी पुत्र डा० शंकर दास के०/आ० ऊहरी हस्पताल जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री तरलोचन सिंह पुत्र प्रताप सिंह और रमिन्द्र पाल सिंह पुत्र और जसजीत कौर पुत्री तरलोचन सिंह के०/आ० साहनी कलाथ हाऊस कपूरथला।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6954 तारीख 17-1-79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखी है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 6 सितम्बर, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 6 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1943:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो बाजार शेखां जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुदर्शन ऊहरी पुत्र डा० शंकर दास जी० ए० आफ केवल कृष्ण ऊहरी के०/आ० ऊहरी हस्पताल जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री तरलोचन सिंह पुत्र प्रताप सिंह और रामिन्द्र पाल सिंह पुत्र और जसजीत कौर लड़की तरलोचन सिंह के०/आ० साहनी क्लाथ हाऊस, कपूरथला।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6777 तारीख 19/1/79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख : 6 सितम्बर, 1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जलन्धर, दिनांक 6 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1944:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-1-1979 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सर्वन सिंह पुत्र ज्ञान सिंह पुत्र बुध सिंह गांव दमदाबा तहसील बिलासपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री धर्मबीर पुत्र शंकरदास न्यू जवाहर नगर मारकीट जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति जो संपत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6878 तारीख 12-1-79 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख: 6 सितम्बर, 1979
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1945:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है जो गढ़शंकर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गढ़शंकर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों,

(1) श्री गुरबख्श सिंह पुत्र गंडा सिंह गांव मुगारनी तहसील हुशियारपुर।

(अन्तरक)

(2) डा० जंग बहादुर सिंह राय पुत्र कैप्टन बेचंल सिंह गांव सावोवाल तहसील गढ़शंकर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसे कि विलेख नं० 3240 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़शंकर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख: 7-9-79

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एम०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1946:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो गढ़शंकर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गढ़शंकर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गुरबख्श सिंह पुत्र गंडा सिंह गांव मुंगारनी तहसील हुशियारपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती दविन्द्र कौर पत्नी डा० जंग बहादुर सिंह गांव सादोकल तहसील, गढ़शंकर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 3251 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गढ़शंकर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 7 सितम्बर, 1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1947:—अतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण के लिये लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री मक्खन सिंह पुत्र हीरा सिंह गाजी गुला, जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्री जोगिन्द्र सिंह प्रमिन्द्र सिंह, जातिन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रकौर पत्नी जाविद सिंह बी-II—1809 एन० जी० गाजी गुला, जलन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में हितबद्ध है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहीयां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6889 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

दिनांक : 7 सितम्बर 1979

मोहर :

प्ररूप आई०टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1948:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती पूनम रानी पत्नी बलैती राम हाउस नं० डब्ल्यू० ए०—61 कूचा मैया बंद चौक सूदा, जालन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री प्यारा लाल पुत्र रेला राम हाउस नं० ई० पी० 329—बी सैदा गट, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6875 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 7 सितम्बर, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1949:——यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दिदार सिंह, प्यारा सिंह, मोहन सिंह, हरभजन सिंह, प्रीतम सिंह गांव बलियानपुर, तहसील जालन्धर।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती अमर देई पुत्री कर्म चन्द मकान नं० 50/डब्ल्यू० एस० बस्ती शेख जालन्धर।
(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 7205 तारीख 28/1/79 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर।

तारीख : 7 सितम्बर, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जालन्धर, दिनांक 7 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1950:—यतः मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री प्यारा सिंह पुत्र काबल सिंह, 1107, हरनाम नगर, लुधियाना।

(अन्तरक)

(2) श्री सतीश कुमार पुत्र दीवान चंद, मकान नं० ई० जे०—235 चाहर बाग, जलन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 7278 जनवरी, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 7 सितम्बर, 1979।
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1951:—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री अरुन सिंह पुत्र महाराजा कर्मजीत सिंह सनी साईड कपूरथला।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कृष्णा रानी पत्नी एम० एल० आजाद सनी साईड नजदीक सैनिक स्कूल, कपूरथला।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 2970 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख: 10 सितम्बर 1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1952:—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो कपूरथला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मेजर जगमोहन सिंह पुत्र निहाल सिंह डोगरा रेजिमेंट फिरोजपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री जसपाल सिंह पुत्र सेवा सिंह कोठी करतार पुर रोसपुर चुंगी के सामने, कपूरथला कैंट।

(अन्तरिती)

(3) जैसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 2998 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख: 10 सितम्बर 1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 11 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1953:—यत: मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो फगवाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन अर्थात्:—

(1) श्री पितम्बर बेदी अटारनी आफ श्री राम के०/आ० पितम्बर बेदी मकान नं० 1375 फेस III महाली।

(अन्तरक)

(2) श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र किदार नाथ के०/आ० हिन्दुस्तान सटील टिम्बर स्टोर, रेलवे रोड, फगवाड़ा।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 1751 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जलन्धर

तारीख : 11 सितम्बर 1979।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 11 सितम्बर 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1954:——यतः, मुझे, बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार **मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है**

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची म है तथा जो जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण **लिखित में वास्तविक** रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन **निम्नलिखित व्यक्तियों** अर्थात्:——

(1) श्री प्रेम चन्द पुत्र बाबू लाल डब्ल्यू० जी०–361 मुहल्ला सूराजगंज, जलन्धर।

(अन्तरक)

(2) श्री तिलक राज पुत्र बाबू लाल ई० ज०–201 चाहर बाग, जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जसा ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 6702 जनवरी 1979 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख: 11 सितम्बर 1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 25 जुलाई 1979

निदेश सं० 941/एक्वी०/एएलजी/78—79—अतः मुझे भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० दो मंजिला मकान है तथा जो केला मार्ग विष्णुपुरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अलीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 1-1-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री राम प्रकाश भटनागर पुत्र श्री राम कृष्णा भटनागर नि० जे० 43, जनकपुर कालोनी, अलीगढ़, डा० ज्ञान प्रकाश भटनागर पुत्र श्री राम कृष्णा भटनागर नि० 115/26 टी० टी० नगर, भोपाल मुख्तार खास मेजर सत्या प्रकाश भटनागर पुत्र श्री राम कृष्णा भटनागर नि० 33, एम० एम० वी० सुल्तानिफ इन्फैक्ट्री लाइन भोपाल, श्रीमति शशी भटनागर पुत्र श्री राम कृष्णा भटनागर नि० ए० वी० III टीचर्ज यूनिवर्सिटी कैम्पस, उज्जैन, अनुपम प्रकाश भटनागर पुत्र श्री राम कृष्णा भटनागर जे० 43 जनकपुरी कालोनी, अलीगढ़ ।

(अन्तरक)

2. श्री भोपाल स्वरूप पुत्र श्री लाला श्रीराम व सुषमा देवी पत्नि डा० गोपाल स्वरूप मामू भांजा, अलीगढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान दो मंजिला विष्णुपुरी अलीगढ़ में 75000/— का बेचा गया जिसका बाजारी मूल्य 1,00,000 है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 25-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 25 जुलाई 1979

निदेश सं० 1045/एक्वी०/फिरोजाबाद/78-79--अतः मुझ भ० च० चतुर्वेदी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 96 है तथा जो जलेसर रोड फिरोजाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-1-1979 को
पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1. श्रीमति रानी देवी पत्नि श्री भगवान निवास गांव सुनाभाई तहसील फिरोजाबाद, कृष्ण नगर मथुरा ।

(अन्तरक)

2. श्री बंगालीबाबू पुत्र श्री मुरली सिंह व वैजन्ती देवी पत्नी बंगाली बाबू, जसवंत सिंह पुत्र बंगाली बाबू नि० जलेसर रोड, फिरोजाबाद व श्रीमति शिव धारा पत्नि तुला राम नि० सैंवलपुरा परगना सिकोहाबाद, जि० मैनपुरी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नं० 96 जो कि जलेसर रोड फिरोजाबाद में 90,000/— की बेची गई जिसका बाजारी मूल्य भी 90,000/— है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 25-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 25 जुलाई 1979

निदेश सं० 1053/एक्वी/फिरोजाबाद/78—79—अतः मुझे भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269–ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० कारखाना है तथा जो मौ० सुखमलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिरोजाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-1-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम बाबू गर्ग पुत्र श्री राम चन्द नि० पु० पुरानी मन्डी फिरोजाबाद (अन्तरक)

2. श्री शंकरलाल पन्नालाल रामरतन राठी जी राठी निवासी गण बाई पास रोड फिरोजाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20–क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किला काटावाना बाबू गंज सुखमलपुर निजामाबाद में 1,00,000 का बेचा गया जिसका बाजारी मूल्य भी 1,00,000/– है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 25-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 21 जुलाई 1979

निदेश सं० 906/देहरादून—अतः मुझे भ० च० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 40 है तथा जो गोविन्द नगर, देहरादून में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 3-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजकिशोर मेहरोत्रा पुत्र श्री के० के० मेहरोत्रा निवासी 3ए चकरता रोड, देहरादून। (अन्तरक)

2. सरदारनी हरबंश कौर पत्नि श्री सरूप सिंह निवासी 5317/बी लखी बाग, देहरादून। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति 40 इसथित गोविन्द नगर रेश कोर्ण देहरादून जिसकी क्षेत्रफल 480.94 एम क्य मीटर है जो कि 78000 रूपए में बेची गई।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 21-7-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 24 जुलाई 1979

निदेश सं० 1061/एसीक्यू०/खैर/78—79— अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1115/1 है तथा जो डेटा खुर्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रोड अलीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-1-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्—:

1. श्री कंचनसिंह पुत्र रामनारायन सिंह व रामपाल सिंह पुत्र कंचन सिंह जि० डाकघर डेटा खुर्द परगना चन्दौस त० खैर जि० अलीगढ़ (अन्तरक)

2. श्रीमति शकुन्तला देवी विधवा बलबीर सिंह भोपाल सिंह पुत्र हरवंश सिंह डेटा सैरपुर डा० डेटा खुर्द पर० चन्दौस तह० खैर—जिला अलीगढ़ ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि नं० 1115/1 डंग खुर्द में 1,22,864/- रु० में बेची गयी जिसकी बाजारी कीमत 1,72,000 है ।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक : 24-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 24 जुलाई 1979

निदेश सं० 1207/ए० सी० क्यू०/मैनपुरी/78-79—अतः, मुझे, भ० च० चतुर्वेदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1064/1/81 है तथा जो छपरी मैनपुरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मैनपुरी म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-3-79 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रामेश्वरी द्वारा श्री ईश्वर सहाय माथुर, 36, बटलर पैलेस कालोनी, लखनऊ।

(अन्तरक)

2. (1) श्री नरेन्द्र नाथ गुप्ता, 5/10, कटरा मैनपुरी।
   (2) चौराम सिंह, ग्राम ललाऊ, त० शिकोहाबाद मैनपुरी
   (3) श्री बाबू राम शर्मा, भनवत रोड, मैनपुरी
   (4) हरीश कुमार भनवत रोड, मैनपुरी
   (5) कृष्णामुरारी, मिश्रा, लेहाई मैनपुरी,
   (6) मोतीलाल गुप्ता, एडवोकेट, अवध नगर, मैनपुरी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता पुरानी कोठी छपटरी मैनपुरी में 80,000/- रु० की बेची गयी। जिसका बाजारी मूल्य भी 80,000/- रू० है।

भ० च० चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 24-7-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 अगस्त 1979

निदेश सं० 912/ए० सी० क्यू०/फरूखाबाद/78-79—अतः, मुझे भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी संख्या तलैयालेन है तथा जो तलैया लेन, फतेहगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय फतेहगढ़ फरूखाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-1-79 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. मेराज अहमद सुपुत्र श्रीमान डा० जलीस अहमद कुरेशी तलैया लेन, फतेहगढ़, जिला फरूखाबाद।

(अन्तरक)

2. श्री लक्ष्मी नारायन, अग्रवाल सुपुत्र शांती स्वरूप अग्रवाल, सा० रेलवे अस्पताल क्वाटर लोको, फतेहगढ़, फरूखाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान तामीर पुख्ता दो मंजिला मौ० तलैया लेन फतेहगढ़, जिला फरूखाबाद, में 47,000/- रु० का बेचा गया।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 1-8-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 अगस्त 1979

निदेश सं० टी० आर० नं० 682/ए० सी० क्यू०/भर्थना, 78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी, **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)** (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० · · · · · · · है तथा जो जवाहर रोड, भर्थना, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भर्थना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 9-3-79

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री बंगाली बाबू पुत्र निन्हाकू नि० शहर ईटावा, नौरंगाबाद, जिला इटावा ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती तारो देवी पत्नी शिवनाथ सिंह यादव, नि० सीदपुर डा० कचेसी पचार परगना भर्थना, जिला इटावा ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता बड़ा, जवाहर रोड, भर्थना, जिला इटावा में 60,000/- रु० का बेचा गया जिसका कि उचित बाजारी मूल्य 81,000/- रु० है ।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 2-8-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1
4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

दिल्ली-1, दिनांक 3 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/III/9-79/379—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है ।

और जिसकी सं० 23/63 है तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-1-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्—

1. श्री सत्यपाल सेठ पुत्र श्री इन्दर सैन सेठ, निवासी सड़क नं० 63, प्लाट नं० 23, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. (1) श्री राम नरायण पुत्र लाला मोहरी राम
(2) रमेश चन्द्र
(3) राकेश कुमार पुत्र गण श्री राम नरायण, निवासी 5476, बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मकान जो प्लाट नं० 23, सड़क नं० 63, क्षेत्रफल 279.55 वर्ग गज है, पंजाबी बाग कालोनी, गांव मादीपुर, दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है ।

पूर्व : सड़क
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : मकान प्लाट नं० 21 के ऊपर
दक्षिण : मकान प्लाट नं० 25 के ऊपर ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 3-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

14/4, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

दिल्ली-1, दिनांक 3 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/III/9-79/380—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 21 है तथा जो नार्थ वेस्ट एवेन्यू, रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 3-1-1979 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बिमल कुमार मेहरा पुत्र श्री मदन गोपाल मेहरा व श्रीमती कैलाशवती पत्नि श्री मदन गोपाल मेहरा, निवासी 65, बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता-6।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्ण कुमार सोनी पुत्र श्री राम चन्द सोनी, निवासी 36/63, पंजाबी बाग, नई-दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कोठी नं० 21 सड़क नं० एन० डब्ल्यू० ए० जिसका क्षेत्रफल, 661.57 वर्ग गज है रिहायशी कालोनी, पंजाबी बाग में निम्न प्रकार स्थित है :

उत्तर : सर्विस लेन

दक्षिण : नार्थ वेस्ट एवेन्यू रोड,

पूर्व : प्रापर्टी नं० 19

पश्चिम : सड़क नं० 63।

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 3-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर, 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०- /9-79/381—अत: मुझे डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 20/48 है, तथा जो पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-1-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हरबंसलाल चन्ध्योक पुत्र के० आर० चन्ध्योक निवासी 20/48, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राजिन्दर कुमार मखीजा, मोहीत कुमार मखीजा, विजय कुमार मखीजा पुत्रगण श्री सोहन लाल मखीजा, निवासी 220, हजारीबाग रोड, रांची बिहार।

(अन्तरिती)

3. (1) इंडियन, आयल कारपोरेशन,

(2) इंडियन ओवरसीज बैंक।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक ढाई मंजिला, मकान नं० 20/48 पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली जो लीज होल्ड प्लाट जिसका क्षेत्रफल 88.1 वर्ग गज है, पर बना है और निम्न प्रकार स्थित है:—

उत्तर : मकान नं० 20/47 पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली

दक्षिण : सड़क

पूर्व : लेन

पश्चिम : लेन।

डी० पी० गोयल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 3-9-79

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-2

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/III/9-79/382—अतः मुझे डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० बी-146 है, तथा जो हरी नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-3-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सत्य जीत शर्मा पुत्र पं० मोती लाल शर्मा निवासी नं० 6/6/-87, औद्योगिक क्षेत्र, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-15।

(अन्तरक)

2. श्रीमती जतिन्दर पाल कौर पुत्री जोगिन्दर सिंह ओबराय पत्नि कुलवंत सिंह मोरवा निवासी नं० 5 मस्जिद रोड, भोगल जंगपुरा, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० बी/146, जो 200 वर्ग गज के प्लाट पर बना है, और खसरा नं० 2011 में से है, खतूनी नं० 9 है, हरी नगर, गांव तिहार में निम्न प्रकार स्थित है :—

उत्तर : रास्ता
दक्षिण : मकान प्लाट नं० बी/155 के ऊपर
पूर्व : मकान प्लाट नं० बी/145 के ऊपर
पश्चिम : मकान प्लाट नं० बी/147 के ऊपर

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 7-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/9-79/383—अतः मुझे, डी० पी० गोयल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 26/5 है तथा जो पुराना राजन्दिर नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 11-1ब1979
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बंसी लाल मेहता पुत्र हरी चन्द मेहत निवासी 26/5, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री लीला कृष्ण पुत्र बाल किशन दास, निवासी 9427 गली नं० 10, मुलतानी डांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक क्वाटर नं० 26/5 पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली जो लीज होल्ड प्लाट जिसका क्षेत्रफल 88.1 वर्ग गज है, निम्न प्रकार से स्थित है :—

उत्तर : सड़क
दक्षिण : लेन
पूर्व : लेन
पश्चिम : सरकार द्वारा बनाया मकान

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 7-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

दिल्ली-1, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/9-79/384—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० निल/43 ए है तथा जो मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पुष्पा वोहरा पत्नि श्री दीनानाथ वोहरा, निवासी मकान नं० 31, माल रोड, दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री बलदेव राज मदान पुत्र श्री आर० सी० मदान, निवासी निल/43ए, मालवीय नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० निल/43ए, जो लीज होल्ड प्लाट क्षेत्रफल 100 वर्ग गज पर बना है, मालवीय नगर, नई दिल्ली में स्थित है।

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली-1

दिनांक : 10-9-479
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली ।

दिल्ली-1, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०-III/9-79/385—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और और जिसकी सं० ई० सी० 36 है तथा जो इन्दरपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 11-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नरेश सूद पुत्र श्री त्रिलोक नाथ द्वारा मैसर्स हीरो नीटिंग वर्क्स, फ्री गंज, आगरा (उत्तर प्रदेश)

(अन्तरक)

2. श्री अत्तर सिंह चड्ढा पुत्र श्री गुलाब सिंह चड्ढा, निवासी 22/1 ए, नरायणा इन्द्रपुरी, दिल्ली (नरायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक प्लाट नं० ई० सी० 36, क्षेत्रफल 500 वर्ग गज जो कालोनी इन्दरपुरी एक्सटैन्शन, गांव नरायणा दिल्ली में है, निम्न प्रकार से स्थित है :

पूर्व	:	प्लाट नं० 35-ई० सी०
पश्चिम	:	प्लाट नं० 37-ई० सी०
उत्तर	:	गली 10 फुट
दक्षिण	:	सड़क 30 फुट

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज -III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 10-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली रोड़, नई दिल्ली

दिल्ली-1, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/9-79/386—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 53/83 है तथा जो रामजस रोड, डब्ल्यू० ई० ए०, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-1-1979 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कृष्ण मोहन बिजली पुत्र साईं दास (बिजली पहलवान), निवासी 31, नई रोहतक रोड, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री प्रताप सिंह पुत्र सुन्दर सिह, निवासी 61/3, रामजस रोड, डब्ल्यू० ई० ए०, करोल बाग, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

3. मकान नं० 53/83, रामजस रोड, डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली के किरायेदारों के नाम की सूची :

(1) श्री इन्दर राज
(2) श्री विश्वा नाथ
(3) मै० दीपक स्कूटर्स
(4) श्री ज्ञान सिंह चावला
(5) श्री सत्यपाल गुलाटी
(6) श्री चुन्नी लाल
(7) श्रीमती वीरान वाली
(8) श्री एम० एल० सहगल
(9) श्री मुकन्द राम किशन
(10) श्री नरेन्द्र सिंह व भूपेन्दर पाल
(11) श्री मनजीत सिंह, प्रिथवाल सिंह
(12) श्री निर्मल जीत सिंह
(13) श्री सुभाष चन्द्र पाठक

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जिसका नं० 53/83, म्युनिसिपल नं० 16/8217, खसरा नं० 847, खेवट नं० 1, खतूनी नं० 514, ब्लाक नं० 53, क्षेत्रफल 417 वर्ग गज है, राम जस रोड, डब्ल्यू० ई० ए०, करोल बाग, नई दिल्ली में निम्न प्रकार स्थित है :

उत्तर : सड़क
दक्षिण : सर्विस लेन
पूर्व : मकान नं० 53/82
पश्चिम : सड़क

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 10-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली-1, दिनांक 10 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू०-III/9-79/387—अतः मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 11ए/2 है, तथा जो डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

शिवराम पुत्र सुन्दर राम, निवासी 11ए/2, डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती लाजवन्ती पत्नि शिव लाल नन्दा, श्री प्रेम चन्दर पुत्र शिव लाल नन्दा निवासी 6ए/68, डब्ल्यू० ई० ए० करोल बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान प्लाट नं० 11ए/2 के ऊपर जिसका म्युनिसिपल नं० 11143, क्षेत्रफल 188 वर्ग गज, खेवट नं० 1, खतूनी नं० 2662, खसरा नं० 5011/260, डब्ल्यू० इ० ए० करोल बाग, में निम्न प्रकार स्थित है :

उत्तर : सड़क
दक्षिण : सर्विस रोड,
पूर्व : मकान प्लाट नं० 1 के ऊपर
पश्चिम : मकान प्लाट नं० 3 के ऊपर

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली नई दिल्ली-1

तारीख : 10-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली।

दिल्ली-1, दिनांक 12 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/9-79/389—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 15 विघा, 3 विश्वास भूमि खेती है तथा जो गांव छत्तरपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-1-1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

9—266GI/79

1. सत्यासाई ट्रस्ट (दिल्ली, पंजाब)
6-बहादुर जफर मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. (1) श्रीमती सुरजीत कौर धर्मपत्नी वजीर सिंह
(2) श्रीमती बलवन्त कौर धर्मपत्नी मोहन सिंह, निवासी ई-83, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ऐग्रीकल्चर भूमि जिसका क्षेत्रफल 15 विघा, 3 विश्वास जोकि स्थित है: गांव छत्तरपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली में निम्नलिखित है:

खसरा नं०	विघा	विश्वास
1033/1	2	9
1034/1	2	10
1037/1	2	17
1041/1/2	1	2
1041/2	2	134
1042/2	3	11
	15	3

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, नई दिल्ली-1

तारीख: 12-9-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

4/14क, आसिफअली मार्ग, नई दिल्ली

दिल्ली-1, दिनांक 12 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/III 9-79/388—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 19 बीघा 4 विश्वास, खेती भूमी है तथा जो गांव छतरपुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली-1 स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-1-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सत्या साईं ट्रस्ट (दिल्ली, पंजाब)
6-बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
(अन्तरक)

2. श्रीमती तरन कौर धर्मपत्नी श्री त्रिलोक सिंह, निवासी एस-62, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेती भूमि जिसका क्षेत्रफल 19 बिघा 4 विश्वास स्थित—गांव छत्तर पुर, तहसील महरौली, नई दिल्ली निम्नलिखित है।

खसरा नं०	बिघा	विश्वास
1051/1	1	4
1051/2	3	12
1052/मिन	0	6
1052/मिन	4	10
1053/	4	16
1054/ 1	3	00
1054/2	1	16

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, दिल्ली नई दिल्ली-1

तारीख : 12-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-III/9-70/390—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी-86 है, तथा जो शिवाजी पार्क, रोहतक रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4-1-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती कैलाश कुमारी चावला धर्मपत्नी श्री धर्म स्वरुप चावला ।
   (2) श्रीमती कृष्णा चावला धर्मपत्नी वेद प्रकाश चावला, निवासी 5298/99, हरदयाल सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. (1) श्रीमती जनक रानी धर्मपत्नी लाला खुशी राम
   (2) सुभाष कुमार
   (3) रमेश कुमार सन्स आफ श्री खुशी राम, निवासी सी-83, शिवाजी पार्क, रोहतक रोड, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक प्लाट जोकि फ्री होल्ड नं० 86 में ब्लाक सी, (सी 86) का क्षेत्रफल 436 वर्गगज (364.552 मिटरस) स्थित है । शिवाजी पार्क रोहतक रोड, नई दिल्ली, एरिया गांव मादीपुर, दिल्ली, जो निम्न है ।

उत्तर : रोड 30' वाईड
दक्षिण : साऊथ रोड नं० 40
पूर्व : मकान बना, प्लाट नं० 85 ब्लाक सी,
पश्चिम : मकान बना, प्लाट नं० 87 ब्लाक सी ।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-III दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 12-9-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

नई, दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/III/9-79/392—अतः मुझे, डी० पी० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या प्लाट नं० 10, रोड नं० 42 है, तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. किशन लाल सुपुत्र श्री मेला राम निवासी ए-114, भगवान दास नगर, रोहतक रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री परवीन कुमार सुपुत्र श्री किशन लाल और श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री किशन लाल निवासी मोहल्ला खारतोली, पठानकोट, ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 10 रोड नं० 42 क्षेत्रफल 1088.89 वर्ग गज जिसमें गेरीज बना हुआ है । स्थित कालोनी, पंजाबी बाग, गांव सकुरपुर, देहली जो कि निम्न है :

नार्थ : मकान नं० 8
साऊथ : मकान नं० 12
ईस्ट : सर्विस लाईन
वेस्ट : रोड नं० 42

डी० पी० गोयल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1, नई दिल्ली-1

तारीख : 12-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०- /9-79/391—अतः मुझे, डी० पी० गोयल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० 7 ब्लाक नं० 80-ए है तथा जो कृष्णा मार्किट, पहाड़गंज, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-1-1979
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा, (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती केशो रानी पुत्री भागीरथ मल धर्मपत्नी श्री जगदीश प्रसाद निवासी 4312/13, गली भाऊजी, बहादुर गढ़ रोड, दिल्ली-6

(अन्तरक)

2. श्रीमती कोशल्या देवी धर्मपत्नी श्री किशन सिंह निवासी जे-53, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० 7 में ब्लाक 80-ए स्थित है, कृष्णा मार्किट, पहाड़गंज, नई दिल्ली जोकि लिज होल्ड, भूमि का क्षेत्रफल 312 वर्गगज निम्न है :—

नार्थ : रोड
साउथ : मेन रोड (पार्क)
ईस्ट : प्लाट नं० 6
वेस्ट : साईड प्लाट नं० 8

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली नई दिल्ली-1

तारीख : 12-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/9-79/393—अतः मुझे, डी० पी० गोयल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जे-10/41, है तथा जो राजोरी गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 25-1-79
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल से के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सूरज नरायण छाबरा सुपुत्र श्री देवी दयाल छाबरा निवासी 1/3 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री जग चन्द्र सुपुत्र श्री चुनी लाल चोपरा और श्रीमती जनक रानी चोपरा, धर्मपत्नी श्री जग चन्द्र निवासी जे-10/41, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० जे-10/41, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली साथ भूमि क्षेत्रफल 200 वर्ग गज जोकि निम्न है :—

नार्थ	:	प्रापर्टी नं० जे-10/30
साउथ	:	रोड 80 वाईड
ईस्ट	:	प्रापर्टी पर प्लाट नं० जे-10/40
वेस्ट	:	प्रापर्टी पर प्लाट नं० जे-10/42

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 12-9-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/III/9-79/394—अतः मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एफ-2/4 है, तथा जो मालवीया नगर, नई दिल्ली-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-1-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती इन्दरजीत कोर, धर्मपत्नी श्री मनमोहन सिंह, निवासी एफ-2/3, मालवीया नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती पुष्पा गांधी, धर्मपत्नी आतम प्रकाश गांधी निवासी एफ-2/14, मालवीया नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापर्टी नं० एफ-2/4, जोकि क्षेत्रफल 123 वर्ग गज स्थित मालवीया नगर, नई दिल्ली।

डी० पी० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, दिल्ली-1, नई दिल्ली-1

तारीख : 12-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-II/एस०आर०-1/79-80 4723/---अतः मुझे, आर० बी० लाल अग्रवाल **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है**

और जिसकी सं० जे०-4/12 है तथा जो राजोरी गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 3-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) **अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या**

(ख) **ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. गुरचरन सिंह सुपुत्र सरदार सिंह एस-31, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली और श्री सत्यभूषण और सुभाष चन्द्र सन्स श्री देवकी नन्द निवासी ई-3, रत्न पार्क, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री सतपाल सुपुत्र बरकत राय निवासी एल-76, कीर्ति नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

इस प्लाट पर जी-4/12 मकान बना हुआ जिसका क्षेत्र फल 182 वर्ग गज जो स्थित है कालोनी राजोरी गार्डन, नई दिल्ली, एरिया गांव बसई दारापुर देहली में निम्न प्रकार से स्थित है :---

नार्थ	:	लोन
साऊथ	:	रोड
ईस्ट	:	प्लाट नं० 4/11
वेस्ट	:	प्लाट नं० 4/13

आर० बी० लाल अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली,
नई दिल्ली-1

तारीख 14-9-1979
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

4/14 क, आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली ।

दिल्ली-1, दिनांक 14 सितम्बर 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/II/एस०आर० 1/79-80/4831—अतः मुझे आर० बी० लाल अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० ई-74 है, तथा जो कीर्ति नगर, दल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31 1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व से बचने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री बलदेव सिंह भसीन सुपुत्र श्री एस० इन्द्रसिंह सिंह भसीन निवासी, ई-74, कीर्ति नगर नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती ऊषा हिंगल धर्म पत्नि श्री जसवन्त राई हिंगल और श्रीमती नीना हिंगल धर्म पत्नी श्री विश्वमित्रर हिंगल निवासी जी-23, कीर्ति नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

3. श्री बनवारी लाल गुप्ता,

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला, मकान प्लाट नं० 74, ब्लाक नं० ई क्षेत्रफल 335-27 वर्ग गज कालोनी कीर्ति नगर, गांव बसई धारापुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार है :

उत्तर : मकान नं० ई-75
दक्षिण : मकान नं० ई-73
पूर्व : रोड 60'
पश्चिम : लाईन 15'

आर० बी० लाल अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-एए, दिल्ली-1

तारीख 14-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

दिल्ली-1, दिनांक 14 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०-II/एस०आर०-1/जनवरी 1/87/4745—अतः मुझे आर० बी० लाल अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 14/52 है, तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहली में रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-1-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती गुरचरण कौर धर्मपत्नी श्री गुरमुख सिंह निवासी 134/52, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरक)
2. श्रीमती नन्दी देवी धर्मपत्नी बाल चन्द अग्रवाल
(2) जे० पी० अग्रवाल
(3) एम० पी० अग्रवाल
(4) ओ० पी० अग्रवाल सन्स, बी० सी० अग्रवाल निवासी बी-193, नरायण बिहार, देहली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिल मकान प्लाट नं० 14 जो रोड नं० 52 पर क्षेत्रफल 10547 वर्गगज जोकि स्थित है कालोनी पंजाबी बाग, एरिया, गांव बसई दारापुर देहली में जो निम्न स्थित है :

नार्थ : रोड नं० 52
साऊथ : सर्विस लेन
ईस्ट : प्लाट नं० 16
वेस्ट : प्लाट नं० 12

आर० बी० लाल अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II दिल्ली-1

तारीख : 14-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, II दिल्ली-1

दिल्ली-1, दिनांक 14 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०II/एस०आर०-I जनवरी-81/4736—अतः मुझे आर० बी० लाल अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 36 है तथा जो वेस्ट पटेल-नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी, 1979

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री मोहिन्दर कुमार जैन, सुपुत्र श्री रनजीत सिंह जैन, निवासी बंगला, नं० 91 मैन रोड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। (अन्तकर)

2. श्री राम प्रकाश सेठी, सुपुत्र उत्तम चन्द सेठी
(2) जनक राज सुपुत्र राम प्रकाश सेठी,
निवासी बी-77, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-I
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सरकार का बना हुआ कोटेज नं० 36 वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली लिज होल्ड, भूमि जिसका क्षेत्र फल 350 वर्ग गज है जो निम्न प्रकार स्थित है :

नार्थ : रोड
ईस्ट : कोटेज नं० 37
साउथ : सर्विस लेन
वेस्ट : कोटज नं० 35

आर बी० लाल अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

तारीख 14-9-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंजII, दिल्ली-1

दिल्ली-1, दिनांक 14 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/एस०आर०-1/79-80/4763—अतः मुझे आर. बी० लाल अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० ए-2/15 है तथा जो राजोरी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री पुष्प कुमार नागिया पुत्र स्वर्गीय श्री आत्म देव नागिया निवासी ए-2/15, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री ओमप्रकाश सुपुत्र श्री कृष्णन लाल छावड़ा, और श्रीमती हर भजन कौर धर्मपत्नी श्री कृष्णन लाल छावड़ा निवासी 6881, बेरी वाला, बाग, दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि प्लाट नं० 15, ब्लाक नं० ए-2, क्षेत्र फल 260 वर्ग गज कालोनी राजोरी गार्डन गांव बसीधारापुर दिल्ली राज्य दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :

उत्तर	:	सड़क
दक्षिण	:	प्लाट नं० ए-2/32
पूरब	:	प्लाट नं० ए-2/14
पश्चिम	:	प्लाट नं० ए-2/16

आर० बी० लाल अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज , दिल्ली-1

तारीख 14-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

दिल्ली-1, दिनांक 14 सितम्बर, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य०/II/जनवरी/— अतः मुझे आर० बी० लाल अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 25/83 है, तथा जो शक्तिनगर, देहली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1 7-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में, सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती अमना बाई बिडो मोहम्मद कुमार, निवासी 2959 काला मजिस्द, देहली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती चन्द्रो धर्मपत्नी श्री सूरज भान निवासी 25/83, शक्ति नगर, देहली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोपर्टी पर प्लाट नं० 25/83, जिसका क्षेत्र फल 200 वर्ग-गज, म्युनिसिपल नं० 11724, स्थित है शक्ति नगर, देहली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

नार्थ : गली 10 फुट
साउथ : प्लाट नं० 25/43
ईस्ट : सर्विस लाईन
वेस्ट : रोड 40 फुट

आर० बी० लाल अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण),
अर्जन रेंज- , दिल्ली-1

तारीख 14-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 6 अगस्त 1979

निदेश सं० ए०-222/जे०आर०टी०/78-79/424-25—अतः मुझे रा० ना० बरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 3885 एवं०पी० पट्टा नं० 80 ब्लौक नं० 1 है तथा जो रुपहीं अली रोड जोरहाट टाउन शिब सागर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोरहाट में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बदरु जमन हजारी का रुपहा अली, जोरहाट (अन्तरक)

2. श्री तुला राम गटानी, बाबू पट्टी, जोरहाट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 3 कट्ठा $1\frac{1}{2}$ (एक और आधा) लछा, रुपहा अली रोड, जोरहाट टाउन सीवसागर जिला, (आसाम) में स्थित है।

रा० ना० बरा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग।

दिनांक : 6-8-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 7 अगस्त 1979

निदेश सं०ए०-228/जे० आर०टी०/78-79/430—अतः मुझे, रा० ना० बरा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 3909 एवं 3915 पी० पट्टा नं० 25 जोरहाट टाउन है, तथा जो रुपही अली रोड सीवसागर जिला जोरहाट टाउन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोरहाट में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5-1-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, के निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मुहम्मद अली उल्ला अन्सारी वार्ड नं० 3, जोरहाट, (अन्तरक)

2. श्री राम करण गटानी पिता श्री जय नारायण गटानी, भवरी लाल गटानी पिता चम्पा लाल गटानी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 1 कट्टा 3½ लच्चा, रुपही अली जोरहाट टाउन सीवसागर जिला में स्थित है।

रा० ना० बरा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग।

तारीख : 7-8-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज

शिलांग, दिनांक 7 अगस्त 1979

सं० अतः मुझे रा० ना० बरा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 3539 एवम 3532 पी० पट्टा नं० 135 ब्लौक नं० 1 है तथा जो ए० टी० रोड जोरहाट, जिला सीवसागर (आसाम) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोरहाट में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-1-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री खलील उर रहमान, पिता स्व० साकन्दर अली रहमान रोड, जोरहाट

(अन्तरक)

2. श्री भवरी लाल अग्रवाल, पिता श्री बजरंग लाल अग्रवाल, श्री शिव प्रसाद अग्रवाल पिता श्री जोद राज अग्रवाला, श्री चम्पा लाल अग्रवाला पिता स्व० जंग्रनाथ अग्रवाल, श्री राम निवास अग्रवाल पिता स्व० लक्ष्मी नारायण अग्रवाला थे सब मैसर्स जय श्री राजस्थान स्टोर्स ए० टी० रोड, जोरहाट का पाटनर है ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का माप 15 लच्चा एवम उस के साथ एक दुकान और एक गोदाम है, माप 15×30 एवम 16 फीट×130 फीट ए० टी० रोड, जोरहाट जिला सीवसागर (आसाम) में स्थित है ।

रा० ना० बरा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग ।

तारीख : 7-8-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना.

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज

शिलांग, दिनांक 7 सितम्बर, 1979

नि० सं० ए०-231/गौहाटी/78-79/602—अतः मुझे, रा० ना० बरा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 147 पट्टा नं० 299 है तथा जो कमख्या शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-1-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पदमा देवी पत्नी स्व० श्री आनन्द शर्मा (अन्तरक)
2. श्रीमती रीना शर्मा पत्नी श्री फनी शर्मा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन माप 4 कट्टा मालीगांव चारोली के नजदीक, गोहाटी जिला कामरूप।

रा० ना० बरा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, शिलांग।

तारीख: 7-9-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 11 सितम्बर 1979

निर्देश सं० ए०-232/गौ०/78-79/618—अतः मुझे० रा० ना० बरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 432 एवम नं० 51 के० पी० पट्टा है तथा जो ग्राम मैयदाम, म० घिलटला, गोहाटी कामरूप में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गोहाटी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-1-1979 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. सर्वश्री (1) श्री तनुवाला दास पत्नी स्व० भुवन चन्द्र दास
(2) श्री कृष्ण चन्द्र दास पुत्र स्व० भुवन चन्द्र दास।
(3) श्री नारायण चन्द्र दास पुत्र स्व० भुवन चन्द्र दास
(4) श्री अतुल चन्द्र दास पुत्र स्व० भुवन चन्द्र दास
(5) श्री लक्ष्मी राम दास पुत्र स्व० भागीराम दास
(6) श्री जगत चन्द्र दास पुत्र स्व० भागीराम दास
ग्राम—धारापुर, पो० पलास बाड़ी, कामरूप (आसाम)

(अन्तरक)

2. (1) श्री ससीकान्त बरुआ पुत्र स्व० के० के० बरुआ
2. श्री कृष्ण कान्त बरुआ पुत्र स्व० के० के० बरुआ।
चेनी कुट्टी, गौहाटी-3।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 1 बिघा 17 लच्छा है। नेशनल हाई वे के नजदीक हेली पेद गोहाटी, कामरूप जिला में स्थित है। (आसाम)

रा० ना० बरा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 11-9-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-शिलांग

शिलांग, दिनांक 11 सितम्बर 1979

निर्देश सं० ए०-233/गौ०/78-79/614—अतः मुझे रा० ना० बरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रू० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 442 और नं० 203 के० पी० पट्टा है, तथा जो ग्राम मैदाम मउजा बेलतला गोहाटी (आसाम) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गोहाटी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-1-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरेन्द्र चन्द्र बरुआ
पुत्र स्व० श्री राधा कान्त बरुआ,
ग्राम—धारापुर, पो० पलास बाड़ी काम रूप,
(आसाम)।

(अन्तरक)

2. श्री ससी कुमार बरुआ।
पुत्र स्व० श्री के० के० बरुआ,
चेनी कुट्टी, गोहाटी-3।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 1 बिघा 4 कट्टा 9 लच्छा, नेशनल हाई वे के नजदीक हेलीपेड, गोहाटी, जिला कामरूप में स्थित है।

रा० ना० बरा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग।

तारीख : 11-9-79
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 11 सितम्बर 1979

निर्देश सं० ए०-234/गौ०/78-79/610 ——अतः मुझे, रा० ना० बरा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 432 और के० पी० पट्टा नं० 51 है तथा जो ग्राम नं दाम मउजा वेलटर गोहाटी कामरूप (आसाम) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-1-79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्रीमती तनुबाला दास पत्नी स्व० भुवन चन्द्र दास
(2) श्री कृष्ण राम दास पुत्र स्व० श्री भुवन चन्द्र दास,
(3) श्री नारायण चन्द्र दास पुत्र स्व० श्री भुवन चन्द्र दास
(4) श्री अतुल चन्द्र दास पुत्र स्व० श्री भुवन चन्द्र दास ।
(5) श्री लक्ष्मी राम दास पुत्र स्व० श्री भागीराम दास
(6) श्री जगत चन्द्र दास पुत्र स्व० श्री भागीराम दास
ग्राम : धारापुर, पो० पलास बाड़ी, कामरूप, (आसाम) ।

(अन्तरक)

2. श्री कृष्ण कान्त बरुआ पुत्र स्व० श्री के० के० बरुआ, चेनी कुट्टी, गोहाटी-3 । (आसाम) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का माप 2 बिघा 2 कट्टा और 90 लच्छा नेशनल हाईवे के नजदीक हेलीपेट गोहाटी, जिला कामरूप में स्थित है ।

रा० ना० बरा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग ।

तारीख: 11-9-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-, शिलांग

शिलांग, दिनांक 11 सितम्बर 1979

निर्देश सं०/ए०-235/गौ०/78-79/606—अतः मुझे रा० ना० बरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपयें से अधिक है

और जिसकी सं० दाग नं० 432 और के०पी०पट्टा नं० 51 है तथा जो ग्राम मैवाम मौजा बेलटला गोहाटी (आसाम) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-1-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 की 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती तनुबाला दास पत्नी स्व० श्री भुवन चन्द्र दास
   (2) श्री कृष्ण राय दास, पुत्र स्व० श्री भुवन चन्द्र दास
   (3) श्री नरायण चन्द्र दास पुत्र स्व० श्री भुवन चन्द्र दास
   (4) श्री लक्ष्मी राम दास पुत्र श्री स्व० भुवन चन्द्र दास
   (5) श्री अतुल चन्द्र दास पुत्र स्व० श्री भागी राम दास
   (6) श्री जगत चन्द्र दास पुत्र स्व० श्री भागी राम दास
   ग्राम : धारा पुरा, पो० पलास बाड़ी, कामरूप (आसाम)।

(अन्तरक)

2. (1) श्रीमती निरुपमा बरुआ
   विधवा स्व० श्री के० के० बरुआ।
   (2) श्रीमती उमा बरुआ,
   पत्नी श्री मृगेन एन० बरुआ।
   (3) श्रीमती अनुराधा बरुआ,
   पत्नी श्री ससी कान्त बरुआ,
   (4) श्रीमती शान्तवना बरुआ,
   पत्नी श्री कृष्ण कान्त बरुआ,
   चेती कुट्टी, गोहाटी-3 (आसाम)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 3 बिघा, नेशनल हाई वे का नजदीक गोहाटी हेलीपेद पर स्थित है, गोहाटी, कामरूप (आसाम)।

रा० ना० बरा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

दिनांक : 11-9-1979
मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 अप्रैल, 1979

नं० पी० आर० 665/ए०सी०क्यू०-23-1356/19-78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० नोंध नं० 450 वार्ड नं० 11 है तथा जो नानावत, पांडोल-नी पोल, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी 1979

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किसी जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) प्राण लाल चुनीलाल जरीवाला तथा
निर्मला बेन प्राण लाल जरीवाला,
150, दादी शेठ अग्यारी लेन,
मानेक चन्द पानाचन्द बी चाल,
काल्बा देवी रोड, बम्बई-2

(अन्तरक)

(2) 1. विजय बलुभाई लेनिनवाला
2. राजेन बलुभाई लेनिन वाला
3. महेश कलुभाई लेनिनवाला
लालगेट, खांड बाजार, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन व मकान जिसका कुल माप 94 वर्ग गज है तथा जो नोंध नं० 450 वार्ड नं० 11, नानावत, पांडेल-नी-पोल सूरत में स्थित है तथा जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा जनवरी 1979 में दर्ज किया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

तारीख : 26-4-1979।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 जुलाई 1979

सं० ए०सी०क्यू० 23-2-2055(834)/16-6/78-79--अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 1250-0 वर्ग गज जमीन पर बनी इमारत है। तथा जो गोंडल रोड, पुना भगत की धर्मशाला तथा पुरानी रेल लाइन की उत्तर साईड के बीच राजकोट में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अधीन तारीख 8-1-879 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) वीरा ब्रदर्स (काठीयावाड़) प्राइवेट लिमिटेड, गोंडल रोड, राजकोट।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री अमहूर लाल शांती लाल छतीयारा

2. श्री अरवींद शांतीलाल छतीयारा,

दोनों, गोंडल रोड, आकट्राई नाका के पास राजकोट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ईमारत जो 1250-0 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली जमीन पर खड़ी है जो गोंडल रोड, पुना भगत की धर्मशाला तथा पुरानी रेल लाईन के उत्तरीय साईड के बीच राजकोट में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा दस्तावेज नं० 104/8-1-79 से रजिस्टर्ड किया गया है यानी प्रापर्टी की पूर्ण वर्णन इसमें दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

तारीख: 27-7-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कार्यालय अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 जुलाई, 1979

सं० पी० आर० 693, अकेवी 23-1460/7-3/79-80—अतः मुझे एस० सी० पारिख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नोंध नं० 1099, बार्ड नं० 5, है तथा जो सोमनाथ भडादेव शेरी, टरिपुरा, सुरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31 जनवरी 1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

(1) श्री नरेन्द्र कुमार निरंजनलाल पंड्या, हरिपुरा मेइन रोड, सूरत (अन्तरक)

(2) श्री लालजी भाई मामाभाइ
2. श्री बेचरभाई मामाभाइ, लम्बे हनुमान रोड, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो सोमनाथ महादेव शेरी हरिपुरा, सूरत में है और जो नोंध नं० 1099 बोर्ड नं० 5 में है, जिसका क्षेत्रफल 106.18.85 वर्ग मीटर है, और जो रजिस्ट्री अधिकारी सूरत के आफिस में तारीख 31-1-7 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० सी० पारिख
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 27 जुलाई, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II कार्यालय/अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 28 जुलाई 1979

निदेश सं० पी० आर० 694, अकोला-23-1461/7-4/79-80—अतः मुझे एस० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सिटी सर्वे नं० 50, स० नं० 2293 कि अलसकन है तथा जो स० नं० 646, सांव कुवां, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-1-1979 को

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मगनभाइ वनमालीभाइ पटेल, पुराना बनडाशर, मोहल्ला, नवसारी

(अन्तरक)

(2) सौराष्ट्र कडवा पाटीदार समाज ट्रस्ट :—
1. गोविन्दभाइ रावजीभाई प्रेसीडेन्ट, कृष्ण निवास, गीरीराज सिनेमा, नवसारी।
2. रमनीकलोल विरजीभाई, कृष्ण निवास, गिरीराज सिनेमा, नवसारी।
3. मोहनभाइ कल्यानभाई पटेल, पटेल सोसायटी जलोर पोर, नवसारी।
4. मगनभाइ माधवजीभाई 2, जनकल्यान सोसायटी, नवसारी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 1383-45 स्केयर गज है, और जो सर्वे० नं० 646, शहरे के बाहर टी० नं० 50, स० नं० 2293 सांवकुवा, एरीया नवसारी में है, और जो रजिस्टर अधिकारी के कार्यालय में, नवसारी में तारीख 29-1-79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 28 जुलाई, 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—— ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कार्यालय अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 31 अगस्त, 1979

निदेश सं० ए० सी० क्यू० 23-3-2080 (835)/11-4/78-79—अतः मुझे एम० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० लेख नं० 290, 1958-59 वन, 402 वर्गगज क्षेत्रफल है तथा जो एस० वी० पी० रोड तथा मेमनवाड रोड का जंकशन, पोरबंदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पोरबन्दर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती मेमनबाई सुमेराबाई सालेरमोहम्मद, पोरबन्दर के। (अन्तरक)

(2) श्रीमती मेमण यूसुफ ओममान हामदानी, लिबर्टी टाकीज रोड, पोरबन्दर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान जो 402 वर्ग गज क्षेत्रफल जमीन पर स्थित है जिसका 1958-59 का लेख नं० 290 है जो एस० वी० पी० रोड तथा मेमनाबाद रोड के जंकशन, पोरबन्दर में स्थित है तथा बिक्री दस्तावेज नं० 173/18-1-79 से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबन्दर द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है याने उसमें प्रापर्टी का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 31-7-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 1 अगस्त, 1979

निदेश सं० ए० सी० क्यू०-23-आई०-2353 (838)/1-1/79-80—अतः मुझे एस० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 137/बी तथा सर्वे नं० 130, कालुपुर-1 का है तथा जो गांधीरोड, पाडा पोल, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री हरिप्रसाद बुलाखीदास, नानालाल प्राणलाल की विधवा बाई लाडी के एक्जीक्यूटर, 2, न्यू ब्रह्मक्षेत्रीय सोसायटी, एलीसब्रिज, अहमदाबाद। (अन्तरक)

(2) मैसर्स ललित एन्ड कं०, पार्टनर्स: (1) श्री ललित कुमार शांतिलाल
(2) श्री कुलदीप अत्तरसींघ,
कापडीया निवास, वी० एस० हास्पिटल के सामने, एलीसब्रिज, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

(3) टेनेन्ट्स के नाम
(1) कालीदास आप्टीकल इन्डस्ट्रीज,
(2) राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक कं०,
(3) विनोद इलेक्ट्रिक कं०,
(4) अरविन्द कुमार रतीलाल शाह,
(5) शशीकान्त शीवलाल देसाई,
(6) पंकज इलेक्ट्रिक कं०,
(7) चंपकलाल रतीलाल गांधी,
(8) कुलदीपासींघ अत्तरसीघ
(9) बलजीत कौर कुलदीप सिंग,
(10) करम सिंघ, प्रेम सिंघ,
(11) अशोक ट्रेडर्स,
(12) विनय इन्डस्ट्रीज,
(13) प्रदीपकुमार शांतिलाल मेहता,
(14) संघवी नगीनदास चत्रभुज,
(15) हरीश शिवप्रसाद शुक्ल
(16) इन्द्रवदन शिवप्रसाद शुक्ल।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

127.28 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का जमीन पर खड़ा मकान जिसका सर्वे नं० 130 तथा 137/बी० है जो पाडा-पोल, गांधीरोड, अहमदाबाद में स्थित है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद।

दिनांक: 1 अगस्त 1979
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 18 अगस्त, 1979

निदेश सं० पी० आर० नं० 710, एक्यू०-23/1488/7-4/79-80—यतः मुझे, एस० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं० रेवन्यू नं० 256, पैकी जमीन टीका नं० 68, सिटी सर्वे नं० 4185, सुमन को० आप० हा० सो० नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-1-1979

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) 1. राजन मनुभाई देसाई,
2. सुशिलाबेन बापूभाई,
3. निताबेन मनुभाई देसाई,
नूतन को० आप० हा० सो०, दुधिया तालाब, नवसारी। (अन्तरक)

(2) सर्वश्री 1. हरीलाल पुरुषोत्तमदास कपाडिया,
2. महेशचन्द्र हरिलाल कपाडिया,
3. नटवरलाल हरीलाल कपाडिया,
4. प्रफुल्लचन्द्रा हरिलाल कपाडिया,
नं० 2-3, टाटा हाऊसिंग सेन्टर, लालुभाई पार्क रोड, अंधेरी वैस्ट, बम्बई-58। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका रेवन्यू सर्वे नं० 256 है और जिसका नं० 68, सिटी सर्वे नं० 4185 है जिसका क्षेत्रफल 415.208 स्केवयर मीटर्स है और जो नूतन को० आप० हा० सो० लि० दुधिया तलाव, नवसारी में स्थित है जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी के दफ्तर में दिनांक 22-1-79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 18-8-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, कार्यालय अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 20 अगस्त 1979

निदेश सं० पी० आर०-713/अकेला-23-1347/7-4/89-80—यतः मुझे एस० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 11 का दक्षिण भाग, सी० एस० नं० 393/2, 309 और 408-ए०, मकान के साथ बिलीभारामे में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गनदेवा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-1-1979 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से

कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डी० नाथाभाई भीमभाई नायक, जवाहर मार्ग, बिलीमोरा (अन्तरक)

(2) श्रीमती शिरीन ए० उकानी, फिडर रोड, बिलीमोरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान, जो बिलीमोरा में है और जिसका प्लाट नं० 11 और सर्वे नं० 393/8394 (दक्षिण का आधा हिस्सा) है। और जो इसी कार्यालय में तारीख 16-1-1979 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० सी० पारीख
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 20 अगस्त 1979

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II कार्यालय अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 अगस्त, 1979

सं॰ पी॰ आर॰-714/ऐक्वी/-II-23-1316/19-7/79 80—अतः मुझे एस॰ सी॰ पारिख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ नोंध नं॰ 833, 855-ए और 855-बी है, जो बिलाल गली, नवापुरा, वार्ड नं॰ 3, सुरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सुरत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17-1-1979 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मोहम्मद अली शमशुद्दीन, नवापुरा, बिलाल गली, सुरत। (अन्तरक)

(2) सर्वश्री 1. अबदेअली भाई साहिब, याडयाभाइ साहेब बजाज, 2. मोहम्मद अब्दुल कैयुमभाई साहेब बजाज, 833 855-ए, बिलाल गली, नवापुरा सुरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान, जिसका क्षेत्रफल 204-25 चौरस गज है और जो नोंध नं॰ 833, 855-ए, और 855-बी बिलाल गली, नवापुरा सुरत में है, संपत्ति रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सुरत के कार्यालय में तारीख 17-1-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस॰ सी॰ पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 23-8-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II कार्यालय, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 अगस्त 1979

निदेश सं० पी० आर० 715/एकला- /79-80—

यतः मुझे, एस० सी० पारीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० नोंध नं० 452, स्टोर शेरी, वाडी फलीया है, जो वार्ड नं० 9, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1908 का 16) अधीन 15-1-79 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) सर्वश्री
- (1) जयश्रीबेन सुरेशचन्द्र हिरजलाल
- (2) मायानोर अनिलकुमार सुरेशचन्द्र
- (3) ईश्वरी सुरेशचन्द्र
- (4) यनबीनी सुरेशचन्द्र
- (5) निलम्बन सुरेशचन्द्र
- (6) प्रभाकर सूरजलाल
- (7) मीना प्रवीनकुमार प्रभाकर
- (8) ननदीना प्रभाकर
- (9) उसाबेन प्रभाकर

सब मलाबार रिक्त, रीमन रोड, बम्बई (अन्तरक)

(2) सर्वश्री
- (1) डेडालाल नटवरलाल
- (2) रतीलाल नटवर लाल
- (3) सुन्दरलाल नटवरलाल

स्टोर शेरी, वाडी फलीया, सूरत।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जो स्टोर शेरी, वार्ड नं० 7 वाडी फलीया,, सूरत में है, जिसका नोंध नं० 452 है और जो माप में 264.56 चौरस गज है। यह सम्पत्ति रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में तारीख 15-1-1979 को रजिस्टर्ड की गई है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 23-8-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 अगस्त 1979

निदेश सं० पी० आर०-716-एक्वी०/II-23/1283/4-3/79-80—यतः, मुझे, एस० सी० पारिख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ग्राम पंचायत नं० 138, भलाव गोदाम 1/3 हिस्सा है, जो भलाव भरुच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भरूच में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-2-79 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री सुलेमान अजमल अमीजी नबीपुर, तालुक भरुच। (अन्तरक)

(2) श्री आदम सुलेमान जीवा, दयादरा, तालुक भरुच। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोदाम जो भलाव में है, उसका ग्राम पंचायत नं० 138 (1/3 हिस्सा) है और जो क्षेत्रफल में 76'×30' जमीन एरीय में है। जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भरूच के कार्यालय में तारीख 16-2-79 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० सी० पारिख
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 23-8-79
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 23 अगस्त 1979

निदेश सं० पी० आर० 717, एक्वी-II/23-1283 4-3/79-80—अतः, मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० ग्राम पंचायत नं० 138 (1/3 हिस्सा) है, जो भलाव भरुच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भरुच में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-2-79 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुलेमान अब्दुल अमीजी नबीपुर, तालुक भरुच। (अन्तरक)

(2) श्री गुलाम सुलेमान जीवा, वेयादर, तालुक भरुच। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गोदाम जो भलाव गांव में है। जिसका ग्राम पंचायत नं० 138 (1/3 हिस्सा) है और जो क्षेत्रफल में 76′×30′ है। जो संपत्ति रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भरुच के कार्यालय पर तारीख 16-2-79 को रजिस्टर्ड की गई है।

एम० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 23-8-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 अगस्त 1979

निदेश सं० पी० आर०-718 एक्वी०, II-23-1314/19-8/79-80—यतः मुझे, एस० सी० पारिख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० नोंध नं० 255, गोलम बजवाली मस्जिद के सामने है जो भागातलाव, पानीने भिट रोड, वार्ड नं० 10 सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-2-1979 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. सर्वश्री अब्दुल कादर काजी इब्राहीम
2. अब्दुल अजीज काजी इब्राहीम, चौक बाजार, सूरत। (अन्तरक)

(2) 1. सर्वश्री मोहम्मद इस्माइल अब्दुल कादर कपाडिया।
2. अब्दुल रहीम अब्दुल कादर कपाडिया
3. मोहम्मद इब्राहीम अब्दुल कादर कपाडिया, 10/2551, सिंधी रोड, भागातलाव, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और मकान जिसका क्षेत्रफल 165 चौरस गज है, और जो नोंध नं० 255, भागातलाब से संबंधित है, और जो वोर्ड नं० 10 सूरत में उपस्थित है, जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के कार्यालय में तारीख 26-2-1979 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 29-8-1979
मोहर :

प्रकरण आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना-411004, दिनांक 30 अगस्त 1979

सं० सी ए 5/एस० आर० बाम्बे/जन०-79/456:—यतः, मुझे, श्री ए० सी० चंद्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० फायनल प्लाट क्र० 143 सब प्लाट 9 और 10 है तथा जो 38 ससून रोड़, पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी, 79

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) बाम्बे सोसायटी आफ फ्रान्सियन 66, डा० जोपालराव जी० मार्ग, मुम्बई-26।

(अन्तरक)

(2) सोसायटी आफ सिस्टर्स आफ सेंट जान जेल रोड, वर्धा, 44200।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रोपन प्लाट और जमीन:—फायनल प्लाट क्र०143, सब प्लाट्स क्र० 9, 10, 38 ससून रोड, पूना-1

क्षेत्रफल—2144 वर्ग मीटर्स।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० जन० 79 को सब रजिस्ट्रार बम्बई के दफ्तर में लिखा है)।

ए० सी० चन्द्रा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 30 अगस्त 1979
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

आशुलिपिक परीक्षा, 1980

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्तूबर 1979

सं० 11/6/79-प० I (ख)—भारत के राजपत्र, दिनांक 6 अक्तूबर 1979 में गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे दिए गए पैरा 2 में उल्लिखित अस्थायी सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, कटक, दिल्ली, दिसपुर (गोहाटी), हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोवा) पटियाला, पटना, पोर्ट ब्लेयर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम तथा विदेश स्थित कुछ चुने हुए भारतीय मिशनों में 16 मार्च, 1980 से एक प्रतियोगता परीक्षा ली जाएगी :—

आयोग यदि चाहे तो, परीक्षा उपर्युक्त केन्द्रों तथा उनके प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है । परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी तथा स्थान अथवा स्थानों के बारे में सूचित किया जाएगा । (देखिए उपाबंध, पैरा 11)

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन पदों और पदों पर भर्ती की जानी है, उनके नाम और विभिन्न सेवाओं और उनमें रिक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है :—

(i)	भारतीय विदेश सेवा (ख)—(आशुलिपिक उप-संवर्ग का ग्रेड-II)	10 (जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए एक एक-एक आरक्षित रिक्ति सम्मिलित है ।
(ii)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड-ग (इस ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए)	50**
(iii)	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड-ग	*
(iv)	भारत सरकार के कुछ अन्य विभागों/संगठनों तथा संबद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं है ।	*

*रिक्तियां सरकार द्वारा सूचित नहीं की गई ।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, यदि कोई है, तो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

3. कोई उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के संबंध में परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है ।

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता हो तो भी उसे एक ही आवेदन-पत्र भेजने की आवश्यकता है । नीचे पैरा-7 में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक ही बार देना होगा, उस प्रत्येक सेवा/पद के लिए अलग-अलग नहीं, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है ।

नोट:—इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने वाले कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी आशुलिपिक की ही आवश्यकता होगी; और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों में से की जाएगी जिन्हें लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी के आशुलिपिक परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है (द्रष्टव्य : नियमावली के परिशिष्ट I का पैरा 4)

4. उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि वह किन सेवाओं/पदों के लिए विचार किए जाने का इच्छुक है । उसे सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार एक से अधिक वरीयताओं का उल्लेख करे ताकि योग्यताक्रम में उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर भली भांति विचार किया जा सके ।

उम्मीदवारों द्वारा निर्दिष्ट उन सेवाओं/पदों के वरीयता क्रम में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता ।

5. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को आवेदन करना चाहिए । निर्धारित आवेदन-प्रपत्र तथा परीक्षा से संबंध पूर्ण विवरण दो रुपए भेज कर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं । यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस,

नई दिल्ली-110011, को मनीआर्डर या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिए । मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर के स्थान पर चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे । ये आवेदन प्रपत्र आयोग के काउंटर पर नकद भुगतान द्वारा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। दो रुपए की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी।

नोट:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र आशुलिपिक परीक्षा, 1980 के लिए निर्धारित मुद्रित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। आशुलिपिक परीक्षा, 1980 के लिए निर्धारित प्रपत्रों से इतर प्रपत्रों पर भरे हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के पास 3 दिसम्बर 1979 को या उससे पहले (3 दिसम्बर 1979 से पहले की तारीख से विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में 17 दिसम्बर 1979 तक) अवश्य पहुंच जाना चाहिए । निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवार से, आयोग यदि चाहे तो, इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि 3 दिसम्बर, 1979 से पहले की किसी तारीख से विदेशों में या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रह रहा था।

7. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन-पत्र के साथ आयोग की रु० 12.00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 3.00) का शुल्क भेजना होगा जो कि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का नई दिल्ली के प्रधान डाक घर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली में स्टेट बैंक आफ इंडिया की मुख्य शाखा पर देय स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह "051 लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" के लेखाशीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद लगाकर भेजनी चाहिए।

जिन आवेदन-पत्रों में यह अपेक्षा पूरी होगी उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा । यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता जो नीचे के पैरा 8 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क से छूट चाहते हैं।

8. आयोग आदि चाहे तो, उस स्थिति में निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक या तो 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से भारत आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है, या वर्मा से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और 1 जून 1963 को या उसके बाद भारत आया है या वह श्रीलंका से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

9. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो किन्तु उसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया तो उसे रु० 3.00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 1.00) की राशि वापस कर दी जाएगी।

उपर्युक्त या नीचे पैरा 10 में उपबंधित व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी दावे की स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क को वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या जमा के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

10. यदि कोई उम्मीदवार 1979 में ली गई आशुलिपिक परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करना चाहता हो तो उसे परीक्षा फल या नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही अपना आवेदन-पत्र अवश्य भेज देना चाहिए ताकि वह निर्धारित तारीख तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाए । यदि वह 1979 के परीक्षाफल के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर दिया जाता है तो उसके अनुरोध पर 1980 की परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसको उसी प्रकार शुल्क लौटा दिया जाएगा जिस प्रकार उस उम्मीदवार को लौटा दिया जाता है जिसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता बशर्ते कि उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क को वापस करने का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 16 फरवरी, 1980 को या इससे पूर्व प्राप्त हो जाए।

11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

आर० एस० अहलुवालिया,
उप सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

उपाबन्ध

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदनप्र पत्र भरने से पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ कर यह देख लें कि वे परीक्षा में बैठने के पात्र हैं भी या नहीं। निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है।

आवेदन-पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को, जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक है, अंतिम रूप से चुन लेना चाहिए। सामान्यतः चुने हुए स्थान में परिवर्तन से संबंद्ध किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

जो उम्मीदवार किसी विदेश स्थित भारतीय मिशन में परीक्षा देना चाहता हो तथा नियमावली के परिशिष्ट के पैरा 4 के अनुसार प्रश्न-पत्र (ii) निबंध तथा प्रश्न-पत्र (iii) सामान्य ज्ञान का उत्तर हिन्दी में लिखने तथा आशु-लिपिक परीक्षण हिन्दी में ही देने का विकल्प देता है तो उससे आशुलिपि परीक्षणों के लिए अपने ही खर्च पर विदेश स्थित किसी भी ऐसे भारतीय मिशन में बैठने के लिए कहा जा सकता है जहां इस प्रकार का परीक्षण आयोजित करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध उपलब्ध हों।

2. उम्मीदवार को आवेदन-प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से ही भरने चाहिए। अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

नोट :—उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा की नियमावली के परिशिष्ट 1 के पैरा 4 के अनुसार अपने आवेदन-पत्र के कालम 9 में स्पष्ट रूप से उस भाषा का उल्लेख कर देना चाहिये, जिसमें वे निबंध तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के इच्छुक हैं तथा आशुलिपि परीक्षण देना चाहते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त कालम में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई होगी तो यह मान लिया जायेगा कि उक्त प्रश्न-पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि का परीक्षण अंग्रेजी में दिया जायेगा।

सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हों, उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

3. उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख अवश्य भेजने चाहिए :—

(i) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट अथवा शुल्क में छूट का दावा करने के समर्थन में प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित/अभिप्रमाणित प्रतिलिपि (देखिए नोटिस के पैरा 7 और 8 और नीचे पैरा 6)।

(ii) आयु के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(iii) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(iv) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां।

(v) जहां लागू हो वहां अनुसूचित जाति/अनसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र के अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिए नीचे पैरा 4)।

(vi) जहां लागू हो वहां आयु में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति लिपि [देखिए नीचे पैरा 5 (ख)]।

(vii) विधिवत भरा हुआ उपस्थिति पत्रक (आवेदन) पत्र के साथ संलग्न।

(viii) बिना टिकट लगे हुए तीन लिफाफे (लगभग 11.5 से० मी० × 27.5 से० मी०) के जिन पर अपना पता लिखा हो।

नोट :—उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्रों के साथ उपर्युक्त मद (i) (ii), (iii), (v) तथा (vi) पर उल्लिखित प्रमाण-पत्रों की केवल प्रतिलिपियां ही प्रस्तुत करनी हैं जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हों अथवा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हों। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आशुलिपिक परीक्षण के लिए अहर्ता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के तुरन्त बाद उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी

होगी। परिणामों के 1980 के जुलाई मास में घोषित किए जाने की सम्भावना है। उम्मीदवारों को इन प्रमाण-पत्रों की उस समय तैयार रखना चाहिए तथा लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद उन्हें आयोग को प्रस्तुत कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार उस समय अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और ये उम्मीदवार पुनः विचार किए जाने का दावा नहीं कर सकेंगे।

मद (i) से (iv) में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण नीचे दिए गए हैं और मद (v) और (vi) में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण पैरा 4, 5 और 6 में दिए गए हैं :—

(i) (क) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए गए भारतीय पोस्टल आर्डर :—

प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः रेखांकित किया जाए तथा उस पर :—"सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय" लिखा जाना चाहिए।

किसी अन्य डाक घर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। विरूपित या कटे फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो पोस्टल आर्डर न तो रेखांकित किए गए हों और न ही सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय किए गए हों, उन्हें भेजना सुरक्षित नहीं है।

(ख) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट :—

बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा से लिया जाना चाहिए और सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इंडिया, की मुख्य शाखा नई दिल्ली में देय होना चाहिए तथा विधिवत रेखांकित होना चाहिए।

किसी अन्य बैंक के नाम देय किए गए बैंक ड्राफ्ट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विरूपित या कटे-फटे बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ii) आयु का प्रमाण-पत्र :—आयोग सामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय के यहां से मट्रिकुलेटों के रजिस्टर से दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

अनुदेशों के इस भाग में आए मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त वकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां में वह मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा से उत्तीर्ण हुआ है। इस प्रमाण-पत्र से उस संस्था के दाखिला रजिस्टर से दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र से लिखी जन्म की तारीख मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म की तारीख से भिन्न है और इसके लिए कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो आवेदन-पत्र रद्द किया जा सकता है।

नोट 1 :—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से संबद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अभि प्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

नोट 2 :—उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा किसी परीक्षा प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने के बाद किसी बाद की परीक्षा से उससे कोई परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाएगी।

नोट 3 :—जो उम्मीदवार (i) किसी मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (ii) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने वाले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, (iii) श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी, का हायर सेकेन्डरी कोर्स या (iv) दिल्ली पालीटेकनिक

के तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, उसे संबद्ध स्कूल के प्रिंसिपल से पैरा 3 (iii) के नीचे नोट 3 के बाद निर्धारित प्रपत्र पर लिया गया आयु का प्रमाण-पत्र अवश्य भेजना चाहिए और इसके अतिरिक्त आयु के प्रमाण के रूप से कोई अन्य प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं होगा।

नोट 4 :—जो उम्मीदवार पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हों, उनकी सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों को जन्म की तारीख और शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप से स्वीकार किया जा सकता है।

(iii) शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र :—उम्मीदवार को एक ऐसे प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी चाहिए जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 7 में निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास है। भेजा गया प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा निकाय) का होना चाहिए जिसने उसे योग्यता विशेष प्रदान की हो। यदि ऐसे प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि न भेजी जाए तो उम्मीदवार को उसे न भेजने का कारण अवश्य बताना चाहिए और अपेक्षित योग्यता से संबद्ध अपने दावे के समर्थन में किसी अन्य प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए। आयोग इस साक्ष्य पर उसकी गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा, किन्तु वह उसे पर्याप्त मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

नोट 1 :—जो उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की इस परीक्षा में बैठने के लिए शैक्षिक रूप से योग्य हो जाता है किन्तु उन्हें परिणाम की सूचना नहीं मिली है और वह ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है तो वह आयोग की इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होगा।

नोट 2 :—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करके माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र हो, उसे उस प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ केवल एस० एस० एल० सी० परीक्षा-परिणाम की प्रविष्टियों वाले पृष्ठ की प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

नोट 3 :—जो उम्मीदवार (1) किसी मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, (ii) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद्यार्थियों को तैयार करने वाले किसी मान्यताप्राप्त स्कूल (iii) श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी का हायर सैकेण्डरी कोर्स या (iv) दिल्ली पालिटेक्नीक के तकनीकी माध्यमिक विद्यालय की दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो उसे संबद्ध स्कूल के प्रिंसीपल/हैड मास्टर से नीचे नोट में निर्धारित फार्म पर लिया गया शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र अवश्य भेजना चाहिए।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म दृष्टव्य पैरा 3(ii) का नोट 3 और उपर्युक्त नोट (3)।

प्रमाणित किया जाता है

(1) श्री/श्रीमती/कुमारी*————————

सुपुत्र / सुपुत्री* श्री————————————

इस विद्यालय की————————————कक्षा में जो कि हायर सैकेन्डरी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के हायर सैकेन्डरी पाठ्यक्रम/दिल्ली पालीटेकनिक तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम* की उपांतिम कक्षा है, उत्तीर्ण है।

(2) इस विद्यालय के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उनकी जन्म की तारीख————————————है, इस तारीख की स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/विद्यालय में विद्यार्थी के दाखिले के समय उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए विवरण* से पुष्टि कर ली गई है।

तारीख:————————हैडमास्टर/प्रिंसीपल* के हस्ताक्षर

स्थान: (विद्यालय का नाम)

*जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।

(iv) फोटो की दो प्रतियां :—उम्मीदवार को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 स० मी० × 7 स० मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिएं। इनमें से एक प्रति आवेदन-प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर और अन्य प्रति उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए। फोटो की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए।

ध्यान दें :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ ऊपर पैरा 3 (ii), 3 (iii), और 3(iv) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र आदि में से कोई एक संलग्न न होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी न दिया गया होगा तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई प्रलेख आवेदन-पत्र के साथ न भेजे गए हों तो उन्हें आवेदन-पत्र भेजने के बाद शीघ्र ही भेज देना चाहिए और वे हर हालत में आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अंतिम

तारीख से एक महीने के भीतर आयोग के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिएं। यदि ऐसा न किया गया तो आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

4. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उप मण्डल अधिकारी या नीचे उल्लिखित किसी अन्य अधिकारी से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में पद नामित किया हो, नीचे दिए गए फार्म के प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आम तौर पर रहता है।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*———— सुपुत्र/सुपुत्री* श्री———— जो गांव/कस्बा*———— जिला /मंडल* ———— राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र———— के/की* निवासी है———— जाति/जन जाति* की हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित /जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है :—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूची (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई, पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन), अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित।

और अनसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976]

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956*

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959,* अनुसूचित जातियां तथा अनसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनसूचित जातियां, आदेश, 1962*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962*

संविधान (पांडिचेरी) अनसूचित जातियां आदेश, 1964*

संविधान (अनसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

संविधान (गोवा, दमन और दियू) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968*

संविधान (गोवा, दमन और दियू) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968*

संविधान (नागालैण्ड) अनसूचित जन जातियां आदेश, 1970*

2. श्री/श्रीमती/कुमारी* ———— और/या* उनका परिवार आमतौर से गांव/कस्बा* ———— जिला/मंडल* ———— राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र———— में रहते/रहती* हैं।

हस्ताक्षर————

**पदनाम————

(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान————

तारीख————

राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र

*जो शब्द लागू न हों, उन्हें कृपया काट दें।

नोट :— यहां आम तौर पर रहते/रहती* हैं" शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/जन जाति—प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी।

(i) जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/कलैक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलैक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट/डिप्टी मैजिस्ट्रेट/†सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/ताल्लुक मैजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर।

†(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट के ओहदे से कम नहीं)।

(ii) चीफ प्रैसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/ऐडीशनल चीफ प्रैसीडेंसी मैजिस्ट्रेट प्रैसिडेंसी मैजिस्ट्रेट ।

(iii) रैवेन्यु अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो ।

(iv) उस इलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर से रहता हो ।

(v) एडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफसर, लक्षद्वीप ।

5(क) नियम 6(ख) के अंतर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले आशुलिपिकों (जिसमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल है)/क्लर्कों/स्टेनोटाईपिस्टों को अपने विभाग/कार्यालय के प्रधान से निम्नलिखित प्रपत्र पर एक प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ।

(i) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी——————————— के कार्यालय, जो भारत सरकार/संघ राज्य क्षेत्र*———————————का विभाग/कार्यालय है, मैं नियमित रूप से नियुक्त आशुलिपिक के पद पर कार्य कर रहे हैं और पहली जनवरी, 1980 को आशुलिपिक/क्लर्क/स्टेनोटाइपिस्ट/रे० डा० से सार्टर की हैसियत से उनकी लगातार सेवा 3 वर्ष की हो गई है/से कम नहीं होगी और वे इस पद पर कार्य कर रहे हैं/करते रहेंगे ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों के आधार पर के० स० आ० से०/रे० बो० स० आ० से०/आई० बी० एम० बी० आशुलिपिक उप संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा* में नियुक्त नहीं हुए हैं ।

(ii) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी——————————— के कार्यालय जो भारत सरकार/संघ राज्य क्षेत्र*———————————क विभाग/कार्यालय है, में नियमित रूप से क्लर्क/स्टेनोटाईपिस्ट रेल डाक सेवा के सार्टर/आशुलिपिक के पद पर लगातार कार्य कर रहे हैं और पहली जनवरी, 1980 को क्लर्क/स्टेनोटाईपिस्ट/ रेलवे डाक सेवा के सार्टर/आशुलिपिक की हैसियत से उनकी लगातार सेवा 3 वर्ष की हो गई है/ से कम नहीं होगी । और वे इस पद पर कार्य कर रहे हैं/करते रहेंगे :

संख्या———— हस्ताक्षर ————————

दिनांक———— पदनाम————————

स्थान———— मंत्रालय/कार्यालय————————

कार्यालय की मुहर————

*जो लागू न हो उसे काट दें

ख. (i) नियम 6(ग) (ii) या 6 (ग) (iii) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में छूट का और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 8 के अधीन शुल्क में छूट दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिए गए प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है :—

(1) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा विभिन्न राज्यों में स्थित राहत शिविरों के कैम्प कमांडेंट ।

(2) उस क्षेत्र का जिला मैजिस्ट्रेट, जहां वह इस समय निवास कर रहा है ।

(3) अपने-अपने जिलों में शरणार्थी पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ।

(4) स्वयं प्रभारित सब डिवीजन का सब डिवीजनल अफसर ।

(5) उप शरणार्थी पुनर्वास, आयुक्त पश्चिम बंगाल/ निदेशक (पुनर्वास) कलकत्ता ।

(ii) नियम 6 (ग) (iv) अथवा 6(ग) (v) के अन्तर्गत निर्धारित आयु में छूट का और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 8 के अधीन शुल्क में छूट का दावा करने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले मूलतः भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिए गए इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्टूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964, को या उसके बाद भारत आया है या भारत आने वाला है ।

(iii) नियम 6(ग) (vi) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया से आए हुए उम्मीदवार को या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित भारत मूलक उम्मीदवार को उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से जहां वह इस समय निवास कर रहा है लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वास्तव में उपर्युक्त देशों से आया है ।

(iv) नियम 6(ग) (vii) अथवा 6 (ग) (viii) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 8 के अधीन शुल्क में छट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति की भारतीय राजदूतावास, रंगून द्वारा दिए गए पहिचान प्रमाण-पत्र को एक अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1973 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे, जिस क्षेत्र का वह निवासी है उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह बर्मा से आया हुआ

वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963, को या उसके बाद भारत आया है ।

(v) नियम 6(ग) (ix) अथवा 6 (ग)(x) के अन्तर्गत आयुसीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक पुनःस्थापन, रक्षा मंत्रालय से निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले

प्रणाम-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट———————— ———————— के रैंक नं०———————— श्री ———————————रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अशांतिग्रस्त* क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ।

हस्ताक्षर ————————

पदनाम ————————

दिनांक ————————

*जो शब्द लागू न हो, उसे कृपया काट दें ।

(vi) नियम 6(ग) (x) 6 (ग)(xii) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को, जो सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है महानिदेशक, सीमा रक्षा दल, गृह मंत्रालय से नीचे निर्धारित फार्म पर लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभि-प्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला

प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट———————— रैंक नं०————————श्री———————— ————————सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए सन् 1971 के भारत-पाक शत्रुता संघर्ष के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ।

हस्ताक्षर ————————

पदनाम ————————

तारीख————————

(vii) नियम 6(ग)(xiii) के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले वियतनाम से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को, फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी है, उस जिला मैजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वियतनाम से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है ।

6. जो उम्मीदवार ऊपर पैरा 5(ख) (i), (ii) और (iv) में से किसी भी वर्ग के अन्तर्गत नोटिस के पैरा 8 के अनुसार शुल्क में छूट का दावा करता है, उसको किसी जिला अधिकारी या सरकार के राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के सदस्य से, यह दिखलाने के लिए कि वह निर्धारित शुल्क देने की स्थित में नहीं है, इस आशय का एक प्रमाणित पत्र लेकर उसकी अभि-प्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी ।

7. जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रा प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो ।

8. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई झूठा ब्यौरा न दें अथवा किसी महत्व-पूर्ण सूचना को न छिपाएं ।

उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रलेख अथवा उसकी प्रति की किसी प्रविष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करें, न उसमें परिवर्तन करें और न कोई फरबदल करें, और न ही फेर-बदल किए गए/झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । यदि ऐसे दो या अधिक प्रलेखों या उनकी प्रतियों में कोई अशुद्धि अथवा विसंगति हो तो विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए ।

9. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने पर देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि कि आवेदन-प्रपत्र ही अमुक तारीख को भेजा गया था । आवेदन-प्रपत्र को भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक न होगा कि प्रपत्र पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है ।

10. यदि परीक्षा से संबद्ध आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की आखिरी तारीख से एक महीना के भीतर उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र की पावती न मिले तो उसे पावती प्राप्त करने के लिए आयोग से तत्काल सम्पर्क करना चाहिए ।

11. इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा । यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीना

पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिए उसे आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए । यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा ।

12. पिछली पांच परीक्षाओं के नियमों और प्रश्न-पत्रों से संबद्ध पुस्तिकाओं की प्रतियों की बिक्री प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110006 के द्वारा होती है और उन्हें वहां से मेल आर्डर द्वारा सीधे अथवा नकद भुगतान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । उन्हें (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा के सामने, एम्पोरिया बिल्डिंग 'सी' ब्लाक, बाबा खड़कसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001, (ii) प्रकाशन शाखा, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 और (i) गवर्नमेंट आफ इंडिया बुक डिपो, 8, के० एस० राय रोड, कलकत्ता-1 से भी केवल नकद भुगतान करके खरीदा जा सकता है । ये पुस्तिकाएं विभिन्न मुफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से ही प्राप्त की जा सकती हैं ।

13. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

14. आवेदन-पत्र से संबद्ध पत्र-व्यवहार : आवेदन-पत्र से संबद्ध सभी पत्र-व्यवहार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 से किया जाए तथा उस नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाए ।

(1) परीक्षा का नाम

(2) परीक्षा का महीना और वर्ष

(3) उम्मीदवार का रोल नम्बर अथवा जन्म की तारीख यदि रोल नम्बर सूचित नहीं किया गया है ।

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में)

(5) आवेदन-पत्र में दिया गया डाक का पता

ध्यान दें :—जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

15. पते में परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें । पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना उपर्युक्त पैरा 14 में उल्लिखित ब्यौरे के साथ, यथाशीघ्र दी जानी चाहिए आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता ।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 5th September 1979

No. A.32016/2/78-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints Shri Ram Singh, a permanent Research Assistant (R&S) and officiating Research Investigator in the office of Union Public Service Commission to officiate on an *ad-hoc* basis as Junior Research Officer (R&S) in the Commission's office for the period from 3rd September 1979 to 30th November 1979, or until further orders, whichever is earlier, *vice* Smt. Raj Kumari Anand, Junior Research Officer (R&S) granted leave.

The 7th September 1979

No. A35017/1/79-Admn.II.—On the expiry of his term or deputation to the post of Accounts Officer in the office of Union Public Service Commission the services of Shri H. R. Singh, Accounts Officer of the office of A.G.C.R. and presently working as Accounts Officer in this office, are replaced at the disposal of A.G.C.R.

Shri H. R. Singh has been granted Earned Leave for a period of 52 days with effect from 10th September 1979 to 31st October 1979. On the expiry of his leave, Shri H. R. Singh will report direct to the A.G.C.R.

The 10th September 1979

No. A.12026/1/78-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints Shri S. L. Chopra, a permanent Receptionist and officiating Reception Supervisor to officiate on an *ad hoc* basis as Reception Officer in the office of the Union Public Service Commission for the period from 3rd September 1979 to 30th November 1979, or until further orders, whichever is earlier.

No. A.35017/1/79-Admn.II.—The Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints Shri M. P. Jain, a Section Officer of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission to the *ex cadre* post of Accounts Officer in the office of Union Public Service Commission on an *ad hoc* basis for a period of three months with effect from 10th September 1979, or until further orders, whichever is earlier.

Shri M. P. Jain will be on deputation to the *ex cadre* post of Accounts Officer and his pay will be regulated in terms of the instructions contained in the Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. F.10(24)/E.III/60, dated 4th May 1961, as amended from time to time.

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
for Secy.
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 22nd August 1979

No. A. 32014/1/79-Admn. I.—The President is pleased to appoin tthe following Selection Grade Personal Assistants (Grade C)/ Personal Assistants (Grade C of the CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission to officiate as Senior Personal Assistants (Grade B of the CSSS) in the same cadre in a purely provisional, temporary and *ad hoc* capacity with effect from the dates mentioned below :

Sl. No.	Name	Regular post held	Post to which ad hoc appointment made	Period for whih ad hoc appointment made
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	S/Shri			
1.	S. P. Mehra	Officiating Selection Grade for Grade C Stenographers and Permanent P. As. (Grade C of the CSSS).	Senior PA (Grade B of the CSSS).	3-9-1979 to 31-10-79 or until further orders whichever is earlier.
2.	O. P. Deora			
3.	Hukam Chand	Officiating Selection Grade for Grade C Stenographers and Permanent P. As. (Grade C of the CSSS).	Senior PA (Grade B of the CSSS)	60 days with effect from 19-8-1979 to 17-10-1979 or until further orders whichever is earlier.
4.	H. C. Katoch			
5.	T. R. Sharma			
6.	K. S. Bhutani	Permanent P. A. (Grade C of the CSSS).	Senior P.A. (Grade B of CSSS).	60 days with effect from 19-8-1979 to 17-10-1979 or until further orders whichever is earlier.

2. The above mentioned persons should note that their appointment as Senior P.A. (Grade B of the CSSS) is purely temporary and on *ad hoc* basis and will not confer any title for absorption in Grade B of CSSS or for seniority in that Grade. The *ad hoc* appointments of S/Shri S. P. Mehra and O. P. Deora to Grade B of the CSSS for the period mentioned against their names is subject to the approval of the Department of Personnel & ARs.

The 31st August 1979

No. P/55-Admn.I.—The President is pleased to permit Km. S. T. Keswani, a permanent Section Officer and officiating as Under Secretary in the office of the Union Public Service Commission, to retire from Government service, after attaining the age of superannuation with effect from 31st August 1979 (AN).

No. P/1691/Admn.I.—The President is pleased to permit Shri A. Gupta a permanent Grade I Officer of CSS and officiating as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission to retire from Government Service, after attaining the age of superannuation with effect from 31st August 1979 (AN).

Shri A. Gupta has, however, been re-employed in the post of Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission for a period of six months with effect from 1st September 1979 beyond superannuation; with the concurrence of the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms, *vide* their letter No. 39017/17/79-Estt(B), dated 30th July 1979.

No. A. 32013/1/79-Admn. I.—The President is pleased to appoint the following officers in the Office of the Union Public Service Commission to officiate as Under Secretaries on ad hoc basis in Grade I of the Central Secretariat Service for the period shown against each, or until further orders, whichever is earlier.

Sl. No.	Name		Period
1.	Shri B. B. Mehra	(Premanent Officer of Grade A of CSSS)	21-7-1979 to 20-10-1979
2.	Shri P. C. Mathur	(Permanent Officer of Section Officers' Grade of CSS)	21-7-1979 to 20-10-1979
3.	Shri R. N. Khurana	(Permanent Officer of the Section Officers' Grade of CSS).	17-7-1979 to 18-8-1979

S. BALACHANDRAN
Under Secy.
Union Public Service Commission

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 12th September 1979

No. 18 RCT-1. and No. 99 PRS 011.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Ramesh Chandra, an Officer of Indian Railway Service of Engineers as Chief Technical Examiner in the Central Vigilance Commission in an officiating capacity with effect from the forenoon of 5th September 1979, until further orders.

RAMESH CHANDRA
Secy.
for Central Vigilance Commissioner

New Delhi-110001, the 10th September 1979

No. 98-RCT-18.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri S. L. Garg, a permanent Personal Assistant of this Commission, as Senior Personal Assistant in the Central Vigilance Commission in an officiating capacity with effect from the forenoon of 5th September 1979.

K. L. MALHOTRA
Under Secy.
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 7th September 1979

No. 1-9/79-CFSL/6483.—The President is pleased to accept the resignation of Shri S. S. Kainth from the post of Senior Scientific Officer (Ballistics), Central Forensic Science Laboratory, C.B.I., New Delhi w.e.f. 31st August 1979 (Afternoon).

The 13th September 1979

No. A-19036/4/78-Ad.V.—The services of Shri Shamalendu Roy, an officer of West Bengal Police working as Dy. Superintendent of Police in Central Bureau of Investigation EOW, Calcutta are placed at the disposal of the Government of West Bengal, on his repatriation with effect from the afternoon of 1st August 1979.

Q. L. GROVER
Administrative Officer (E)
Central Bureau of Investigation

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110001, the 14th September 1979

No. O.II-1038/75-Estt.—The Director General CRPF is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Usha Jain as Junior Medical Officer in the CRPF on *ad-hoc* basis with effect from 17th August 1979 (F.N.) for a period of 3 months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

The 15th September 1979

No. O.II-559/69-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion on *ad-hoc* basis Shri J. S. Ahlawat as Assistant Commandant in the CRPF in a temporary capacity until further orders.

2. Shri J. S. Ahlawat handed over charge of the post of Dy. S. P. 11 Bn CRPF on the afternoon of 12th July 1979 and took over charge of the post of Assistant Commandant 45 Bn CRPF on the afternoon of 22nd July 1979.

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110019, the 10th August 1979

No. E-16016/4/78-Pers.—On transfer from Government of India Press, Koratty, Kerala, Dr. P. B. V. Rao, General Duty Officer Gde. II of Central Health Service, assumed the charge of the post of Asstt. Surgeon Gde. II at CISF Trg. College, Hyderabad, w.e.f. the forenoon of 6th August 1979.

No. E-32015(1)/5/78-Pers.—The President is pleased to appoint Shri Prem Singh Nihal Singh Panchal as Asstt. Inspector-General (Fire) in the Central Industrial Security Force, in a temporary capacity with effect from the afternoon of 20th August 1979 until further orders.

S. NATH
Inspector-General/CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 11th September 1979

No. 11/34/79-Ad.I-18224.—The President is pleased to appoint Shri R. C. Chandnani, Office Superintendent, in the office of the Director of Census Operations, Rajasthan, Jaipur as Assistant Director of Census Operations in the same office on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a period of one year with effect from the forenoon of 10th August 1979, or till the post is filled in on regular basis, whichever is earlier.

2. His headquarters will be at Jaipur.

3. The above *ad-hoc* appointment will not bestow upon Shri Chandnani any claim to regular appointment in the grade. The services rendered by him on *ad-hoc* basis will not count for the purpose of seniority in the grade nor for eligibility for promotion to the next higher grade. The above *ad-hoc* appointment may be reversed at the discretion of the appointing authority at any time without assigning any reason therefor.

The 12th September 1979

No. 10/23/78-Ad.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri O. Bhaktan, Senior Investigator, in the Office of the Deputy Director for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Lucknow, as Research Officer (Social Studies) in the office of the Registrar General, India, New Delhi as a direct recruit, on regular basis, in a temporary capacity with effect from the forenoon of 18th August 1979 until further orders.

2. His headquarters will be at New Delhi.

The 14th September 1979

No. 10/31/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri S. Rajagopalan, Section Officer in the office of the Registrar General, India, as Deputy Director in the same office, with effect from forenoon of 14th September 1979, by transfer on deputation, on *ad-hoc* basis, for a period of one year or till the post is filled on a regular basis, whichever period is shorter.

The Headquarters of Shri Rajagopalan will continue to be at New Delhi.

The 15th September 1979

No. 10/29/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri K. K. Chakravorty, Assistant Registrar General (Census and Tabulation) in the office of the Registrar General, India, New Delhi, as Deputy Registrar General (Census and Tabulation) in the same office, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of one year with effect from the afternoon of 11th September 1979, or till the post is filled on regular basis, whichever period is shorter.

2. His headquarters will be at New Delhi.

The 19th September 1979

No. 10/28/78-Ad.I.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri R. P. Singh, Senior Geographer in the office of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow as Research Officer (Map), in the office of the Registrar General, India, New Delhi, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 30th August 1979, until further orders.

His headquarters will be at New Delhi.

No. 11/29/78-Ad.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri S. N. Srivastava, Investigator (Social Studies) in the office of the Registrar General, India, New Delhi, as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office, in a temporary capacity, as a direct recruit, with effect from the forenoon of 30th August 1979, until further orders.

His headquarters will be at New Delhi.

No. 11/58-79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Agha Syed Asghar, Office Superintendent in the office of the Director of Census Operations, Jammu and Kashmir, Srinagar, as Assistant Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Assam, Gauhati, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of one year with effect from the forenoon of 30th August 1979 or till the post is filled in on regular basis, whichever is earlier.

2. His headquarters will be at Gauhati.

3. The above *ad-hoc* appointment will not bestow upon Shri Asghar any claim to regular appointment to the grade. The services rendered by him on *ad-hoc* basis will not count for the purpose of seniority in the grade nor for eligibility for promotion to the next higher grade. The above *ad-hoc* appointment may be reversed at any time at the discretion of the competent authority without assigning any reason therefor.

P. PADMANABHA
Registrar General, India

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad-461005, the 1st September 1979

No. PD-3/6496.—Consequent upon the reversion of Shri A. K. Ghosh as Assistant Works Manager with effect from 31st August 1979 F.N. Shri S. K. Anand, Assistant Works Manager is reverted to the post of Foreman (Production) with effect from the same day.

S. R. PATHAK
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT CENTRAL REVENUES

New Delhi-2, the 18th September 1979

No. Admn.I/O.O.304/5-6/79-80/1163.—The Director of Audit, hereby appoints Shri H. C. Khatri, a permanent Section Officer of this office, to officiate as Audit Officer with effect from the forenoon of 31st August 1979 until further orders.

Sd. ILLEGIBLE
Joint Director (Admn.)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT COMMERCE WORKS AND MISC.

New Delhi, the 15th September 1979

No. Admn.I/8(14)II/2501.—The Comptroller and Auditor General of India has been pleased to sanction the permanent absorption of Shri S. Padmanabhan, Audit Officer in the Computer Maintenance Corporation Ltd., from January 1, 1979. He is deemed to have retired from Government service with effect from the date of his permanent absorption in the Corporation as per Rule 37 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.

The 18th September 1979

No. Admn.I/9(1)KW/2674.—The Comptroller and Auditor General of India has, with the concurrence of the Minitry of Finance, sanctioned the permanent absorption of Shri G. S. Mittal, A. O. in the Hindustan Paper Corporation Ltd. with effect from April 2, 1979. He is deemed to have retired from Government Service with effect from the date of his absorption in the Corporation as per Rule 37 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.

M. S. SARNA
Director of Audit

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, KERALA

Trivandrum, the 11th September 1979

No. Estt.A.VII/9-86/Vol. II/141.—The Accountant General, Kerala is pleased to appoint the undermentioned permanent section officers (Audit and Accounts) to officiate as Accounts Officers with effect from the dates shown against each until further orders.

1. Sri R. Hariharadevaraja Iyer 1-9-1979 AN.
2. Shri M. T. George, 1-9-1979 AN.
3. Sri T. N. Sankaranarayana Iyer (proforma) 1-9-1979 AN.

D. S. IYER
Sr. Deputy Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 10th September 1979

No. Admn.I/8.132/79-80/94.—Sri P. Venkata Ramana Rao, Accounts Officer, of the Accountant General, Andhra Pradesh-I, Hyderabad, has retired from service w.e.f. 30th April 1979 AN.

No. Admn.I/8.132/79-80/94.—Sri Syed Iltafath Hussain, Accounts Officer, Office of the Accountant General, Andhra Pradesh-I, Hyderabad, has retired from service w.e.f. 30th June 1979 AN.

No. Admn.I/8.132/79-80/94.—Sri G. V. Satyanarayana Sastry, Accounts Officer, Office of the Accountant General, Andhra Pradesh-I, Hyderabad, has retired from service w.e.f. 30th June 1979 AN.

No. Admn.I/8.132/79-80/94.—Sri B. R. Kulkarni, Accounts Officer, Office of the Accountant General, Andhra Pradesh-I, Hyderabad, has retired from service w.e.f. 31st August 1979 AN.

Sd. ILLEGIBLE
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi-110011, the 30th August 1979

No. A-19018(65)/73-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri Lalit Krishna, Asstt. Director (Gr. I) (Mechanical) in Small Industries Service Institute, Srinagar as Deputy Director (Mechanical) in the same Institute with effect from the forenoon of 1st August 1979, until further orders.

No. A-19018(383)/79-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri A. K. Makkar as Assistant Director (Gr. I), (Mechanical) in the Branch Small Industries Service Institute, Jammu with effect from the forenoon of 26th July 1979, until further orders.

No. A-19018(405)/79-Admn.(G).—The President is pleased to appoint Shri P. T. Thomas, as Assistant Director (Gr. I) (Mechanical) in the Small Industries Service Institute, Ahmedabad, with effect from the forenoon of 3rd August 1979, until further orders.

M. R. GUPTA
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF STEEL AND MINES

DEPARTMENT OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 13th September 1979

No. A-19011(153)/76-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri Mcerul Hasan, Assistant Controller of Mines, to the post of Deputy Controller of Mines in Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the afternoon of 3rd August 1979.

The 14th September 1979

No. A-19012(21)/77-Estt.A.—Shri M. N. Charl, Pmt. Mineral Officer (Statistics) is promoted to officiate as Asstt. Mineral Economic (Stat.) in forenoon of 2nd August 1979, until further orders.

S. BALAGOPAL
Head of Office
Indian Bureau of Mines

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

New Delhi-110001, the 14th September 1979

No. F.11-9/79-A.1.—The Director of Archives, Government of India, hereby appoints Miss Gulistan Kapadia, Quasi-Permanent Assistant Archivist (Grade I) (General) to officiate as Archivist (General) (Class II Gazetted) on purely *ad-hoc* basis with effect from 10th September 1979 (F.N.) and until further orders.

This *ad-hoc* appointment will not confer any right for claim for regular appointment and will not count for the purpose of seniority and for eligibility for promotion to the next higher grade.

B. S. KALRA
Administrative Officer
National Archives of India
for Director of Archives

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 13th September, 1979

No. 1/13/78-SII—The following juniors Accounts Officers, Ministry of Information and Broadcasting are appointed on deputation to the post of Accounts Officer in the pay scale of Rs. 840-1200 with effect from the dates at the offices shown against their names :—

S. No.	Name	Date of appointment	Office where posted
1.	Sh. B. N. Inamdar, Jr. Accounts Officer, Films Division, Bombay.	11-6-1979 (AN)	Regional Engineer (W), All India Radio, Bombay.
2.	Sh. A. P. Lakshminarayanan, Jr. Accounts Officer, Ministry of I & B, New Delhi.	31-5-1979 (FN)	Regional Engineer (N), All India Radio, New Delhi.
3.	Sh. Y. R. Khattar, Jr. Accounts Officer, Ministry of I & B, New Delhi.	20-6-1979 (FN)	Central Stores, All India Radio, New Delhi.
4.	Sh. C. V. Balasundaram, Jr. Accounts Officer, All India Radio, Madras.	31-5-1979 (FN)	Regional Engineer (S) All India Radio, Madras.

S. V. Seshadri,
Deputy Director of Administration.
For Director General

New Delhi, the 17th September 1979

No. 6(9)/62-SI.—Shri S. Dutta Biswas, Programme Executive, All India Radio, Calcutta retired from Service with effect from the afternoon of 31st July 1979 on attaining the age of superannuation.

N. K. BHARDWAJ
Dy. Director of Administration
for Director General

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-12, the 12th September 1979

No. F.70-2/79-Estt./16593.—The following Senior Zoological Assistants, Zoological Survey of India, Headquarters Office, Calcutta, are hereby appointed to the post of Assistant Zoologist (Group 'B' Gazetted) in the Scale of Rs. 650—1200 in the same Department at the Headquarters Office in Calcutta in a temporary capacity on *ad-hoc* basis with effect from 31st August 1979 (forenoon), until further orders.

1. Shri A. R. Lahiri.
2. Dr. N. C. Nandy.

DR. T. N. ANANTHAKRISHNAN
Director,
Zoological Survey of India

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 11th September 1979

No. A.38013/3/77(HQ)Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri T. S. Gill, Assistant Architect in the Directorate General of Health Services retired from Government service on the afternoon of the 30th June 1979.

The 12th September 1979

No. A.12026/1/76(HQ)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Ramji Prasad to the post of Technical Officer (Medical Stores Organisation), Directorate General of Health Services, New Delhi with effect from the forenoon of 17th August 1979 in a temporary capacity until further orders.

The 15th September 1979

No. A.12026/9/79(HQ)Admn.I.—The President is pleased to appoint S/Shri R. C. Kumar and M. S. Sehgal, Assistant Architects in the Directorate General of Health Services to the post of Deputy Architect in the same Directorate with effect from the forenoon of 4th August 1979 on an *ad hoc* basis until further orders.

2. Consequent on their appointment to the post of Deputy Architect S/Shri R. C. Kumar and M. S. Seghal relinquished charge of the post of Assistant Architect, Directorate General of Health Services, New Delhi, on the forenoon of 4th August 1979.

S. L. KUTHIALA
Dy. Director Administration

KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA

(KRISHI VIBHAG)

VISTAR NIDESHALAYA

New Delhi, the 11th September 1979

No. 2-11/77-Estt.(1).—The *ad hoc* appointment of Shri P. B. Dutta in the post of Assistant Exhibition Officer (Visuals) is further continued beyond 28-2-1979 and upto 29th February 1980.

No. F. 2-11/77-Estt.(I).—The *ad hoc* appointment of Shri K. B. Nayar in the post on Assistant Exhibition Officer (Grade I) is further extended beyond 28th February 1979 and upto 29th February 1980.

B. N. CHADHA
Director Administration

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 11th September 1979

No. A.19023/57/78-A.II.—On the recommendations of the D.P.C., Shri M. Chakraborty, who is working as Marketing Officer (Group I) at Faridabad on *ad-hoc* basis, has been promoted to officiate as Marketing Officer (Group I) at Faridabad on a regular basis w.e.f. 24th August 1979, until further orders.

No. A.19023/10/79-A.III.—On his reversion from the post of Chief Chemist to the post of Marketing Officer (Group III) in this Directorate, Shri Chandra Mohan relinquished charge of the post of Chief Chemist at Ghaziabad in the afternoon of 16th August 1979 and took over charge of the post of Marketing Officer (Group III) at New Delhi in the forenoon of 17th August 1979.

The 12th September 1979

No. A.19023/79/78-A.III.—On his attaining the age of superannuation, Shri Laxmi Narain, Marketing Officer of this Directorate, retired from Government service in the afternoon of 31st July 1979.

The 15th September 1979

No. A. 19025/13/79-A.III.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri N. Venkataraman, Senior Inspector has been promoted to officiate as Assistant Marketing Officer (Group III) in this Directorate at Kuppam with effect from 27-8-1979 (FN), until further orders.

B. L. MANIHAR,
Director of Administration,
for Agricultural Marketing Adviser

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION)

Bombay-5, the 17th September 1979

No. PPED/3(282)/76-Adm.13738.—Director, Power Projects Engineering Division, Bombay hereby appoints Shri S. Nagaraj, Section Officer (Accounts) in the Office of the Controller of Defence Accounts, Factories, Calcutta on deputation basis in this Division as Assistant Accounts Officer, in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 with effect from the forenoon of August 21, 1979 until further orders.

B. V. THATTE,
Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400001, the 11th September 1979

No. DPS/23/2/77/Est/21163.—The Director, Directorate of purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Laxman Harish Chandra Bagwe temporary Storekeeper of this Directorate to officiate as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on an *ad hoc* basis in the same Directorate with effect from 15-5-79 (FN) to 15-6-79 (AN) *vice* Shri I. P. Menon, granted leave.

No. DPS/23/2/77/Est/21250.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Balkrishna Dharma More temporary Storekeeper of this Directorate to officiate as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on an *ad hoc* basis in the same Directorate with effect from 30-4-79 (FN) to 16-6-79 (AN) *vice* Shri N. John Johny granted leave.

C. V. GOPALAKRISHNAN
Assistant Personnel Officer

ATOMIC MINERALS DIVISION

Hyderabad-500016, the 23rd August 1979

No. AMD-1/12/79-Adm.—Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Som Nath Sachdeva, Hindi Translator in the Atomic Minerals Division as Assistant Personnel Officer in the same Division in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of August 18, 1979 upto September 17, 1979 (AN), *vice* Shri T. S. Narayanan, Assistant Personnel Officer granted leave.

M. S. RAO,
Sr. Administrative & Accounts Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400008, the 11th September 1979

No. 05045/79/5434.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, hereby appoints Smt. Kannampilli Padmanabha Menon Kallyanikutty, Assistant Personnel Officer Heavy Water Projects (Central Office), in a substantive capacity, in the same post, with effect from January 1, 1979.

The 12th September 1979

No. 05052/78/5456.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Ashok Kumar, a temporary Foreman of Heavy Water Project (Talcher), to officiate as Scientific Officer/Engineer (Grade SB) in the same project, with effect from the forenoon of August 1, 1978 until further orders.

The 13th September 1979

No. 05000/S-357/5476.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri V. B. Swamy, a permanent Auditor and officiating Section Officer in the office of the Accountant General (Orissa), Bhubaneswar, to officiate as Assistant Accounts Officer, in Heavy Water Project (Talcher), in a temporary capacity, with effect from July 16, 1979 (AN) until further orders.

K. SANKARANARAYANAN,
Senior Administrative Officer

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam, the 31st August 1979

No. A.32023/1/77/R.—Shri S. R. Sambasivan who was promoted to officiate on an *ad hoc* basis from July 16, 1979, vide this Centre's Notification No. A. 32023/1/77/R-11271 dated july 17, 1979 has relinkuished charge of the said post with effect from the afternoon of August 30, 1979.

T. S. V. AIYAR,
Administrative Officer
for Project Director

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 10th September 1979

No. A.12025/8/76-EI.—The President is pleased to appoint S/Shri B. K. Gandhi, Senior Technical Assistant (Aeronautics) and J. S. Chauhan, Senior Technical Assistant (Aircraft Evaluation), to the grade of Scientific Officer, Civil Aviation Department on an *ad-hoc* basis for a further period beyond 24-7-79 and upto 18-10-79, or till regular appointments to the grade are made, whichever is earlier, in continuation of this Department Notification No. A. 12025/8/76-EI, dated the 8th February 1979.

No. A.32013/7/79-EI.—The President is pleased to appoint Shri Kuldip Rai, Senior Technical Assistant (Aeronautics), to the grade of Scientific Officer, Civil Aviation Department, on an *ad-hoc* basis for a further period beyond 24th July 1979 and upto 18-10-79, or till regular appointment to the grade is made, whichever is earlier, in continuation of this Department Notification No. A.32013/7/79-EI, dated the 30th May 1979.

C. K. VATSA,
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 13th September 1979

No. A-38013/1/79-EA.—Shri J. L. Victor, Aerodrome Officer in the office of the Regional Director, Bombay Region, Bombay Airport, Bombay retired from Government service on the 31st August, 1979 AN, on attaining the age of superannuation.

V. V. JOHRI,
Asstt. Director of Administration

New Delhi, the 12th September, 1979

No. A. 32013/9/78-EC.—In continuation of this Deptt. Notifications No. A. 32013/9/78-EC dated 3-3-1979, A. 32013/9/78-EC, dated 22-3-1979, and A. 32013/9/78-EC dated 16-6-1979, the President is pleased to sanction to the continued ad-hoc appointment of the undermentioned assistant Tech nical Officers to the grade of Technical Officer beyond the date mentioned against each and upto 31-12-1979 :—

S. No.	Name	Station of posting	Period of continued ad-hoc appointment
1.	Shri C. L. Malik	ACS, Bombay.	Beyond 1-8-1979 and upto 31-12-1979
2.	Shri H. A. Shetty	ACS, Bangalore.	Beyond 20-11-1979 and upto 31-12-1979
3.	Shri K. N. S. Mani	ACS, Madras.	Beyond 1-7-1979 and upto 31-12-1979
4.	Shri A. Shanmugham	ACS, Madras.	Beyond 1-7-1979 and upto 31-12-1979
5.	Shri K. R. Ramanujam	ACS, Bombay.	Beyond 1-8-1979 and upto 31-12-1979
6.	Shri O. P. Chabra	ACS, Palam.	Beyond 1-7-1979 and upto 31-12-1979
7.	Shri V. S. Mitra	Radio Constr. and Dev. Units, New Delhi.	Beyond 1-7-1979 and upto 31-12-1979

The 15th September, 1979

No. A. 32013/8/79-EC—The President is pleased to appoint the following three Assistant Technical Officers to the grade of Technical Officer on *ad-hoc* basis for a period of six months or till regular appointment to the grade are made whichever is earlier with effect from the date and station indicated against each :—

S. No.	Name	Present station of posting	Station to which posted	Date of taking over charge
1.	Shri D. S. Gill	Central Radio Stores Depot, New Delhi.	Director, Radio Const. & Dev. Units, New Delhi.	3-8-1979 (FN)
2.	Shri S. P. Sahani	Director Radio Constr. & Dev. Units, New Delhi.	Director, Radio Constr. & Dev. Units, New Delhi.	2-8-1979 (FN)
3.	Shri V. Subramaniam	ACS, Madras.	ACS, Bombay.	10-8-1979 (AN)

S.N. MOTWANI
Officer on Special Duty (E).

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 11th September 1979

No. 1/226/79-Est.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri R. M. Kumbhar, officiating Technical Assistant, Poona Branch as Assistant Engineer, in an officiating capacity in the same Branch with effect from the forenoon of the 7th May, 1979 and until further orders.

No. 1/421/79-Est.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri D. P. Kannan, Technical Assistant, Madras Branch, as Assistant Engineer in an officiating capacity, on a regular basis in the same Branch with effect from the forenoon of the 11th July, 1979 and until further orders.

The 12th September 1979

No. 1/36/79-Est.—Shri M. S. Krishnaswamy, Permanent Administrative Officer, Headquarters Office, Bombay, retired from service with effect from the afternoon of the 30th June, 1979, on attaining the age of superannuation.

No. 1/83/79-Est.—The Director General, Ovearseas Communications Service, hereby appoints Shri A. K. Verma, Permanent Traffic Accountant, Headquarters Office, Bombay, as Traffic Accounts Officer, in an officiating capacity on *ad-hoc* basis, beyond 17-6-1979 and upto 16-7-1979, in continuation of his earlier officiation for the period from 16-4-79 to 17-6-79 against a short-term vacancy.

No. 1/481/79-Est.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri M. Balakrishnan, Sepervisor, Madras, Branch as Deputy Traffic Manager, in an officiating capacity, *on ad-hoc* basis, in the same Branch, for the following periods :

From	*To*
(1) 23-10-1978	29-1-1979
(2) 28-2-1979	7-4-1979
(3) 16-4-1979	10-5-1979

H. L. MALHOTRA,
Dy. director (Admn.)
for Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

Patna, the 13th September, 1979

No. II (7)2-ET/79/11990—In pursuance of this office Establishment Order No. 309/78 dated 10/11/78 and 310/78 dated 10/11/78, following Inspectors of Central Excise/Customs promoted to officiate as Superintendent, Group 'B', Central Excise/Customs in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-E.B.-35-880-40-1000-E.B.-40-1200/- plus usual allowances as admissible under rules have assumed charge as Superintendent, Group 'B', Central Excise/Customs at the places and with effect from the dates and hours as indicated below against each :—

Sl. No.	Name	Place of posting	Date of assumption of charge.
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	C. M. Zerai	Superintendent, Central Excise (Prev.), Jamshedpur.	28-11-78 (FN)
2.	Tarini Prasad	Superintendent, Customs, Simrahi, (Saharsa),	29-12-78 (F.N.)
3.	Mahesh Chandra Prasad	Superintendent, Central Excise (SRP-I), Patna.	8-2-79 (F.N.)
4.	Tarkeshwar Nath Singh	Superintendent, Central Excise, Patna Division.	17-11-78 (F.
5.	Rewati Raman Sinha, No. I	Superintendent, Customs, Muzaffarpur.	16-12-78 (F.N.)
6.	Lakhan Lal	Superintendent, Central Excise, Karanpura (S.R.P.)	30-1-79 (F.N
7.	Krishna Kumar Sinha	Superintendent, Gold (Prev.), Patna.	15-11-78 (F.N.)
8.	Balram Prasad	Superintendent, Customs (Prev.), Raxaul.	5-12-78 (F.
9.	Ahmad Bashir	Superintendent, Customs Garhara Transhipment yard.	12-3-79 (F.N.
10.	Kalyan Kumar Roy	Superintendent, Central Excise, Jamadoba (S.R.P.)	16-1-79 (F.N.)
11.	Bindhayachal Singh	Superintendent, Customs, Muzaffarpur.	20- 11-78(FN.).
12.	Rajeshwari Prasad	Superintendent, Central Excise (Prev.), Dhanbad.	16-11-78 (F.N.)
13.	Mustaq Alam	Superintendent, Central Excise, Mahuda (S.R.P.)	19-1-79 (F.N.)
14.	S. Banerjee	Superintendent, Hazaribagh (S.R.P.)	12-12-78 (F.N.)
15.	Ram Chhabila Pd. Singh	Superintendent, Central Excise, Barkakana (S.R.P.).	29-1-79 (F.N.)
16.	Hari Pd. Dubey	Superintendent, Customs (Prev.), Forbesganj.	28-11-78 (F.N.)
17.	Hazari Singh	Superintendent, Central Excise, Purnea Range.	16-3-79 (F.N.)
18.	Janardan Pd. Singh	Superintendent, Central Excise, Sijua (S.R.P.).	17-11-78 (F.N.)
19.	Man Mohan Pandey	Superintendent, Central Excise, Bermo.	29-11-78 (F.N.)
20.	K. C. Chakraborty	Superintendent, Central Excise, Barauni (S.R.P.) Range.	23-11-78 (F.N.)
21.	Gajendra Pd.	Suprintendent, Central Excise, Hatia Range.	20-11-78 (F.N.)
22.	Raghunath Choudhary	Superintendent, Central Excise (S.R.P.), Bhowra	27-2-78 (F.N.)
23.	Laxmi Narain	Superintendent, Central Excise (S.R.P.), Patna.	20-11-78 (F.N.)
24.	Subodh Chandra Mukherjee	Superintendent, Customs, Kishanganj.	26-12-78 (F.N.)
25.	Ranveer Prasad	Superintendent, Central Excise, Kasunda (S.R.P.).	27-11-78 (F.N.)
26.	Sita Ram Mishra	Superintendent, Central Excise, Mugma (S.R.P.).	18-1-79 (F.N.)
27.	Ramyash Choubey	Superintendent, Central Excise S.R.P. Range, (Sonardih).	22-1-79 (F.N.)

D. K. SARKAR
Collector
Central Excise, Patna

DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT CUSTOMS & CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 18th September 1979

No. 8/79.—Shri P. P. Singh Chatrath, lately posted as Assistant Chief Controller of Factories, New Delhi on transfer to the Headquarters office of the Directorate of Inspection and Audit, Customs & Central Excise at New Delhi vide Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Order No. 140/79 (F. No. 22012/20/78-Ad.II) dated 18-7-79, assumed charge of the post of Inspecting Officer (Customs & Central Excise) Group 'A' on 20-7-79 (Forenoon).

DAYA SAGAR,
Director of Inspection

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-110022, the 7th September 1979

No. A-19012/235/71-Adm.—Chairman, Central Water Commission hereby accepts the resignation from Government service tendered by Shri M. S. Chawla, Extra Assistant Director, Central Water Commission with effect from the afternoon of 31st August, 1979.

J. K. SAHA,
Under Secretary,
Central Water Commission

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-22, the 28th June 1979

No. 6/2/79-Adm. II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints the undermentioned Technical Assistants/ Supervisors to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) service in an officiating capacity with effect from the dates shown against their names, until further orders :—

Serial No.	Name	Designation.	Date of appointment
1.	Shri B.P.S. Fauzdar	Technical Assistant	3-5-79
2.	Shri A. K. Agnihotri	Do.	9-5-79
3.	Shri I.A. Khan	Do.	3-5-79
4.	Shri S. N. Mohanty	Do.	3-5-79
5.	Shri V. K. Singla	Do.	3-5-79
6.	Shri B. Jaganna	Do.	3-5-79
7.	Shri O. P. Arora	Do.	3-5-79
8.	Shri R. N. Mathur	Do.	3-5-79
9.	Shri G. G. Paul	Do.	11-5-79
10.	Shri D. K. Babuta	Do.	3-5-79
11.	Shri R. K. Sharma	Do.	3-5-79
12.	Shri S. K. Sakhooja	Do.	4-5-79
13.	Shri H. K. Khanduja	Do.	3-5-79
14.	Shri Om Parkash-II	Do.	3-5-79
15.	Shri Sunil Kumar	Do.	4-5-79
16.	Shri U. K. Singhal,	Do.	3-5-79
17.	Shri S. K. Shrivastava-I	Do.	3-5-79
18.	Shri T. C. Sanyal	Do.	8-5-79
19.	Shri R. S. Moorjani	Do.	3-5-79
20.	Shri T. R. Bahl	Do.	3-5-79
21.	Shri R. K. Garg	Do.	3-5-79
22.	Shri R. C. Subbaraju	Do.	7-5-79
23.	Shri Rakesh Bhanot	Do.	3-5-79
24.	Shri Chandan Roy	Do.	30-5-79
25.	Shri R. C. Tiwari	Do.	3-5-79
26.	Shri A. K. Sood	Do.	3-5-79
27.	Shri Batto Singh	Do.	3-5-79
28.	Shri A. S. Roy	Supervisor	8-6-79
29.	Shri K. S. Sandhu	Do.	4-6-79
30.	Shri Surinder Prasad	Do.	8-6-79

S. BISWAS
Under Secy.

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF WORKS

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 13th September, 1979

No. 33/5/78-EC1X.—The Director General of works, C.P.W.D., is pleased to appoint the undermentioned nominees of the U.P.S.C. as Assistant Architect against temporary posts in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-800-E.B.-35-880-1000-E.B.-40-1200 from the dates and pay shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of appointment as Assistant Architect	Pay	Remarks
	S/Shri			
1.	T. Sirinivasulu	17-8-79 (F.N.)	Rs. 650/- P.M.	His pay will be re-fixed according to rules shortaly.
2.	P.G. Patekar	30-8-79 (F.N.)	Rs. 650/- P.M.	Do.

2. Both the officers are placed on probation for a period of two years from the dates of their appointment as Assistant Architects as shown above.

3. Shri T. Sirinivasulu is posted in Senior Architect (NZ) VII Unit, C.P.W.D., R.K. Puram, New Dlhi, and Shri P. G. Patekar is posted in Senior Architect (Asian Games) Unit, C.P.W.D., New Delhi.

S. S. RAU
Dy. Director of Admn.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th September 1979

No. 78/RE/161/1.—It is hereby notified for the general information of all users of Railway lines and premises that the track overhead equipment in Vijayawada-Chirala section from KM. 580/472.20 to 583/560.40 and 431/576.15 to 336/820.95 (RE Structures LS/1 to 583/23-24 and TY/163 to 336/27-28) of South Central Railway will be alive on 25000 volts AC with effect from 30th September 1979.

Public are warned :

1. To keep away from electric traction wires and fittings in the section;
2. Not to approach or come in contact with such wires and fittings either directly in person or through articles such as poles, bamboos, metallic rods, etc. as it will prove fatal;
3. Not to lean or protrude any portion of their body outside the compartments to avoid getting injured, as steel masts for carrying traction wires have been erected on both sides of the track;
4. Not to come within a range of two metres from the electric fitting and overhead electric wires;
5. Not to approach or work in the proximity of overhead wires;
6. Not to travel on foot-boards or ride on the roof of the coaches, as it may prove fatal;
7. That height gauges have been erected at all the level crossings in the above sections with a clear height of 4.67 metres (15 ft. & 4 inch.) above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming into contact with or in dangerous proximity of live traction wires. Public are to observe the height specified above for the purpose of loading vehicles and to see that the loads carried in road vehicles do not infringe the height gauges under any circumstances;
8. To kindly report to the nearest Station Master in case they come across any broken wires;

The Railway Administration will not be liable for any accident caused due to this warning being ignored.

K. BALACHANDRAN,
Secretary, Railway Board

NORTHERN RAILWAY HEADQUARTERS OFFICE

New Delhi, the 11th September 1979

No. 16.—The following officers of Transportation (Traffic) & Commercial Department, Northern Railway have finally retired from Railway Service from the dates noted against each :—

S. No., Name and Date from which finally retired

1. Shri M. G. Bakhtianee, SCO(CP)/HQ, 31-8-79 (AN).
2. Shri K. N. Mehrotra, AOS/ALD, 31-8-79 (AN).

R. K. NATESAN,
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS COMPANY
COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Escorts Farms Hatcheries Private Ltd.

New Delhi, the 9th September 1979

No. 5989/14776.—Notice is hereby given pursuant to subsection (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of Escorts Farms Hatcheries Private Ltd., has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

G. B. SAXENA
Asstt. Registrar of Companies, Delhi

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. The Amalgamated Exports Corporation Limited

Bombay, the 6th September 1979

No. 11372/560(3).—Notice ishereby given pursuant to subsection (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date thereof the name of the M/s The Amalgamated Exports Corporation Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

L. M. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Rubche Co. Pvt. Ltd.

Bombay, the 6th September 1979

No. 9074/Liq.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956 that M/s.. Rubche Co. Pvt. Ltd. has been ordered to be wound up by an order dated 2-10-78 passed by the High Court of Maharashtra and that the Official Liquidator attached to the High Court of Maharashtra has been appointed as the Official Liquidator of the company.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Varuna Syndicate Pvt. Ltd.

Bombay, the 6th September 1979

No. 10904/49.—Notice is hereby given pursuant to section 445(2) of the Companies Act, 1956 that M/s. Varuna Syndicate Pvt. Ltd., has been ordered to be wound up by an order dated 15-11-1978 passed by the High Court or Maharashtra and that the Official Liquidator attached to the High Court of Maharashtra has been appointed as the Official Liquidator of the company.

(Sd) ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Srl Jayanthi Sugars Privated Limited

Pondicherry-1, the 10th September 1979

No. 141/79.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Company 'Sri Jayanthi Sugars Private Limited', unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. R. V. V. SATYANARAYANA
Registrar of Companies
Pondicherry.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Navaratna Investments Private Limited

Cuttack, the 11th September 1979

No. SO/718-2584(2) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Navaratna Investments Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Ankhandala Mani Savings & Finance Private Limited

Cuttack, the 12th September 1979

SO/730/2639(2).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Ankhandala Savings and Finance Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Orissa Chromate Private Limited

Cuttack, the 12th September 1979

No. SO/693/2642(2) —Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Orissa Chromate Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

(Sd) ILLEGIBLE
Registrar of Companies, Orrissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Kohinoor Pictures Private Limited

Calcutta, the 12th September 1979

No. 15916/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Kohinoor Pictures Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Registery and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of R. K. Makhal & Co. Private Limited

Calcutta, the 12th September 1979

No. 24/91/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the R. K. Makhal & Co. Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Allied Apparel Private Limited.

Calcutta, the 12th September 1979

No. 24432/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Allied Apparel Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Gidni Minerals Private Limited.

Calcutta, the 12th September 1979

No. 24864/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of Gidni Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Stahl Manufacturing (India) Private Limited.

Calcutta, the 12th September 1979

No. 30822/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Stahl Manufacturing (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Full Chrome Tannery Private Limited.

Calcutta, the 12th September 1979

No. 26343/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Full Chrome Tannery Private Limited unless

cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Ram Gases Limited.

Calcutta, the 12th September 1979

No. 29003/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Ram Gases Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Mitra Vihar Private Limited.

Calcutta, the 12th September 1979

No. 21725/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Mitra Vihar Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Pratapgarh Trust Private Limited.

Calcutta, the 18th September 1979

No. 16308/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Pratapgarh Trust Private Limited has this day been struck off and thes aid company is dissolved.

N. R. SIRCAR,
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Balkrishna Kapoor and Company Private Limited.

Delhi, the 11th September 1979

No. 1402/15092.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Balkrishna Kapoor and Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the Company will be dissolved.

(Sd) ILLEGIBLE
Asstt. Registrar of Companies.
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Stores Dyes Chemicals Limited.

Ahmedabad, the 17th September 1979

No. 598/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Stores Dyes Chemicals Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. The Bhavnagar Public Dairy Limited.

Ahmedabad, the 17th September 1979

No. 721/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s The Bhavnagar Public Dairy Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Subhdarshni Printers & Enterprises Private Limited.

Ahmedabad, the 17th September 1979

No. 2337/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s Subhdarshni Printers & Enterprises Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Nylotex Engineering Private Limited.

Ahmedabad, the 17th September 1979

No. 2133/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s Nylotex Engineering Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s Ahmedabad Finance Trading Private Limited.

Ahmedabad, the 17th September 1979

No. 2186/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s Ahmedabad Finance Trading Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

J. G. GATHA,
Registrar of Companies,
Gujarat.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX CENTRAL

Calcutta, the 20th July 1979

No. E/7416/CTC 2E-1/79-80.—In exercise of the powers conferred on him under section 124(1) of the Income-tax Act, 1961, the Commissioner of Income-tax (Central-I), Calcutta, hereby creates a circle designated as Central Circle —XXXIV, Calcutta under him w.e.f. the date Shri Subhas Chandra Sen, I.T.O., Group—'A' takes over.

Shri Subhas Chandra Sen, I.T.O., Group 'A' who has been transferred and posted to Central, Calcutta Charge under Board's order F. No. A-22013/1/79-Ad.VI dated 26-6-79, is posted as I.T.O., CC-XXXIV, Calcutta w.e.f. the date he takes over Charge.

B. LAKSHMIPATHY,
Commissioner of Income Tax,
(Central-I), Calcutta.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, DELHI-IV

New Delhi, the 6th September 1979

OFFICE ORDER

Sub :—Distribution of workload amongst T.R.Os.

No. CIT IV/JUR/TRO/79-80/20170.—In partial modification of the office order No. 10537 dt 1-7-78 on the the above subject C.I.T. Delhi-IV, New Delhi hereby directs that the T.R.O. mentioned in Column 2 below shall perform his duties in respect of the Districts/Wards as mentioned in column 3 with effect from 1-9-79.

S. No.	Designation	Allocation of work	Administrative Control of I.A.C.
1	2	3	4
1.	T.R.O. XIX, New Delhi	*Erstwhile Wards :* 1. Districts III (3), III (14), III (15), III (28), III (29) and III (35).	I.A.C. Range-III-D, New Delhi

1	2	3	4
		2. 3rd Addl. Survey Circle-III, New Delhi. 3. 4th Addl. Survey Circle-II, New Delhi. *Newly redesignated wards* : District III-D (1) District III-D (2) District III-D (3) District III-D (4) District III-D (5) District III-D (6) District III-D (7) District III-D (8) New Delhi.	
		4. District III-E(I), New Delhi.	I.A.C. Range-III-E.

RANBIR CHANDA
Commissioner of Income-tax
Delhi-IV, New Delhi.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 17th August 1979

Ref. No. A.P.611/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per Schedule situated at Nai Basti Bhatinda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Bhatinda on January 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Lal Chand s/o
Shri Atma Singh R/o
House No. 877/A Gali Vipan Chand Pal,
Nai Basti, Bhatinda.
(Transferor)

(1) Smt. Sundri Devi
w/o Shri Amin Lal,
Shri Shital Prashad
s/o Shri Amin Lal
C/o M/s. Suresh Motor Car Co. near old bus Stand Bhatinda.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house No. 877 at Gali Bipin Chand Pal, Nai Basti Bhatinda as mentioned in the registration deed No. 4523 of 1/79 of the Sub-Registrar, Bhatinda.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 17-8-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 2nd August 1979

Ref. No. A.P.591/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Wan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ferozepur in June, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kapoor Singh
s/o Shri Jarnail Singh
r/o Wan Teh. Ferozepur.
(Transferor)

(2) Shri Charanji Lal
s/o Shri Behari Lal
r/o Vill. Wan Teh. Ferozepur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 48 Kanals in village Wan Teh. Ferozepur as mentioned in the sale deed No. 1799 of June, 79 of the Sub-Registrar, Ferozepur.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-8-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 2nd August 1979

Ref. No. A.P.592/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. As per Schedule situated at Wan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ferozepur on June 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kapoor Singh
s/o Shri Jarnail Singh
r/o Vill. Wan Teh. Ferozepur.
(Transferor)

(2) Shri Behari Lal
s/o Shri Hardyain Ram
r/o Vill. Wan Teh. Ferozepur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 16 Kanals as mentioned in the Registration deed No. 1800 of June, 79 of the Sub-Registrar, Ferozepur.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 2nd August 1979

Ref. No. A.P.593/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Fazilka
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Fazilka on February 1979
for an apparent consideration which is less tha nthe fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosedb y the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gokal Chand
s/o Shri Shanker Dass
r/o Gali Dewarian, Fazilka.
(Transferor)

(2) Sh. Murari Lal
s/o Shri Amar Chand
r/o Fazilka.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house No. 340 in Gali Dewarian, Fazilka as mentioned in the registration deed No. 3147 of Jan, 79 of the Sub-Registrar, Fazilka.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-8-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 2nd August 1979

Ref. No. A.P.594/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per Schedule situated at Ferozepur City
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ferozepur on June 1979
for an apparent consideration which is less than the fair mar-market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rattan Kumar
s/o Shri Phool Chand
r/o Moharianwala Ferozepur City.
(Transferor)

(2) Shri Jaspal
s/o Shri Om Parkash,
Smt. Chander Kanta
D/o Shri Mulkh Raj,
Shri Hazari Lal
s/o Shri Bhagwan Singh
Shri Kanshi Ram
s/o Shri Bhagwan Dass,
r/o Ferozepur City.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to interested in the property]

(3) (M/s Sharma Brothers, Patna
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land situated on Makhu Gate, Circular Road, Ferozepur as mentioned in the Registration deed No. 5669 of the Sub-Registrar, Ferozepur.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-8-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 2nd August 1979

Ref. No. AP.595/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per Schedule situated at Mandi Shekhu
(and more fully described in the Schedule annexed hereto).
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Malout in May 1979
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that **the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration** therefor by more than fifteen per **cent** of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the **object of :—**

(a) facilitating the reduction or avasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, **in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes ofthe Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to thhe following presents, namely :—

(1) Shri Behari Lal
s/o Shri Sudagar Chand
s/o Shri Khem Chand
r/o Mandi Shekhu.
(Transferor)

(2) Shri Paramjit Singh
s/o Shri Dilraj Singh
s/o Shri Ranjit Singh and
Inderjit
s/o Shri Bachan Ram
s/o Shri Mangal Ram
r/o Malout
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here-**in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Rakba 58 Kanals 6 Marla situated at vill : Danewala as mentioned in Registration Deed No. 444 of May, 79 of the Sub-Registrar, Malout.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 2-8-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 6th August 1979

Ref. No. AP.597/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND
being hte Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. as per Schedule situated at Moga
(and more fully described in the Schedule anexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Moga on April, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Yash Pal Sood
s/o Shri Lajpat Rai Sood
s/o Shri Sultani Mal Sood
r/o Moga.
(Transferor)

(2) Shri Ram Partap
s/o Shri Kalu Ram
s/o Shri Sonda Ram
r/o Gali No. 4 New Township, Moga.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms nd expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot measuring 2 kanal 11 marlas 7½ sarsi on Ara Road, Moga as mentioned in the Registration deed No. 72 of 4/79 of the Sub-Registrar, Moga.

SUKHDEV CHAND
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 6th August 1979

Ref. No. AP.598/79-80.—Whereas, I, SUKHDEV CHAND being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at urani Dana Mandi Moga (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Moga on April 1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

17—266 GI/79

(1) Smt. Vidya Wati
w/o Shri Roop Lal
s/o Shri Mangat Ram
r/o Sardar Nagar, Moga.
(Transferor)

(2) Smt. Pushpa Rani
w/o Shri Om Parkash
s/o Shri Babu Ram Yash Pal
s/o Shri Goverdhan Dass,
Satish Kumar,
r/o Mandi Moga.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One shop cum Godown constructed over a plot of land 4 Marla 6 sarsai as mentioned in the registration deed No. 76 of April, 79 of the Sub-Registrar, Moga.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 6th August 1979

Ref. No. A.P.600/79-80.—Whereas, I,
SUKHDEV CHAND
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per Schedule situated at G.T. Road, Moga
and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Moga on April, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facillitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurbachan Singh Sibia
s/o Shri Khem Singh Sibia
s/o Shri Budh Singh
r/o Sibia Building, G.T. Road, Moga.
(Transferor)

(2) Shri Randhir Singh
s/o Shri Joginder Singh
s/o Shri Chhaju Singh
r/o Vill. Kokri Kalan Teh. Moga.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

¼ portion of godown constructed over a plot of land 2 Kanal 10 marla as mentioned in the Registration deed No. 413 of April, 79 of the Sub-Registrar, Moga.

SUKHDEV CHAND,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 6-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th September 1979

Ref. No. A.P. No. 607.—Whereas, I, B. S. DEHIYA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Mandar Bait
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on January, 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid
property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following Persons, namely :—

(1) Shri Luchman Singh
so Shri Jalaoa Singh
r/o Village Gholian Kalan Teh. Moga.
(Transferor)

(2) Shri Chana Singh
s/o Sunder Singh
r/o Vill. Munder Bet Near Dhilwan,
Distt. Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Anybody interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. I-99 of Jan. 1979 of the Registering Authority Calcutta.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-9-1979

Seal :

FORM I.T.N.S.— —

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th September 1979

Ref. No. A.P. No. 1935.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on January 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lt. Col. Jagmohan Singh
457 New Jawahar Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Rajinder Singh Kumar
S/o Bhag Singh 74-L Model Town, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 6569 Dated 1-1-79 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 4-9-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th September 1979

Ref. No. 1936.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per Schedule situated at Phagwara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Phagwara on 10-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 169D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lal Chand Singla
s/o Shri Ram Dass
c/o National Foundary,
G.T. Road, Phagwara.
(Transferor)

(2) Smt. Bharawan Bai
w/o Shri Sant Lal
c/o Calcutta Matting House ,
Loha Mandi, Phagwara.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are denfied in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 1723 dated 10-1-1979 of the Registering Authority Phagwara.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 4-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th September 1979

Ref. No. 1937.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing at
As per schedule.
situated at Phagwara.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Phagwara on 25-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Lal Chand Singla s/o Ram Dass C/o National Foundary G. T. Road, Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Manohar Lal S/o Sant Lal C/o Calcutta Matting House, Loha Mandi, Phagwara.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 1815 dated 25-1-1979 of the Registering Authority Phagwara.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 4-9-79.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 4th September 1979

Ref. No. A.P. No. 1938.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule.
situated at Phagwara.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Phagwara on 9-2-79.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Lal Chand Singla s/o Ram Dass C/o National Foundary G. T. Road, Phagwara.
(Transferor)

(2) Shri Krishan Lal S/o Sant Lal C/o Calcutta Matting House, Loha Mandi Phagwara.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 1910 dated 9-2-79 of the Registering Authority Phagwara.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Jullundur

Date : 4-9-79.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 5th September 1979

Ref. No. A. P. No. 1939.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule
situated at Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on 11-1-1979.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such aparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Major M. S. Deol S/o Sh. Bishan Singh C/o 56 A.P.O.
(Transferor)

(2) Sh. Veena Singla W/o Shanti Sarup Textile Colony, Ludhiana.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6835 Dated 11-1-1979 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 5-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
JULLUNDUR

Jullundur, the 5th September 1979

Ref. No. A.P. No. 1940.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule.
situated at Vill. Dhogri Teh. Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on February 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sohan Singh S/o Atma Singh Village Mithapur Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Sh. Darshan Singh S/o Jagiri Mal Village Dhogri Teh. Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 7818 of February 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 5-9-1979.
Seal :

18—266GI/79

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 6th September 1979

Ref. No. A.P. 1941.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
as per Schedule,
situated at Bz. Sheikhan, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kewal Krishan Ohri s/o Dr. Shanker Das R/o Ohri Hospital Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Tarlochan Singh s/o Partap Singh and Ramin derpal Singh s/o and Jasjit Kaur D/o Tarlochan Singh C/o Sahni Cloth House, Sadar Bz., Kapurthala.

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6902 dated 15-1-79 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 6-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 6th September 1979

Ref. No. A.P. 1942.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule
situated at Bz. Sheikhan, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Jullundur on 17-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Incomt-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kewal Krishan Ohri s/o Dr. Shanker Dass R/o Ohri Hospital, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Tarlochan Singh s/o Partap Singh and Ramínderpal Singh s/o and Jasjit Kaur D/o Tarlochan Singh C/o Sahni Cloth House, Sadar Bz., Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6954 dated 17-1-79 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 6-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 6th September 1979

Ref. No. A.P. 1943.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule.
situated at Bz. Sheikhan, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on 19-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sudershan Ohri s/o Dr. Shanker Dass G. A. of Kewal Krishan Ohri c/o Ohri Hospital Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Tarlochan Singh s/o Partap Singh and Raminperdal Singh s/o and Jasjit Kaur D/o Tarlochan Singh C/o Sahni Cloth House, Sadar Bz., Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6777 dated 19-1-79 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 6-9-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 6th September 1979

Ref. No. A.P. 1944.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule,
situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on 12-1-79.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Swaran Singh s/o Gian Singh s/o Budh Singh Village Dabdaba, Teh. Bilaspur.
(Transferor)

(2) Shri Dharamvir s/o Shankar Dass, New Jawahar Nagar Market, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property)

*(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6878 of January 1979 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 6-9-1979.
Seal .

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 7th September 1979

Ref. No. A. P. 1945.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule
situated at Garh Shankar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Garh Shankar on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such trasnfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gurbakhsh Singh S/o Sh. Ganda Singh R/o V. Ghungarni, Teh. Hoshiarpur.
(Transferor)

(2) Dr. Jang Bahadur Singh Rai s/o Capt. Chanchal Singh Vill. Sadhowal, Teh. Garh Shankar.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interesting in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3240 of Jan. 1979 of the Registering Authority, Garh Shankar.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 7th September 1979

Ref. No. A.P. 1946.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
as per Schedule
situated at Garh Shankar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Garh Shankar on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Gurbakhsh Singh s/o Sh. Ganda Singh R/o Bhungarni Teh. Hoshiarpur.
(Transferor)

(2) Smt. Davinder Kaur W/o Dr. Jang Bahadur Singh Rai R/o V. Sadhowal Teh. Garh Shankar.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 3251 of Jan. 1979 of the Registering Authority, Garh Shankar.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 7th September 1979

Ref. No. A.P. 1947.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule
situated at Gazi Gulla, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Makhan Singh s/o Sh. Hira Singh, Gazi Gulla, Jullundur.
(Transferor)

(2) S/Sh. Joginder Singh, Perminder Singh, Jatinder Singh ss/o Inder Kaur W/o Jawand Singh BII-1809 NG Gazi Gulla Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chaper XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6889 of Jan. 1979 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 7th September 1979

Ref. No. A.P. 1948.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule
situated at Saidan Gate, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Jullundur on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Smt. Punam Rani W/o Walaiti Ram House No. W. A-61 Kucha Necha Bad Chowk Sudan, Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Piara Lal S/o Rela Ram House No. EP-329-B, Saidan Gate, Jullundur. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2. (Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6975 of Jan. 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 7th September 1979

Ref No. A.P. 1949.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair marekt value exceeding Rs. 2,5000/- and bearing No.
as per Schedule
situated at Basti Sheikh, Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Didar Singh, Piara Singh, Mohan Singh, Harbhajan Singh, Pritam Singh ss/o Battan Singh Vill. Kalian Pur, Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Smt. Amar Dei D/o Karam Chand H. No. 50/W.S. Basti Sheikh, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 7205 of Jan. 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 7th September 1979

Ref. No. A.P. 1950.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Piara Singh s/o Kabul Singh, 1107 Harnam Nagar, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Satish Kumar s/o Dewan Chand H. No. EJ/235, Chahar Bagh, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 7278 of Jan. 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 7-9-1979.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1979

Ref. No. A.P. 1951.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule
situated at Kapurthala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Arun Singh s/o Maharaja Karamjit Singh Sunny side Kapurthala.
(Transferor)

(2) Smt. Krishana Rani w/o M. L. Azad Sunny Side Near Sainak School Kapurthala.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 2970 dated 9-1-79 of the Registering Authority, Kapurthala.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 10-9-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th September 1979

Ref. No. A.P. 1952.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule
situated at Kapurthala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kapurthala on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Major Jagmohan Singh s/o Nihal Singh, Dogra Regiment, Ferozpur.
(Transferor)

(2) Shri Jaspal Singh s/o Sewa Singh, Kothi on Kartarpur Rd. Opposite Octroi Post Kapurthala Cantt.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 2998 of January 1979 of the Registering Authority, Kapurthala.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jullundur

Date : 10-9-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
JULLUNDUR

Jullundur, 11th September 1979

Ref. No. A.P. 1953.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing No.
As per Schedule.
situated at Rly Road, Phagwara.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Phagwara, on Jan. 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market valuc of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957. (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Pitamber Bedi Attorny of Siri Ram C/o Pitamber Bedi H. No. 1375 Phase III B2, Mohali.
(Transferor)

(2) Shri Surinder Kumar S/o Kedar Nath C/o Hindustan Steel & Timber Store, Rly Road, Phagwara.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 1751 of January, 1979 of the Registering Authority, Phagwara.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-9-79.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 11th September 1979

Ref. No. AP-1954.—Whereas, I,
B. S. DEHIYA,
being the Competent Authority under Section 269 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
as per schedule situated at
G. T. Road, Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jullundur on Jan., 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasoin of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Prem Chand S/o Babu Lal, WG-361, Moh. Suraj Ganj, Jallundur.
(Transferor)

(2) Tilak Raj s/o Babu Lal EJ-201, Chahar Bagh, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registration Sale Deed No. 6702 of January, 1979 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 11-9-79.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 23rd July 1979

Ref. No. F. No. 944/Acq./Alg./78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as he 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

as per Schedule situated at as per Schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

Aligarh on 1-1-1979

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Ram Prakash Bhatnagar, s/o Ram Krishna Bhatnagar, r/o J. 43, Janakpur Colony, Aligarh
Dr. Gyan Prakash Bhatnagar, s/o Ram Krishna Bhatnagar, r/o 115/26 T. T. Nagar, Bhopal Mukhtar Khas,
Major Satya Prakash Bhatnagar, s/o Ram Krishna Bhatnagar r/o 33 M. M. V. Sultanif Infactory Line Bhopal,
Smt. Shashi Bhatnagar, s/o Ram Krishna Bhatnagar, r/o A. V. III Teachers Hostel University Campus, Ujjain,
Anupam Prakash Bhatnagar, s/o Ram Krishna Bhatnagar J. 43 Janakpuri Colony, Aligarh.

(Transferor)

(2) Sri Gopal Swaroop s/o Lala Sri Ram, Sushma Devi w/o Gopal Swaroop Mamu Bhanja, Aligarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property at Vishnupuri, Aligarh sold for an apparent consideration of Rs. 75,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 23-7-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 25th July 1979

Ref. No. F. No. 1054/Acq./F.bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per Schedule
situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Firozabad on 27-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have nor been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rani Devi w/o Sri Bhagwan, Vill. Sunamai Teh. Firozabad, Krishnanagar, Mathura.
(Transferor)

(2) Shri Bangali Baboo s/o Sri Murli Singh, Vasanti Devi w/o Bangali Baboo, Jaswant Singh s/o Bangali Baboo, r/o Jalesar Road Firozabad, Smt. Shivdhara w/o Sri Tularam r/o Saidalpura Pargana Shikohabad, Mainpuri.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 96 Jalesar Road, Firozabad sold for an apparent consideration of Rs. 90,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date: 25-7-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 25th July 1979

Ref. No. 1053/Acq/F.Bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number
As per Schedule
situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Firozabad on 24-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Babu Garg s/o Sri Ram Chandra
r/o Mohalla Purani Mandi,
Firozabad.

(Transferor)

(2) Shri Shanker Lal,
Panna Lal, Ramratan Rathi,
s/o. Ram Narainji Rathi,
r/o Baipass Road, Firozabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House building and factory at vill. Sukhmalpur, Nijamabad, Baipas Road, Firozabad sold for an apparent consideration of Rs. 100,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 25-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 21st July 1979

Ref. No. 906-A/Dehradun/79-80.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule
situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dehradun on 3-1-1979
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following person, namely :—

(1) Shri Raj Kishore Mehrotra s/o Sri K. K. Mehrotra r/o 3A Chakrata Road, Dehradun.

(Transferor)

(2) Sardarni Harbans Kaur w/o S. Swaroop Singh r/o 317/B Lakhibagh, Dehradun.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 4, Govind Nagar, Dehradun, Race Couse measuring a total area of 480.94 S.Q. Meters of which 180.11 Sq. Meters is covered and 300.83 Sq. Meters is open, sold for an apparent consideration of Rs. 78,000/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 21-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 24th July 1979

Ref. No. F. No. 1061/Acq./Khair/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule
situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Khair, Aligarh on 19-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanchan Singh, s/o Ram Narain Singh, Nepal Singh, Rampal Singh s/o Sri Kanchan Singh, r/o Deta Khurd, Pargana Chandaus, Teh. Khair, Aligarh.
(Transferor)

(2) Smt. Shakuntala Devi w/o Balbir Singh, Shyapalice, Nepal Singh, s/o Harbans Singh, r/o Deta Saitpur, Detakhurd Pargana Chandaus, Teh. Khair, Distt. Aligarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land No. 1115/1, situated at Deta Khurd sold for an apparent consideration of Rs. 1,22,864/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 24-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 24th July 1979

Ref. No. TR. No. 712/Acq./Mainpuri/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number
As per Schedule
situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mainpuri on 19-3-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rameshwari Devi through authorised Representative Sri Ishwar Sahai Mathur 36 Butler Place Colony, Lucknow.

(Transferor)

(2) 1. Narendra Nath Gupta s/o
Sri Gulzari Lal Gupta
Katra, Mainpuri.
2. Chauram Singh s/o Sri Pearey Lal
r/o Larau, Teh. Shikohabad, Mainpuri.
3. Babu Ram Sharma s/o Sri Johari Lal Sharma
r/o Bhanwat Road, Mainpuri.
4. Harish Kumar s/o Sri Babu Ram Sharma,
r/o Bhanwat Road, Mainpuri.
5. Krishna Murari Mishra, s/o
Sri Luxmi Narain Mishra,
r/o Moh. Lhai, Mainpuri.
6. Moti Lal Gupta, Advocate,
s/o Sri Ram Dayal Gupta, Awadhnagar,
Mainpuri.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property at Mainpuri sold for an apparent consideration of Rs. 80,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 24-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 1st August 1979

Ref. No. F. No. 912/Acq/F. Bad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per Schedule
situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Fatehgarh, F. Bad on 6-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Maraj Ahmad s/o
Sri Dr. Jalis Ahmad Kureshi,
Talaiya Lane, Fatehgarh, Farrukhabad.
(Transferor)

(2) Shri Laxmi Narain Agarwal, s/o
Sri Shanti Swaroop Agarwal,
r/o Railway Hospital quarters Loco,
Fatehgarh, Farrukhabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property at vill. Talaiya Lane, Fatehgarh, Farrukhabad sold for an apparent consideration of Rs. 47,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 1-8-1979
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 2nd August 1979

Ref. No. TR No. 582/Acq./Bharthana/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961, (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per Schedule
situated at As per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bharthana on 1-3-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bangali Baboo s/o Ninhaku, r/o Shahar Etawah,
(Transferor)

(2) Taro Devi w/o Shivnath Singh Yadav, r/o Sithpur Post Kanghasi Pachar, Parg. Bharthana, Etawah.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property at Jawahar Road, Bharthana, Distt. Etawah sold for an apparent consideration of Rs. 60,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 3rd September 1979

Ref. No. IAC/Acq. III/9-79/379.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

House on plot No. 23,
situated at Road, No. 63, Punjabi Bagh New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Delhi on 16-1-1979,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satya Pal Seth s/o Inder Sen Seth,
r/o Road No. 63, Plot No. 23,
Punjabi Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Ram Narain s/o L. Mohri Ram
2. Ramesh Chander &
3. Rakesh Kumar sons of L. Ram Narain,
r/o 5476, Basti Harphool Singh,
Sadar Bazar, Delhi-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house built on plot No. 23 on Road No. 63 measuring 279.55 sq. yds., situated in the colony known as Punjabi Bagh, area of village Madipur, Delhi State, Delhi and bounded as under :—

East : Road
West : Service Lane
North : House built on plot No. 21
South : House built on plot No. 25.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 3-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 3rd September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/380.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
21, situated at North West Avenue Road, Punjabi Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at New Delhi on 3-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bimal Kumar Mehra s/o Sh. Madan Gopal Mehra, r/o 65, Beadon Street, Calcutta-6. (Transferor)

(2) Shri Krishan Kumar Soni, s/o Ram Chand Soni, r/o 36/63, Punjabi Bagh, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons with in a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Kothi No. 21, Road No. N.W.A., situated in Residential Colony known as Punjabi Bagh, Delhi, with the land measuring 661.57 sq. yards, bounded as under.—

North : Service Lane
South : North West Avenue Road
East : Property No. 19
West : Road No. 67

D. P. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 3-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RNGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 3rd September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/381.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
20/48, situated at Old Rajinder Nagar, New Delhi
and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 6-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harbans Lal Chandhok, s/o
K. R. Chandhok,
r/o 20-48, Old Rajinder Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Narinder Kumar Makhija,
Mohit Kumar Makhija &
Vijay Kumar Makhija,
sons of late Shri Sohanlal Makhija of 220,
Hazaribagh Road,
Ranchi, Bihar.
(Transferees)

(3) 1. M/s The Indian Oil Corporation,
2. M/s. Indian Overseas Bank.
[Person (s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A two and a half storeyed residential building bearing No. 20/48, Old Rajinder Nagar, New Delhi with the leasehold rights of the land under the said house, measuring 88.1 sq. yds. bounded as under :—

North : Property No. 20/47, Old Rajinder Nagar, New Delhi
South : Road
East : Lane
West : Lane.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 3-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 7th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/382.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
B-146, situated at Hari Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Sschedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Delhi on 21-3-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satyajit Sharma s/o Pt. Moti Lal Sharma, r/o No. 6/6-7, Industrial Area, Kirti Nagar New Delhi-15.
(Transferors)

(2) Smt. Jatinder Pal Kaur d/o Sh. Joginder Singh Oberoi, w/o S. Kulwant Singh Mokha, r/o No. 5, Masjid Road, Bhogal Jangpura, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. B/146, constructed on plot measuring 200 sq. yds. Out of Khasra No. 2011 Khatuni No. 9, situated in the area of Village Tihar, abadi Hari Nagar, New Delhi and bounded as under :—

North : Passage
Soth : Property on plot No. B/155
East : Property on plot No. B/145
West : Property on plot No. B/147.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 7-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 3rd September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/383.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
26/5, situated at Old Rajinder Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 11-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bansi Lal Mehta s/o
Sh. Hari Chand Mehta, r/o
26/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi.
(Transferors)

(2) Shri Lila Krishan s/o Sh. Balkishan Dass,
r/o 9427, Gali No 10, Multani Dhanda,
Paharganj, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Govt. Built Qr. No. 26/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi with the lease hold rights of the land under the said quarter measuring 88.1 sq. yds., bounded as under :—

North : Road
South : Lane
East : Lane
West : G.B.P.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 7-9-1979
Seal :

FORM ITNS———-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 10th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/384.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. NIL/43-A, situated at Malviya Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on January, 1979,
for an apparent Consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Pushpa Vohra, w/o Sh. Dina Nath Vohra, r/o H. No. 31, Mall Road, Delhi. (Transferor)

(2) Shri Baldev Raj Madan, s/o Sh. R. C. Madan, r/o NIL/43-A, Malviya Nagar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. NIL/43-A, constructed on a leasehold plot measuring 100 sq. yds. situated at Malviya Nagar, New Delhi-17.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 10-9-979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-110002

New Delhi, the 10th September 1979

Ref. No. IAC/Acq. III/9-79/385.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
Plot No. EC-36,
situated at Inderpuri, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Delhi on 11-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Naresh Sood s/o Sh. Trilok Nath, c/o M/s Hiro Knitting Works, Free Ganj, Agra (U.P).
(Transferor)

(2) Shri Attar Singh Chadha, s/o Gulab Singh Chadha, r/o 22/1A, Naraina Inderpuri, Delhi (Naraina Indl. Area Phase-I.) New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land bearing No. EC-36, measuring 500 sq. yds., situated in the colony known as Inder Puri Extension in the area of Village Naraina, Delhi State, Delhi and bounded as under :—

East : Plot No. 35-EC.
West : Plot No. 37-EC.
North : Gali 10 ft.
South : Road 30 ft. wide.

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi

Date : 10-9-1979
Seal ;

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 10th September 1979

Ref. No. IAC/Acq.III/9-79/386.—Whereas I, D. P. Goyal being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 53/83, situated at Ramjas Road, W.E.A., Karol Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at on 30-1-1979
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the Registering Officer at and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Krishan Mohan Mijli S/o Sain Dass Alias Bijli Pahalwan R/o 31, New Rohtek Road, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Pratap Singh S/o Sunder Singh, R/o 61/3 Ramjas Road, W.E.A. Karol Bagh New Delhi.

List of tenants of property No. 54/83, Ramjas Road, W.E.A. Karol Bagh New Delhi.

S. No. Name of the tenants
(Transferee)

(3) 1. Shri Inder Raj
2. Shri Wishwa Nath
3. M/s Deepak Scooters
4. Shri Gian Singh Chawal
5. Shri Sat Pal Gulati
6. Shri Chuni Lal
7. Smt. Wiran Wali
8. Shri M. L. Singhal
9. Shri Mukand Ram Kishan
10. Shri Narinder Singh & Bhupinder Pal
11. Shri Manjit Singh Prithpal Singh
12. Shri Nirmal Jit Singh
13. Shri Subash Chander Pathak.
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective pensros, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 54/83, bearing Municipal No. XVI/8217, of Khasra No. 847, Khewat No. 1, Khatuni No. 514, Block No. 53, situated in Ramjas Road, W.E.A. Karol Bagh with the leasehold rights of the land measuring 417 sq. yds. under the said property, bounded as under :—

North : Road
South : Service Lane
East : Property No. 53/82
West : Road.

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi.

Date : 10-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 10th September 1979

Ref. No. IAC/Acq.-III/9-79/387.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).
(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 11A/2, W.E.A. situated at Karol Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 10-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property **as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of** transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or **which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Ram S/o Sunder Ram R/o 11A/2, W.E.A. Karol agBh New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Lajwanti W/o Shiv Lal Nanda Sh. Prem Chander S/o Shiv Lal Nanda R/o 6A/68, W.E.A. Karol Bagh New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice **in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property on plot No. 11-A/2, bearing Municipal No. 11143, in W.E.A. Karol Bagh, New Delhi, measuring 188 sq. yds. comprising of Khewat No. 1 min, Khatuni No. 2662 Khasra No. 5011/260 Jammabandi 1963-64 Basti Rehgar Karol Bagh New Delhi bounded as under :—

North : Road
South : Service Road
East : Property on Plot No. 1.
West : Property on Plot No. 3 with common wall.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi.

Date : 10-9-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 12th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/289.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 15 Bighas 3 biswas Agrl land situated at village Chhattarpur, Tehsil Mehrauli New Delhi,
(and more fully described in the Scnedule annexed hereto), **has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of** 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 23-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value o fthe property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

22—266GI/79

(1) Sri Sathya Sai Trust (Delhi Punjab) 6-Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. 1. Surjit Kaur W/o Wazir Singh 2. Smt. Watwant Kaur W/o Mohan Singh R/o E-83, Greater Kailash-I, New Delhi

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) **by any of the aforesaid persons within a period of** 45 days from the date of publication of this notice **in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Agricultural farm land area 15 bighas 3 biswas vide situated in the Village Chhattarpur Tehsil Mehrauli, New Delhi consisting of Khasra Nos. mentioned hereunder :—

KHASRA NOS.	BIGHAS	BISWAS
1033/1	2	9
1034/1	2	10
1037/1	2	17
1041/1/2	1	2
1041/2	2	14
1042/2	3	11
	15	3

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi.

Date : 12-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 12th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/388.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 19 Bigha, 4 biswas Agrl. land situated at village Chhattarpur, Tehsil Mehrauli New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi. on 24-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sri Sathya Sai Trust (Delhi Punjab) 6-Bahadurshah Zahar Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Taran Kaur W/o Sh. Tarlok Singh R/o S-62, Greater Kailash-I, New Delhi.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 19 bighas 4 biswas described as follows situated in village Chhattarpur, Tehsil Mehrauli New Delhi.

KHASRA NOS.	BIGHAS	AREA BISWAS
1051/1	1	4
1051/2	3	12
1052 min	0	6
1052 min	4	10
1053	4	16
1054/1	3	00
1054/2	1	16

D. P. GOYAL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IIII, Delhi/New Delhi

Date : 12-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 12th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-70/390.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax 1961 (43 of 1961), (hereinfater referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C-86, situated at Shivaji Park Rohtak Road, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi on 4-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kailash Kumari Chawla W/o Dharam Swarup Chawla (2) Smt. Krishna Chawla W/o Ved Prakash Chawla R/o 5298/99, Hardhian Singh Road, Karol Bagh New Delhi.

(Transferors)

(2) Smt. Janak Rani W/o Lala Khushi Ram (2) Subhash Kumar (3) Ramesh Kumar sons of Sh. Khushi Ram R/o C-83, Shivaji Park, Rohtak Road, New Delhi.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free hold residential plot No. 86 in Block C, i.e. (C-86) measuring 436 sq. yds. (about 364.552 sq. meters) situated in the colony known as SHIVAJI PARK, on Rohtak Road, New Delhi, area of village Madipur, Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Road 30' wide
South : South Road No. 40.
East : House built on plot No. 85 Block C.
West : House built on plot No. 87 in Block C.

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi.

Date : 12-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 12th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/392.—Whereas, I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 10, Road No. 42 situated at Punjabi Bagh New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Regstering Officer at Delhi on 18-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Krishan Lal S/o Sh. Mela Ram R/o A-14, Bhagwan Dass Nagar Rohtak Road, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Parvin Kumar S/o Sh. Krishan Lal and Sh. Sunil Kumar S/o Krishan Lal R/o Mohalla Khartoli Pathankot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of th eaforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 10 on Road No. 42 measuring 1088.89 sq. yds. garages built thereon situated in the residential colony known as Punjabi Bagh, area of village Shakurpur Delhi State, Delhi bounded as under :—
North : House No. 8
South : House No. 12
East : Service Lane
West : Road No. 42.

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi.

Date : 12-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 12th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/391.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 7 Block No. 80-A situated at Krishna Market, Paharganj New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 16-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kesho Rani D/o Bhagirath Mal W/o Sh. Jagdish Prashad R/o 4312/XIII, Gali Bahuji, Bahadurgarh Road, Delhi-6.
(Transferor)

(2) Smt. Kaushalya Devi W/o Sh. Kishan Singh R/o J-53, Rajouri Garden New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication ofthis notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 7, in Block 80-A situated in Krishna Market Paharganj New Delhi alongwith the lease hold rights of the land measuring 312 sq. yds. bounded as under :—
North : Road
South : Main Road (Park)
East : Plot No. 6
West : Side plot No. 8.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi.

Date : 12-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUSITION RANGE-III

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 12th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/9-79/393.—Whereas I,
D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinatfer referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. J-10/41, situated at Rajouri Garden, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Delhi on 25-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the tranfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Suraj Narain Chhabra S/o Devi Dayal Chhabra R/o 1/3, East Patel Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Jag Chander S/o Chuni Lal Chopra & Smt. Janak Rani Chopra W/o Sh. Jag Chander, R/o J-10/41, Rajouri Garden, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. J-10/41, Rajouri Garden New Delhi with the land measuring 200 sq. yds. under the said house bounded as under :—

North Property No. J-10/30
South : Road 30′ wide
East : Property on plot No. J-10/40
West : Property on Plot No. J-10/42.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range III
Delhi/New Delhi.

Date : 12-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 12th September 1979

Ref. No. AC/Acq-III/9-79/394.—Whereas I, D. P. GOYAL,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. F-2/4 situated at Malviya Nagar New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi on 10-1-1979,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Inderjeet Kaur W/o Sh. Manmohan Singh, deceased, resident of F-2/3, Malviya Nagar New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Pushpa Gandhi W/o Shri Attam Prakash Gandhi R/o F-2/4, Malviya Nagar New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. F-2/4, measuring 123 sq. yds. situated in Malviya Nagar New Delhi.

D. P. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Delhi/New Delhi.

Date : 12-9-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-III
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002

New Delhi, the 14th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/79-80/4723.—Whereas I, R. B. L. AGGRAWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceed-Rs. 25,000/- and bearing
No. J-4/12 situated at Rajouri Garden New Delhi,
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 3-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurcharan Singh S/o Sardar Singh S-31, Rajouri Garden New Delhi & Sh. Satya Bhushan & Subhash Chander sons of Sh. Devki Nandan R/o E-3, Rattan Park New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Satpal S/o Barkat Rai R/o N-76, Kirti Nagar New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house built on commercial plot No. J-4/12 measuring 182 sq-yds. situated in the colony known as Rajouri Garden New Delhi area of village Bassai Darapur, Delhi state, Delhi bounded as under :—

North :Lawn
South : Road
East : Plot No. 4/11
West : Plot No. 4/13.

R. B. L. AGGRAWAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002.

New Delhi, the 14th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/79-80/4831.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
E-74 situated at Kirti Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 31-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Baldev Singh Bhasin S/o S. Inder Singh Bhasin R/o E-74, Kirti Nagar, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Usha Hingle W/o Jaswant Rai Hingle and Smt. Neena Hingle W/o Vishwa Mitter Hingle R/o G-23, Kirti Nagar, New Delhi.
(Transferee)

(3) Sh. Banwari Lal Gupta. (Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed house built on plot No. 74, in block E, measuring 335.27 sq. yds. situated in the colony known as Kirti Nagar, area of village Bassai Darapur, Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Property No. E/75
South : Property No. E/73
East : Road 60'
West : Lane 15'

R. B. L. AGGARWAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 14th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/Jan.118/4745.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 14/52 situated at Punjabi Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on 8-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gurcharan Kaur W/o Gurmukh Singh R/o 14/52 Punjabi Bagh, New Delhi.
(Transferor)

(2) (1) Anandi Devi W/o Bal Chand Aggrawal (2) J. P. Aggrawal (3) M. P. Aggrawal (4) O. P. Aggrawal sons of B. C. Aggrawal R/o B-193, Naraina Vihar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storeyed house built on plot No. 14 on Road No. 52 measuring 1054-7 sq. yds. situated in the colony known as Punjabi Bagh area of village Bassi Darapur Delhi State, Delhi bounded as under :—

North : Road No. 52
South : Service Lane
East : Plot No. 16
West : Plot No. 12

R. B. L. AGGARWAL,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 14th September 1979

Ref. No. 4736/IAC/Acq-II/SR-I/Jan.81.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. 36 situated at West Patel Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on January 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Kumar Jain S/o Ranjit Jain,
R/o Bunglow No. 9, Mian Road, West Patel Nagar, New Delhi,
(Transferor)

(2) Shri Ram Prakash Sethi S/o Uttam Chand Sethi
(2) Janak Raj S/o Ram Prakash Sethi
R/o B-77, West Patel Nagar, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Govt. Built Cottage No. 36, West Patel Nagar, New Delhi with the lease hold rights of the land measuring 350 sq. yds. under the said cottage, bounded as under :—
North : Road
East : Cottage No. 37
South : Service Lane
West : Cottage No. 35

R. B. L. AGGARWAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 14-9-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002.

New Delhi, the 14th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/SR-I/79-80/4763.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. A-2/15 situated at Rajouri Garden, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Delhi on 12-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in th esaid instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising frmo the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-persons, namely :—

(1) Shri Pushp Kumar Nangia S/o Late Sh. Atam Dev Nangia R/o A-2/15, Rajouri Garden, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Om Prakash S/o Krishan Lal Chhabra and Smt. Harbhajan Kaur W/o Sh. Krishan Lal Chhabra R/o 6881, Deriwala Bagh, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house built on Plot No. 15, in Block A-2, measuring 260 sq. yds. situated in the colony known as Rajouri Garden area of village Bassai Darapur, Delhi State, Delhi, bounded as under :—

North : Road
South : Plot No. A-2/32
East : Plot No. A-2/14
West : Polt No. A-2/16.

R. B. L. AGGARWAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 14-9-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110002.

New Delhi, the 14th September 1979

Ref. No. IAC/Acq-II/Jan./79-80.—Whereas I, R. B. L. AGGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 25/83, situated at Shakti Nagar, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Delhi on 17-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Smt. Amna Bi Wd/o Mohd. Umar R/o 2959 Kala Masjid, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Chandro W/o Sh. Suraj Bhan R/o 25/83, Shakti Nagar, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property on plot No. 25/83, bearing Municipal No. 11724 measuring 200 sq. yds. situated at Shakti Nagar, Delhi State, Delhi bounded as under :—
North : Gali 10 feet.
South : Plot No. 25/43
East : Service Lane
West : Road 40 ft.

R. B. L. AGGARWAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi.

Date : 14-9-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
SHILLONG

Shillong, the 6th August 1979

Ref. No. A-227/JRT/78-79/424-25.—Whereas, I, R. N. BARA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Dag No. 3885 and P. Patta No. 80, Block No. 1 at Rupahiali Road, Jorhat Town in the district of Sibsagar, Assam,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Jorhat on 6-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the of this notice under sub-section (1) of Section 269 D of the Said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : —

(1) Shri Sadruzzaman Hazarika, Rupahi Ali, Jorhat. (Transferor)

(2) Shri Tolaram Gattani, Babupatty, Jorhat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3(three) Katha 1½ (one and half) Lecha situated at Rupahi Ali Road of Jorhat Town in the district of Sibsagar, Assam.

R. N. BARA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Shillong.

Date : 6-8-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
SHILLONG

Sillong, the 7th August 1979

Ref. No. A-228/JRT/78-79.—Whereas I, R. N. BARA, being the competent authority under section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Dag No. 3909 and 3915 of P. Patha No. 25 of Jorhat town, situated at Rupahi Ali Road of Jorhat town in the district of Sibsagar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Jorhat 5-1-79 on 1979.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1992) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Md. Ali Ulla Ansari, Ward No. 3. Jorhat town.
(Transferor)

1. Sri Ramkaran Gattani, S/o Sri Jai Narayan Gattani.
(2) 2. Shri, Bhowarlal Gattani S/o. Champalal Gattani.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 (One) Katha, 3½ (Three & half) Lacha's situated at Rupahi Ali road of Jorhat town in the District of Sibsagar Assam.

R. N. BARA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Shillong.

Date : 7-8-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE SHILLONG

Shillong, the 7th August 1979

Ref. No. A-229/IRT/78-79/434.—Whereas I, R. N. BARA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Dag No. 3531 and 3532, P. Patta No. 135 of Block No. 1 situated at A. T. Road, Jorhat Town in the district of Sibnagar, Assam.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jorhat on 12-1-1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Khalilur Rahaman C/o Late Secander Ali Rahman Road, Jorhat.
(Transferor)

(2) 1. Shri Bhawarilal Agarwalla S/O Shri Bajranglal Agarwalla.
2. Shri Shie Prasad Agarwalla S/O. Shri Jodhraj Agarwalla.
3. Shri Champalal Agarwalla S/O Late Jegannath Agarwalla.
4. Shri Ramnivash Agarwalla S/O Late Lakhshmi Narayan Agarwalla.
All partners of Messers Joyashree Rajasthan Stores, A.T. Road, Jorhat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 15 (fifteen)—Lecha along with a shop/hose and godown measuring 15'X30' and 16'X30' situated at A.T. Road, Jorhat Town in the district of Sibsagar, Assam.

R. N. BARA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Shillong.

Date : 7-8-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE
SHILLONG

Shillong, the 7th September 1979

Ref. No. A-231/Gan 78-79.—Whereas I, R. N. BARA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as th 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing
No. Dag No. 147 and K. P. Patta No. 299 situated at Kamakhya Town, in the district of Kamrup, Assam.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Gauhati on 10-1-79
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Padma Devi, W/o. L. Ananda Sarma, Kamakhya.
(Transferee)

(2) Shrimati Reena Sarma, W/O. Shri Phani Sarma, C/o. Anuradha Cinema Bamunimaidan, Gauhati.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4(four) Katha situated near Maligaon Charili Gauhati in the district of Kamrup, Assam.

R. N. BARA
Competent Authority.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Shillong.

Date : 7-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
SHILLONG

Sillong the 11th September 1979

Ref. No. A-232/Gau/78-79/618.—Whereas I, R. N. Bara, **being the Competent Authority under Section 269B of** the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred **to as the 'said Act'), have reason to believe that** the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Dag No. 432 and K. P. Patta No. 51 situated at Village Maidam, Mouza Beltola, Gauhati in the district of Kamrup, Assam.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gauhati on 19-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the **fair market value of the aforesaid property, and I have** reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to **between the parties has not been truly stated in the said** instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following **persons, namely :—**

(1) 1. Smt. Tanu Bala Das, W/o L. Bhuban Ch. Das.
3. Shri Krishna Ram Das, S/O. L. Bhuban Ch. Das.
3. Shri Narayan Ch. Das S/O. L. Bhuban Ch. Das.
4. Shri Atul Chandra Das S/o. L. Bhuban Ch. Das.
5. Shri Jagat Ch. Das, S/O. L. Bhagiram Das.
6. Shri Lakshmiram Das, S/o L. Bhagiram Das.
Village-Dharapur, P. O. Palashbari, Kamrup, Assam.

(Transferor)

(2) 1. Shri Sashi Kanta Barua, S/O. L. K. K. Barua.
2. Shri Krishna Kanta Barua, S/O. L. K. K. Barua.
'Chenikutti, Gauhati-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1(one) Bigha 17 (seventeen) lecha situated near National High Way Near Halipad of Gauhati in the district of Kamrup, Assam.

R. N. BARA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Shillong.

Date : 11-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE
SHILLONG

Shillong, the 11th September 1979

Ref. No. A-233/Gau./78-79.—Whereas I, R. N. BARA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Dag No. 442 and K. P. Patta No. 203 situated at Village Maidam, Mouza Beltola, Gauhati, Assam. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gauhati on 19-1-1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Harendra Chandra Barua,
S/o. Late Radha Kanta Barua,
Vill. Dharapur, P.O. Palasbari, Kamrup, Assam.
(Transferor)

(2) Shri Sashi Kanta Barua, S/o. Late K. K. Barua, Chenikutti, Gauhati-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 (one) Bigha 4(four) Katha 9(nine) Lecha situated near National High Way near Halipad of Gauhati in the district of Kamrup, Assam.

R. N. BARA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Shillong.

Date : 11-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
SHILLONG

Shillong the 11th September 1979

Ref. No. A-234/Gau. 78-79/610.—Whereas I, R. N. BARA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Dag No. 432, K. P. Patta No. 51 and being situated at Village Maidam, Mouza Beltola, Gauhati, Distt. Kamrup, Assam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gauhati on 19-1-1979 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Smt. Tanu Bala as W/o. L. Bhuban Ch. Das.
2. Shri Krishna Ram Das, S/o. L. Bhuban Ch. Das.
3. Shri Narayan Ch. Das S/o. L. Bhuban Ch. Das.
4. Shri Atul Chandra Das S/o. L. Bhuban Ch. Das.
5. Shri Lakshmiram Das S/o. L. Bhagiram Das.
6. Shri Jagat Ch. Das S/o. L. Bhagiram Das.
   Village—Dharpur, P.O. Palashbari, Kamrup, Assam.

(Transferee)

(2) Shri Krishna Kanta Barua, S/o. L. K. Barua, Chenikutti, Gauhati-3.

(Transferee)

Objeticons, if any, to the aquistion of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2(Two) Bigha 2 (two) Katha and 10(ten) Lecha situated near National High Way near Halipad of Gauhati, in the district of Kamrup, Assam.

R. N. BARA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Shillong.

Date : 11-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
SHILLONG

Shillong, the 11th September 1979

Ref. No. A-235/Gau./78-79/606.—Whereas I, R. N. BARA being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Dag No. 432 and K. P. Patta No. 51 situated at Vill. Maidam, Mouza Beltola, Gauhati, Assam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Gauhati on 19-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Tanu Bala Das, W/o. L. Bhuban On. Das.
2. Shri Krishna Ram Das S/o. L. Bhuban Ch. Das.
3. Shri Narayan Ch. Das S/o. L. Bhuban Ch. Das.
4. Shri Lakshmi Ram Das S/o. L. Bhuban Ch. Das.
5. Shri Atul Ch. Das S/o. Late Bhagiram Das.
6. Shri Jagat Ch. Das S/o. Late Bhagiram Das.
Vill. Dharapur, P.O. Palasbari, Kamrup, Assam.
(Transferor)

1. Smt. Nirupama Barua, W/o. L. K. K. Barua.
2. Smt. Uma Barua, W/o. Shri Mrigen N. Barua.
3. Smt. Anuradha Barua, W/o. Shri Sashi Kanta Barua.
4. Smt. Santana Barua, W/o Shri Krishna Kanta Barua. Chenikutti, Gauhati-3.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3(three) Bigha situated near National High Way near Halipad of Gauhati in the district of Kamrup, Assam.

R. N. BARA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Shillong.

Date : 11-9-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 26th April 1979

Ref. No. P.R. No. 665 Acq. 23-1356/19-7/78-79.—Whereat I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 450 Ward No. 11, situated at Nanavat, Pandol-ni-Pole, Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat in January 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Pranlal Chunilal Jariwala; and Smt. Nirmalaben Pranjivan Jariwala; 150-Dadi Sheth, Agiari Lane, Manekchand Panachandni Chawl, Kalbadevi Road, Bombay-2.

(Transferors)

(2) 1. Shri Vijay Balubhai Leninwala;
2. Shri Rajen Balubhai Leninwala;
3. Shri Mahesh Balubhai Leninwala;
Lalgate, Khand Bazar, Surat.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building admeasuring 94 sq. yds. situated at Nondh No. 450, Ward No. 11, Nanavat, Pandol-ni-Pole, Surat duly registered in the month of January 1979 with the registering authority at Surat.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 26-4-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 27th July 1979

No. Acq. 23-I-2055(834)/16-6/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No Building on land adm. 1250-0 sq. yds. situated at Gondal Road, between Puna Bhagat's Dharamshala & north side old Rly. line, Rajkot,
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 8-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Vira Brothers (Kathiawad) Private Ltd., Gondal Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Manharlal Shantilal Chhaniara and Shri Arvind Shantilal Chhaniara, both at Gondal Road, Nr. Octroi Naka, Rajkot.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building standing on land adm. 1250-00 sq. yds. situated at Gondal Road between puna Bhagat's Dharamshala and north side old Railway line at Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot, vide sale-deed No. 104/8-1-79 i.e. property as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 27-7-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE

Ahmedabad-380 009, the 27th July 1979

Ref. No. P.R. No. 693 Acq. 23-1460/7-3/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nondh No. 1099, Wd. No. 5, Somnath Mahadev Sheri, Haripura, Surat,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Surat on 31-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narendrakumar Niranjanlal Pandya; Haripura, Main Road, Surat.

(Transferors)

(1) 1. Shri Laljibhai Bhayabhai;
2. Shri Becharbhai Bhayabhai;
Lambe Hanuman Road, Surat .

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Somnath Mahadev Sheri, Haripura, Surat at Nondh No. 1099, Ward No. 5, Surat admeasuring 106.18.85 sq. mts. duly registered with registering authority at Surat on 31-1-79.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 27-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE

Ahmedabad-380 009, the 28th July 1979

Ref. No. P.R. No. 694 Acq.23-1461/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing City Sur. No. 50, S. No. 2293 paiki S. No. 646 situated at Sandh Kuva, Navsari, (and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on 29-1-1979, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Maganbhai Vanmalibhai Patel; Juno Vandari Mahollo, Navsari.

(Transferors)

(2) Saurashtra Kadva Patidar Samaj Trust;
1. Govindbhai Ravjibhai; President Krishna Nivas, Giriraj Cinema, Navsari.
2. Ramniklal Virjibhai President Krishna Nivas, Giriraj Cinema, Navsari.
3. Mohanbhai Kalyanjibhai Patel—Patel Society, Jalal Pore, Navsari.
4. Shri Maganbhai Madhavjibhai, Jan Kalyan Society, B. No 2, Navsari. .

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1383-45 sq. mts. situated at Sandhkuva area, bearing S. No. 646, out of City T. No. 50, S. No. 2293, duly registered with the registering authority at Navsari on 29-1-79.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 28-7-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE

Ahmedabad-380 009, the 31st July 1979

Ref. No. Acq. 23-I-2080(835)/11-4/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Lekh No. 290 of 1958-59 land adm. 402 sq. yd. situated at Junction of S.V.P. Road and Memonwad Road, Porbandar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Porbander on 18-1-1979,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties less not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, on the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of section 269C of the said Act I heeby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mamanbai Humerabai Salehmohmed of Porbander
(Transferors)

(2) Memon Yusuf Osman Hamdani, Liberty Talkies Road, Porbander.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building standing on land admeasuring 402 sq. yd. bearing lekh No. 290 of 1958-59 situated at Junction of S.V.P. Road and Memanwad Road, Porbander, duly registered by Registering Officer, Porbander, vide sale-deed No. 173/18-1-79 i.e. property as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 31-7-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE

Ahmedabad-380 009, the 1st August 1979

Ref. No. 23-I-2353(838)/1-1/79-80.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 137/B & S. No. 130 of Kalupur-I situated at Gandhi Road, Pada Pole, Ahmedabad,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on January 1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act o rthe Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Hariprasad Bulakhidas, Executor of Bai Ladi Wd/o Nanalal Pranlal, 2, New Brahmshatriya Society, Ellisbridge Ahmedabad.

(Transferors)

(2) M/s. Lalit & Co., partners, Shri Lalitkumar Shantilal, and Shri Kuldip Attarsingh, Kapadia Niwas, Opp. V. S. Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferees)

(3) Names of tenants.
(1) Kalidas Optial Industries,
(2) Rashtriya Elect Co.,
(3) Vinod Electric Stores,
(4) Arvindkumar Ratilal Shah,
(5) Shashikant Shivlal Desai,
(6) Pankaj Electric Co.,
(7) Champaklal Ratilal Gandhi,
(8) Kuldipsingh Attarsingh,
(9) Baljitkor Kuldipsingh,
(10) Karamsingh Premsingh,
(11) Ashok Traders,
(12) Vinaya Industries,
(13) Pradipkumar Shantilal Mehta,
(14) Sanghvi Nagindas Chatrabhuj,
(15) Harish Shivprasad Shukla,
(16) Indravadan Shivprasad Shukla,
(Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A building standing on land adm. 127.28 sq. meters bearing S. Nos. 130 and 137/b situated at Padapole, Gandhi Road, Ahmedabad.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 1-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380 009, the 18th August 1979

Ref. No. P.R. No. 710 Acq 23-1488/7-4/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Revenue No. 256 paiki, land Tika No. 68, City S. No. 4185 situated at Nutan Coop. Housing Society, Dudhia Talav, Navsari,
has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Navsari on 22-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri
1. Rajan Manubhai Desai;
2. Sushilaben Wd/of Bapubhai,
3. Nitaben Manubhai Desai; Nutan Coop. Housing Society, Dudhia Talav, Navsari.

(Transferors)

(2) S/Shri
1. Harilal Pursottamdas Kapadia;
2. Maheshchandra Harilal Kapadia;
3. Natvarlal Harilal Kapadia;
4. Prafulchandra Harilal Kapadia;
No. 2-3, Tata Housing Centre, Lallubhai Park Road, Andheri West, Bombay-58.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Rev. S. No. 256, paiki Tika No. 68, City Survey No. 4185, admeasuring 4,15.208 sq. metres, situated at Nutan Coop. Housing Society Ltd., Dudhia Talav, Navsari, duly registered with registering authority at Navsari on 22-1-79.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 18-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE

Ahmedabad-380 009, the 20th August 1979

Ref. No. P.R. No. 713 Acq. 23-1347/7-4/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Southern Way Portion of Plot No. 11, out of C.S. No. 393/2, 309, & 408A with building situated at Billimora,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandevi on 16-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment ofany income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Nathabhai Bhimbhai Naik, Jawahar Marg, Billimora.
(Transferor)

(2) Smt. Shirin A. Ukani, Feeder Road, Billimora.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building Plot No. 11 of Sur. No. 393/8394 (Southern half of the property) situated at Billimora, duly registered with registering Officer at Gandevi on 16-1-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 20-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE

Ahmedabad-380 009, the 23rd August 1979

Ref. No. P.R. No. 714 Acq. 23-1316/19-7/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 833, 855-A and 855-B situated at Bilal Gali, Navapura, Ward No. 3, Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 17-1-1979
for an apparent consideration.
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohmed Ali Shamsudin, Navapura, Bilal Gali, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Abdealibhai Saheb Yahyabhai Saheb Waziri and Shri Mohmed Abdul Kay-Yumbhai Saheb Waziri; 833-855-A, Bilal Gali, Navapura, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazettee or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building admeasuring 204.25 sq. yds. situated at Nondh No. 933, 855-A and 855-B, Bilal Gali, Navapura, Surat, duly registered with registering authority at Surat on 17-1-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 23-8-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE

Ahmedabad-380 009, the 23rd August 1979

Ref. No. P.R. No. 715 Acq. 23-1242/19-7/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 452 situated at Store Sheri, Wadifalia, Ward No. 9, Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat on 15-1-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri
1. Jayashriben Wd/of Sureshchandra Dhirajlal;
2. Minor Hetalkumar Sureshchandra;
3. Ishavari Sureshchandra;
4. Dhanbini Sureshchandra;
5. Nilambari Sureshchandra;
6. Prabhakar Dhirajlal;
7. Mina Vinitkumar Prabhakar;
8. Nandita Prabhakar;
9. Ushaben Prabhakar;
All resident at Malbar Hill, Ritz Road, Bombay.
(Transferor)

(2) S/Shri
1. Shri Jethalal Natvarlal;
2. Shri Ratilal Natvarlal;
3. Shri Sunderlal Natvarlal;
Store Sheri, Wadi Falia, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Store Sheri, Ward No. 9, Wadi Falia, Surat Nondh No. 452, Surat admeasuring 264.56 Sq. yds. duly registered with registering authority of Surat on 15-1-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 23-8-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 23rd August 1979

Ref. No. P.R. No. 716 Acq. 23-1283/4-3/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Gram Panchayat No. 138, Bhalav Godown 1/3rd Part situated at Bhalav Branch,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Broach on 16-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Suleman Ajmal Amijee; Nabipur, Tal. Bharuch. (Transferor)

(2) Shri Adam Suleman Jiva; Dayadra, Tal. Bharuch. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Godown situated at Bhalav, Bharuch bearing Gram Panchayat No. 138 (1/3rd Part) admeasuring 76' x 30' land area, duly registered with registering authority at Broach on 16-2-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 23-8-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 23rd August 1979

Ref. No. P.R. No. 717 Acq. 23-1283/4-3/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, **having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-** and bearing No.
Gram Panchayat No. 138 (1/3rd part) situated at Bhalav, Bharuch,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Broach on 16-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid **exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration** and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the **said instrument of transfer with the object of :—**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, inp ursuance of Section 269C, of the said Act, I, hereby initate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Shri Suleman Abdul Amijee; Nabipur, Tal. Bharuch.
(Transferor)

(2) Gulam Suleman Jiva; Dayadra, Tal. Bharuch.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as **are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given** in that Chapter.

THE SCHEDULE

Godown situated at Bhalav, Bharuch bearing Gram Panchayat No. 138 (1/3rd part) admeasuring 76' x 30' land area, duly registered with registering authority at Broach on 16th February 1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 23-8-1979.

Seal

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE
AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 29th August 1979

Ref. No. P.R. No. 718 Acq. 23-1314/19-8/79-80.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the 'Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 255 Opp. Golum Bajwali Masjid) situated at Bhagatalav, Panini Bhint Road, Ward No. 10, Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 26-2-1979,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Abdul Kadar Kaji Ibrahim and Shri Abdul Aziz Kaji Ibrahim; Chowk Bazar, Surat.

(Transferor)

(2) 1. Shri Mohmed Ismail Abdul Kadar Kapadia;
2. Shri Abdul Rahim Abdul Kadar Kapadia;
3. Shri Mohmed Ibrahim Abdul Kadar Kapadia;
10/2551, Sindhi Wad, Bhagatalao, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building admeasuring 165 sq. yds. situated at Nondh No. 255 (Opp. Golum Bajawali Masjid) on Bhagatalao Panini Bhint Road, Ward No. 10, Surat duly registered with registering authority at Surat on 26-2-1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range II, Ahmedabad

Date : 29-8-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, COMET HOUSE,
691/1/10 PUNE ROAD, PUNE-411 009

Pune-411 009, the 30th August 1979

Ref. No. CA5/SR-BOM/Jan.'79/456.—Whereas, I, SHRI A. C. CHANDRA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
F.P. No. 143, Sub-Plot No. 9 & 10 situated at
38, Sassoon Road, Pune
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on January 1979
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bombay Society of Fransican
66, Dr. Jopalrao D. Marg, Bombay-26.
(Transferor)

(2) Society of Sisters of St. John.
Jail Road, Wardha, 442001.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plots of land situated at F.P. No. 143, Sub-Plots Nos. 9 & 10 at 38, Sassoon Road, Pune-1, admeasuring 2144 sq. meters.

(Property as described in the sale deed registered with the office of the Sub-Registrar, Bombay in January 1979).

A. C. CHANDRA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 30-8-1979
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

STENOGRAPHERS' EXAMINATION, 1980

New Delhi, the 6th October 1979

No. F.11/6/79-E1(B).—A competitive examination for recruitment to temporary vacancies in the Services and posts mentioned in para 2 below will be held by Union Public Service Commission at AHMEDABAD, ALLAHABAD, BANGALORE, BHOPAL, BOMBAY, CALCUTTA, CHANDIGARH, COCHIN, CUTTACK, DELHI, DISPUR, (GAUHATI), HYDERABAD, JAIPUR, JAMMU, LUCKNOW, MADRAS, NAGPUR, PANAJI (GOA), PATIALA, PATNA, PORT BLAIR, SHILLONG, SIMLA, SRINAGAR, TRIVANDRUM and at selected Indian Missions abroad commencing on 16th March, 1980 in accordance with the Rules published by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Personnel and Administrative Reforms), in the Gazette of India, dated the 6th October, 1979.

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION ON THE COMMISSION. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION (*See* Annexure, para 11).

2. The Services and posts to which recruitment is to be made on the results of this examination and the approximate number of vacancies in the various Services and posts are given below :

(i) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers Sub-cadre); 10
[Includes 1 vacancy reserved each for Sch. Caste & Sch. Tribe candidates].

(ii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the select list of the Grade);

(iii) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service—Grade C;

(iv) Posts of Stenograhers in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

*Vacancies not intimated by Government.

**The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates, if any, will be determined by Government.

The above numbers are liable to alteration.

3. A candidate may apply for admission to the Examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned in para 2 above.

If a candidate wishes to be admitted for more than one Service/post he need send in only one application. He will be required to pay the fee mentioned in para 7 below once only and will not be required to pay separate fee for each of the Services/posts for which he applies.

NOTE. — Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination will require only English Stenographers and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Test in English (cf. para 4 of Appendix I to the Rules).

4. A candidate is required to specify clearly in the application form the Services/posts for which he wishes to be considered. He is advised to indicate as many preferences as he wishes to so that having regard to his rank in the order of merit, due consideration can be given to his preferences, when making appointments.

No request for alteration in the order of preferences for the Services/Posts for which he is competing would be considered from a candidate unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of declaration of the results of the written examination.

5. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi (110011), on the prescribed form of application. The prescribed form of application and full particulars of the examination are obtainable from the Commission by post on payment of Rs. 2.00 which should be remitted to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, by Money order, or by Indian Postal Order payable to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office. Cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Money Orders/Postal Orders. The form can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's Office. *This amount of Rs. 2.00 will in no case be refunded.*

NOTE :—CANDIDATES ARE WARNED THAT THEY MUST SUBMIT THEIR APPLICATIONS ON THE PRINTED FORM PRESCRIBED FOR THE STENOGRAPHERS' EXAMINATION, 1980 APPLICATIONS ON FORMS OTHER THAN THE ONE PRESCRIBED FOR THE STENOGRAPHERS' EXAMINATION, 1980 WILL NOT BE ENTERTAINED.

6. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, on or before the 3rd December, 1979, (17th December 1979) in the case of candidates residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 3rd December, 1979 accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence to show that he was residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 3rd December, 1979.

7. Candidates seeking admission to the examination must pay to the Commission with the completed application form, a fee of Rs. 12.00 (Rs. 3.00 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad, as the case may be, for credit to account head "051—Public Service Commission-Examination Fees" and attach the receipt with the application.

APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THE ABOVE REQUIREMENTS WILL BE SUMMARILY REJECTED. THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDIDATES WHO ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE UNDER PARAGRAPH 8 BELOW.

8. The Commission may at their discretion remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March 1971, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has

migrated to India on or after 1st November, 1964, or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964 and is not in a position to pay the prescribed fee.

9. A refund of Rs. 3.00 (Re. 1.00 in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) will be made to a candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission.

No claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained, except as provided above and in para 10 below, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

10. If any candidate who took the Stenographers' Examination held in 1979 wishes to apply for admission to this examination he must submit his application so as to reach the Commission's Office by the prescribed date without waiting for the results or an offer of appointment. If he is recommended for appointment on the results of the 1979 Examination, his candidature for the 1980 examination will be cancelled on request and the fee refunded to him, provided that the request for cancellation of candidature and refund of fee is received in the Commission's Office on or before 16th February 1980.

11. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

R. S. AHLUWALIA.

Deputy Secretary,

Union Public Service Commission

ANNEXURE

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. *Before filling in the application form the candidates should consult the Notice and the Rules carefully to see if they are eligible. The conditions prescribed cannot be relaxed.*

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE, THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION. ORDINARILY NO REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE ENTERTAINED.

A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad and exercising the option to answer paper (ii) Essay and paper (iii) General Knowledge, and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 4 of Appendix I to the Rules may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

2. The application form and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting. All entries answers should be in words and not by dashes or dots. An application which is incomplete or is wrongly filled in is liable to be rejected.

NOTE.—CANDIDATES SHOULD CLEARLY SPECIFY IN COLUMN 9 OF THE APPLICATION FORM THE LANGUAGE IN WHICH THEY WISH TO ANSWER THE QUESTION PAPERS ON ESSAY AND GENERAL KNOWLEDGE AND TAKE THE STENOGRAPHY TESTS, *VIDE* PARAGRAPH 4 OF APPENDIX I TO THE RULES OF THE EXAMINATION. THE OPTION ONCE EXERCISED SHALL BE TREATED AS FINAL AND NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE SAID COLUMN SHALL BE ENTERTAINED. IF NO ENTRY IS MADE IN THE SAID COLUMN IT WILL BE ASSUMED THAT THE PAPERS WILL BE ANSWERED AND THE SHORTHAND TESTS TAKEN IN ENGLISH.

All candidates, whether already in Government Service or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment, should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered.

Persons already in Government Service whether in a permanent or temporary capacity or as workcharged employeees other than casual or daily rated employees are, however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

3. A candidate must send the following documents with his application :—

(i) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft for the prescribed fee or attested/certified copy of certificates in support of claim for fee remission (*See* paras 7 and 8 of Notice and para 6 below).

(ii) Attested/Certified copy of Certificate of Age.

(iii) Attested/Certified copy of certificate of Educational qualification.

(iv) Two identical copies of recent passport size (5 cm × 7 cm. approx.) photograph of the candidate.

(v) Attested/Certified copy of certificate in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe, where applicable (*See* para 4 below).

(vi) Attested/Certified copy of certificate in support of claim for age concession where applicable (*See* para 5(b) below).

(vii) Attendance sheet (attached with the application form) duly filled in.

(viii) Three self-addressed unstamped envelopes of size approximately 11.5 cms × 27.5 cms.

NOTE.—CANDIDATES ARE REQUIRED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ONLY COPIES OF CERTIFICATES MENTIONED IN ITEMS (ii), (iii), (v) AND (vi) ABOVE, ATTESTED BY A GAZETTED OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFIED BY CANDIDATES THEMSELVES AS CORRECT, CANDIDATES WHO QUALIFY FOR SHORTHAND TESTS ON THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED ABOVE SOON AFTER THE DECLARATION OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION. THE RESULTS ARE LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF JULY, 1980. CANDIDATES SHOULD KEEP THESE CERTIFICATES IN READINESS AND SUBMIT THEM TO THE COMMISSION SOON AFTER THE DECLARATION OF THE RESULT OF THE WRITTEN EXAMINATION. THE CANDIDATURE OF CANDIDATES WHO FAIL TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THAT TIME WILL BE CANCELLED AND THE CANDIDATES WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CONSIDERATION.

Details of the documents mentioned in items (i) to (iv) are given below and of those in items (v) and (vi) are given in para 4, 5 and 6 :—

(i) (a) *CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed fee—*

Each Postal Order should invariably be crossed and completed as follows :

"Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office."

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Orders will also not be accepted.

All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office.

Candidates must note that it is not safe to send Postal Orders which are neither crossed nor made payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.

(b) *CROSSED Bank Draft for the prescribed fee*—

Bank Draft should be obtained from any branch of the State Bank of India and drawn in favour of Secretary, Union Public Service Commission payable at the State Bank of India Main Branch, New Delhi and should be duly crossed.

In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank be accepted. Defaced or mutilated Bank Draft will also not be accepted.

(ii) *Certificate of Age.*—The date of birth ordinarily accepted by the Commission is that entered in the Matriculation Certificate or in the Secondary School Leaving Certificate, or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may submit an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent Certificate.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the attested/certified copy of the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application may be rejected. Further, they are warned that if the date of birth stated in the application is inconsistent with that shown in the Matriculation Certificate/Higher Secondary Examination Certificate and no explanation is offered, the application may be rejected.

NOTE 1.—A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL LEAVING CERTIFICATE NEED SUBMIT AN ATTESTED/CERTIFIED COPY OF ONLY THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE.

NOTE 2.—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

NOTE 3.—A candidate who has passed the 10th Class of (i) a recognised Higher Secondary School, (ii) a recognised school preparing students for the Indian School Certificate examination, (iii) the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry or (iv) Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic, must submit a certificate of age in the form prescribed under Note 3 below para 3(iii) from the Principal/Headmaster of the school concerned and no other certificate as evidence of age will be required.

NOTE 4.—In the case of candidates who are already in permanent Government Service the entries in their Service Book may be accepted as proof of the date of birth and educational qualifications.

(iii) *Certificate of Educational Qualifications.*—A candidate must submit an attested/certified copy of a certificate showing that he has one of the qualifications prescribed in Rule 7. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification. If an attested/certified copy of such a certificate is not submitted, the candidate must explain its absence and submit such other evidence, as he can to support his claim to the requisite qualification. The Commission will consider this evidence on its merits but do not bind themselves to accept it as sufficient.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2.—A candidate who holds a completed Secondary School Leaving Certificate need submit an attested/certified copy of only the page containing entries regarding the result of the S.S.L.C. examination.

NOTE 3.—A candidate who has passed the 10th Class of (i) a recognised Higher Secondary School, (ii) a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination, (iii) the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education Pondicherry or (iv) Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic, must submit a certificate of educational qualification in the form prescribed below from the Principal/Headmaster of the school concerned.

The form of certificate to be produced by the candidate. [cf : Note 3 under para 3(ii) and Note 3 above]

This is to certify that

(1) Shri/Shrimati/Kumari* ———— son/daughter* of Shri ———— has passed ———— class of this school which is the penultimate class of the course for Higher Secondary School/Indian School Certificate Examination/Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry/Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic*.

(2) His/Her* date of birth as recorded in the Admission Register of this School is ————. This has been verified from the Transfer Certificate/Statement made on behalf of the student at the time of his/her* admission to the school*.

————————

(Signature of Headmaster/Principal*)

————————

(Name of the School)

Date————

Place————

*Strike out whichever is not applicable.

(iv) *Two copies of photograph.*—A candidate must submit two identical copies of his recent passport size (5 cm.×7cm. approximately) photograph one of which should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance Sheet in the space provided therein. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

N.B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under paragraphs 3(ii), 3(iii) and 3(iv) above without a reasonable explanation for its absence having been given, the application is liable to be rejected and no appeal against its rejection will be entertained. The documents not submitted with the application should be sent soon after the submission of the application and in any case they must reach the Commission's

office within one month after the last date for receipt of applications. Otherwise, the application is liable to be rejected.

4. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other Officer, as indicate below of the district in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district, in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.

The form of the certificate to be produced by Scheduled castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri//Shrimati/Kumari* ——— son/daughter* of ———of village/town* ——— ——— in District/Division* ——— of the State/Union Territory* ——— belong to the ———Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*

the Constitution (Shecduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*.

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962*

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*

the Constitution (Goa, Damand and Diu) Scheduled Tribes Order 1968*

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*

2. Shri/Shrimati/Kumari* ..... and/or* .....his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* ..... of ..... District/Division* of the State/Union Territory* of .....

Signature———

†Designation———

(with seal of office)

State/Union Territory*

Place———

Date———

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

†Officers competent to issue Cast/Tribe certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/**Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

**(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep.

5(a) Stenographers (including language Stenographers) Clerks Stenotypists claiming age concession under Rule 6(B) should submit a certificate in original from the Head of their Department/Office in the following form :—

(i) Certified that Shri/Shrimati/Kumari ———is a regularly appointed Stenographer employed in the Office of——— which is a Department/Office of the Government of India/Union Territory* of ——— and has rendered/would render not less than 3 years continuous Service as Stenographer/Clerk/Stenotypist/R.M.S. Sorter* on 1st January, 1980 and continues/would continue to be employed as a Stenographer.

Certified further that he/she* has not been appointed on the results of an earlier examination held by the Union Public Service Commission in CSSS/RBSSS/IPSB Stenographers' Sub-Cadre/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.*

(ii) Certified that Shri /Shrimati/Kumari———is a regularly appointed Clerk/Steno-Typist/R.M.S. Sorter* employed in the Office of the——— which is a Department/Office of the Government of India/Union Territory* of——— and has rendered/would render not less than 3 years' continuous service as a Clerk/Steno-Typist/R.M.S. Sorter/Stenographers on 1st January, 1980 and continues/would continue to be employed as a Clerk/Steno-Typist/ R.M.S. Sorter*.

No.———

Date———

Place———

Signature———

Designation———

Ministry/Office———

Office Stamp———

*Strike out whichever is not applicable.

(b) (i) A displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) claiming age concession under Rule 6(C) (ii) or 6(C) (iii) and/or remission of fee under paragraph 8 of the Notice should produce an attested/certified copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971 :—

(1) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States;

(2) District Magistrate of the Area in which he may, for the time being be resident;

(3) Additional District Magistrates in charge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;

(4) Sub-Divisional Officer within the Sub-Division in his charge.

(5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation), in Calcutta.

(ii) A repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka claiming age concession under Rule 6(C)(iv) or 6 (C)(v) and/or remission of fee under paragraph 8 of the Notice should produce an attested/certified copy of a certificate from the High Commission for India in Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(iii) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia claiming age concession under Rule 6(C)(vi) should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may for the time being be resident to show that he is a *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(iv) A repatriate of Indian origin from Burma claiming age concession under Rule 6(C)(vii) or 6(C) (viii) and/or remission of fee under paragraph 8 of the Notice should produce an attested/certified copy of the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st June, 1963, or an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(v) A candidate disabled while in the Defence Services, claiming age concession under Rule 6(C)(ix) or 6(C)(x) should produce an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below, from the Director-General, Resettlement, Ministry of Defence, to show that he was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. ———— Shri ———— of Unit ———— was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability

Signature.....

Designation.....

Date.....

*Strike out whichever is not applicable.

(vi) A candidate disabled while in the Border Security Force claiming age concession under Rule 6(C)(xi) or 6(C) (xii) should produce, an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Directorate General Border Security Force, Ministry of Home Affairs, to show that he was disabled while in the Border Security Force in operations, during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. ———— Shri ———— of Unit ———— was disabled while in the Border Security Force in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a result of such disability.

Signature.....

Designation.....

Date.....

(vii) A repatriate of Indian origin who has migrated from Vietnam claiming age concession under Rule 6(C)(xiii) should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may for the time being be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Vietnam and has migrated to India from Vietnam not earlier than July 1975.

6. A candidate belonging to any of the categories referred to in para 5(b)(i), (ii) and (iv) above and seeking remission of the fee under paragraph 8 of the Notice should also produce an attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of the Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee.

7. A person in whose case a certificate eligibility is required may be admitted to the Examination but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate is issued to him by the Government of India.

8. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or its copies, an explanation regarding the discrepancy may be submitted.

9. The fact that an application form has been supplied on a certain date will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an application form does not *ipso facto* make the receiver eligible for admission to the examination.

10. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

11. Every candidate for this examination will be informed at the earliest possible date of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from the Union Public Service Commission a communication regarding the result of his applicotion one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. Copies of pamphlet containing rules and question papers of five preceding examinations are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110006, and may be obtained from him direct by mail orders or on cash payment. These can also be obtained only against cash payment from (i) the Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building 'C Block' Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale Counter of the Publication Branch, Udyog Bhawan, New Delhi-110001 and (iii) the

Government of India Book Depot 8, K. S. Roy Road Calcutta-1. The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India Publications at various towns mufossil.

13. Candidates are not entitled to receive any Travelling Allowance from the Union Public Service Commission for attending the examination.

14. *Communications regarding Applications.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD, NEW DELHI-110011, AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

(1) NAME OF EXAMINATION.

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.

(3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—Communications not containing the above particulars may not be attended to.

15. *Change in Address.*—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED, IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 14 ABOVE ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979